सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–7 (भाग–01)　　बुधवार, 04 अप्रैल, 2018 / 14 चैत्र, 1940 (शक)　　अंक–77

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3–12
3.	विशेष उल्लेख की सूचनाओं के संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा	13
4.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) (दिल्ली नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों की सेवाओं के नियमित न होने और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण उनको हो रही कठिनाईयों पर चर्चा जारी...	14–54
5.	माननीय उपराज्यपाल के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण	55–104

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–01)	बुधवार, 04 अप्रैल, 2018 / 14 चैत्र, 1940 (शक)	अंक–77

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री अजेश यादव
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री रामचन्द्र
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. संदीप कुमार
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि

19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
23. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री आदर्श शास्त्री
27. सुश्री भावना गौड़
28. श्री सुरेन्द्र सिंह
29. श्री विजेन्द्र गर्ग
30. श्री प्रवीण कुमार
31. श्री मदन लाल
32. श्री सोमनाथ भारती
33. श्रीमती प्रोमिला टोकस
34. श्री नरेश यादव
35. श्री करतार सिंह तंवर
36. श्री प्रकाश
37. श्री अजय दत्त
38. श्री दिनेश मोहनिया
39. श्री सौरभ भारद्वाज
40. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
41. श्री सही राम
42. श्री नारायण दत्त शर्मा
43. श्री अमानतुल्लाह खान
44. श्री राजू धिंगान
45. श्री मनोज कुमार
46. श्री ओमप्रकाश शर्मा
47. श्री एस.के. बग्गा
48. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
49. श्रीमती सरिता सिंह
50. मो. इशराक
51. श्री श्रीदत्त शर्मा
52. चौ. फतेह सिंह
53. श्री जगदीश प्रधान
54. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–01) बुधवार, 04 अप्रैल, 2018 / 14 चैत्र, 1940 (शक) अंक–77

सदन अपराह्न 2.11 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद, स्वागत।

मुझे कई माननीय सदस्यों से नियम–54 एवं नियम 55 के अंतर्गत...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए–बैठिए, दो मिनट मैं एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का पढ़ दूँ, दो मिनट बैठ जाइए। मैं सिर्फ ये एक रूलिंग पढ़ दूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ।

मुझे कई माननीय सदस्यों से नियम–54 एवं नियम–55 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण तथा अल्पकालिक चर्चा की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अत्यधिक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण आज की कार्य सूची में सूचीबद्ध है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हेतु माननीय उप मुख्य मंत्री के अनुरोध पर सत्र की अवधि दो दिन के लिए बढ़ायी गयी थी। अतः कार्य सूची में दर्शाये गये विषयों के अतिरिक्त किसी विषय पर विचार नहीं किया जायेगा। कल की कार्य

सूची में श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष का झुग्गिवासियों, सुश्री अल्का लाम्बा का नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल तथा श्री अवतार सिंह कालका जी का दक्षिणी नगर निगम के अस्पताल के संदर्भ में सूचनाओं पर चर्चा ली जाएगी। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम–291 एवं 293 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसके अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है तथा इस पर कोई आपत्ति नहीं कही जाएगी, इसलिए मैं अन्य किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। अब बताइये क्या कह रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मैंने जो नियम–54, 55 में मुझे मिले हैं आज तक। कुछ आज ले लिए लिए हैं मैंने, कुछ कल की सूची में ले लिया। आपका कल की सूची में ले लिए हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये दूसरी वाला?

माननीय अध्यक्षः हाँ, मैंने वो डिक्लेयर कर दिया।

श्री नितिन त्यागीः अध्यक्ष जी, कल पूरी सभा के बीच में।

माननीय अध्यक्षः आपसे पहले।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक मिनट, पहला सीएजी का उठाया है।

माननीय अध्यक्षः सीएजी का क्या बताऊँ?

श्री नितिन त्यागीः अध्यक्ष जी, कल शाम को पूरी सभा के बीच में

माननीय अध्यक्षः सदन का ऐसा नहीं।

श्री नितिन त्यागीः मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने...

माननीय अध्यक्षः सीएजी की रिपोर्ट पीएसी के पास जाएगी, वो देखेगी।

श्री नितिन त्यागीः पूरे सदन में सबके बीच में ***xxx***[1] कहके सर, संबोधित किया, ***xxx*** कहके संबोधित किया, हमें इसपे बहुत आपत्ति है, खेद है जात–पात, ऊंच–नीच इसके ऊपर उठने की सब लोग बात करते हैं, पर इस तरीके की बातें करना, किसी को ***xxx*** बताना, किसी को छोटा एहसास कराने की कोशिश करना, ये मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने किया और हम सर, इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं सर। आपको इसपे एक्शन लेना पड़ेगा, इन्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। हम ऐसे आदमी के साथ नहीं बैठ सकते हाउस के अंदर जो भेद भाव करता हो, जो किसी को ***xxx*** का बताता हो, हम सर, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई ये शब्द मैंने कल कार्यवाही से... ये शब्द मैंने कल कार्यवाही से निकलवा दिया।

श्री नितिन त्यागीः नहीं, कार्यवाही से निकाले, दिल से निकलवा दीजिए ना आप किसी के। आप किसी के दिल से निकलवाइये। सब के बीच में आप कह दें, ऐसी बातें इस्तेमाल कर लो, उसके बाद आप कहें कि जो है...

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, ये मामला सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने एक पूरे के पूरे समुदाय को ***xxx*** का कहा, ये मामला इससे भी बड़ा इसलिए है क्योंकि किसी को ***xxx*** कहने के बाद इन्होंने धर्म का सहारा लिया।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, अपनी सीट पे जाइये।

श्री सौरभ भारद्वाजः एक धर्म का सहारा लेके...

---

1 ***XXX*** माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार ये शब्द कार्यवाही से हटाये गये।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी। आप सीनियर मेम्बर हैं, अपनी सीट से बोल लीजिए, प्लीज।

श्री नितिन त्यागीः सर, इन्होंने इस तरीके के आक्षेप, इस तरीके की भाशा इस्तेमाल करना।

श्री सौरभ भारद्वाजः मामला ये नहीं है कि किसी को इन्होंने सिर्फ ***xxx*** का कहा, हमारे बार बार टोकने के बाद भी ये उसको ***xxx*** का कहते रहे और जब इनकी गलती पकड़ी गयी, तो धर्म का सहारा लेके... ये लोग गुरू गोविन्द सिंह के पवित्र नाम का सहारा लेके अपनी गलती को बचाते रहे। ये बहुत ही दुःख की बात है कि एक धर्म को दूसरे समुदाय से लड़ाने की इन्होंने कोशिश की। शाम को ट्विटर पे भी इन्होंने यही सब किया। गुरू गोविन्द सिंह जी के पवित्र नाम का इस्तेमाल इन्होंने किया, जो बेहद गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण हैं। पूरे सिक्ख समाज को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए प्लीज, बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बाद में निकाल दो... अपनी पार्टी के लोगों को निकालो ना।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी आप, आप मेरे से मेरे से बात कर लीजिए थोड़ा माहौल गरम हो रहा है, थोड़ा माहौल गरम हो रहा है, मुझसे बात कर लीजिए।

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप पहुँचे)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, सदन की कार्यवाही चलने दें। कृपया बैठें। मनोज जी, आप वहाँ बात नहीं करेंगे। मनोज जी, इधर आइए आप। उधर जाके बात नहीं करेंगे। मनोज जी, मनोज जी, ये क्या तरीका है! नहीं, ये क्या तरीका है? आप आमने सामने क्यों बात कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? आपने जो बात करनी है, आप यहाँ बैठ के करिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप पर्सनल बात मत करिये।

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य सदन के वेल में नारेबाजी करते रहे)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, अपनी सीट पर बैठें प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः पौने तीन बजे तक के लिए विधान सभा की कार्यवाही स्थगित की जाती है। पौने तीन बजे तक। अभी राखी जी, पौने तीन बजे तक विधान सभा की कार्यवाही स्थगित कर रहे हैं।

(सदन की कार्यवाही पौने तीन बजे तक के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 2:52 बजे पुनः समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

(माननीय सदस्य श्री मनजिंदर सिंह सिरसा वैल में आकर बैठ गए)

श्री विशेष रविः जिस तरह से इन्होंने गुरू गोविन्द सिंह जी के... सर इनको सेशन के लिए बाहर किया जाए। सेशन के लिए बाहर किया जाए सर। सर, ये डिमांड है हमारी कि जिस तरह से सिरसा जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो पूरे समाज के लिए और पूरे समुदाय के लिए... और पीड़ा हुई है इसलिए लिहाजा... क्योंकि ये बोलने के बाद भी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद भी उन्होंने माफी माँगना ठीक नहीं समझा। आज भी वो उस बात पर अडिग हैं और लगातार इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं। लिहाजा सर, हमारी माँग है कि उनको इस सेशन के लिए बाहर किया जाए। तब तक सदन नहीं चलेगा।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी की)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, अपनी अपनी कुर्सी पर बैठें।

(माननीय सदस्य वेल में नारेबाजी करते रहे)

माननीय अध्यक्षः हाँ जगदीश जी, क्या कह रहे हो?

श्री जगदीश प्रधानः अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाह रहा था अगर सम्मानित साथी... जो कल सिरसा जी कहा, उस बात को दोहराना चाहता हूँ। क्या पता इन लोगों की समझ में आ जाए। अध्यक्ष जी ***xxx*** का सबको नहीं कहा उन्होंने। आप समझ नहीं रहे, उन्होंने कहा क्या है। कम से कम

उसको समझ तो लें, उन्होंने कहा क्या है। इस बात को समझ नहीं पा रहे। अध्यक्ष जी, सिरसा जी का सिर्फ इतना कहना था कि जेठा सिंह जो शीश लेकर गए गुरू गोविन्द जी के पास में... उन्होंने ये कहा था, वो ये सोचते जा रहे थे कि मैं ***xxx*** का हूँ कहीं मेरा एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बात ये है। पता नहीं, उसको क्या बना दिया।

... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधानः ओ भैया। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपकी भावना को ठेस पहूँची है तो मैं माफी माँगता हूँ। सदन को चलने दो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने–अपने स्थान पर जाएं।

(सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्य वेल में नारेबाजी करते रहे)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ...

(माननीय सदस्य श्री सिरसा को सस्पेंड करने की माँग करते रहे।)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया अपनी चेयर पर जायें, अपनी अपनी सीट पर जायें, प्लीज। माननीय सदस्य अपनी अपनी सीट पर जायें प्लीज। जगदीप जी, अपनी अपनी सीट पर पहुँचे प्लीज।

(माननीय सदस्य श्री सिरसा के सदन से बाहर निकालने और सस्पेंड किए जाने की माँग करते रहे)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया अपनी अपनी चेयर पर बैठें। राखी जी, जो भी कुछ होगा, नियम के अनुसार ही तो होगा ना। सौरभ जी, सब बैठिए प्लीज,

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः कल जो पूरा का पूरा मामला हुआ, वो पूरे हाउस के सामने हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ प्राईवेट में जाके इन्होंने बात कही है। पूरे हाउस के सामने इन्होंने वो शब्द बार बार रिपीट किया। इनको हमारे साथियों ने वार्न किया कि आप ये शब्द इस्तेमाल न करें। उसके बाद भी, इन्होंने वार्न करने के बाद...

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से एक बार प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया सीट पर जायें। राखी जी, यहाँ से नहीं, प्लीज।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा माननीय सदस्य श्री सिरसा से माफी माँगने की मॉग करते हुए नारेबाजी)

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रूका कि इन्होंने बार बार अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया...

माननीय अध्यक्षः मैं सदन को 15 मिनट के लिए एडजॉर्न कर रहा हूँ।

सदन अपराहन 3.18 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

श्री विशेष रविः सर, माफी मंगवाइये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष महोदय मैं ये विनती करना चाहता हूँ, मेरे कारण किसी का भी अगर...

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः कोई भी भेदभाव के कारण किसी की भावना आहत हुई है...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राखी जी, दो मिनट बैठिए वो क्या कह रहे हैं अगर वो खेद प्रकट कर रहे हैं, अगर वो खेद प्रकट कर रहे हैं...

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष महोदय, एक ही अल्फाज़ में कह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः मेरी बात सुनिए, खेद अगर प्रकट कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः मेरी बात सुनिए खेद अगर प्रकट कर रहे है तो, तो सुनेंगे, खेद प्रकट कर रहे है तो सुनेंगे ना हम। हाँ, तो बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, तो सुन लीजिए, अगर प्रकट कर रहे हैं। समय तो देंगे सदस्य को...

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, कल भी मेरी भावना ऐसी नहीं थी पर मैं ज्यादा बात पर न जाते हुए इस बात पर...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः राखी जी, राखी बिड़ला जी, दो मिनट बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य बैठें दो मिनट, प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं सिरसा जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि दो लाइनों में अगर आपको लगता है तो इसको समाप्त करें।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बिल्कुल अध्यक्ष जी, मैं, अध्यक्ष जी, बिल्कुल मैंने कल भी जो बात कही थी, मैं उसका अगर इनको किसी भी कारण, किसी एक विधायक को, किसी एक को, किसी कारण से भी हलका जितना भी अगर उसका कोई बुरा लगा है, कारण से, बिना कारण से मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। मेरा इंटरेस्ट इस विधान सभा को चलाना है, न कि किसी को आहत करना, किसी को बुरा बोलना मेरा इंटरेस्ट नहीं था, न ही मैं कहूँगा और मैं अध्यक्ष जी, इतनी बात कहकर इतनी आपसे रिकवेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कल दूसरा जो ***xxx***[2] वर्ड कहा गया, उसको भी अगर एक्सपंज कर दे, मैं इतनी विनती करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः ***xxx*** शब्द जो कल था, वो एक्सपंज कर दें।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इस बात के लिए क्योंकि हम सबके लिए आदर की बात है, बस इतनी मेरी विनती है।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब नहीं, अब हो गया विषय।

विशेष उल्लेख की सूचनाओं के संबंध में मानवीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, 280 होगा?

माननीय अध्यक्षः नहीं, 280 को कृपया पढ़ा हुआ मान लिया जाए। सवा तीन हो गए हैं, आज एक महत्वपूर्ण विषय भी जुड़ा हुआ है। मैं नाम बोल लेता हूँ जिन–जिन माननीय सदस्यों के नाम आए थे, श्री जरनैल सिंह जी, श्री सोमदत्त जी, श्री सही राम जी, श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, श्री राजेश गुप्ता जी, सुखबीर सिंह दलाल जी, सुश्री अलका लाम्बा जी, श्री प्रवीण कुमार जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी और ग्यारहवें नम्बर पर नाम था गुलाब सिंह जी और बारहवें नम्बर पर नाम था जो मुझे लाकर दिए गए, लॉटरी में जो आया, लॉट ऑफ ड्रा में श्रीदत्त शर्मा जी। कृपया इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, क्या इनके रिप्लाई मिलेंगे, 280 के?

माननीय अध्यक्षः हाँ, रिप्लाई मिलेगी।

श्री जरनैल सिंहः सर, पिछली बार भी सेम विषय उठाया था पर कोई रिप्लाई नहीं आया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जिनका रिप्लाई नहीं आया हो 280 में, किसी भी क्वैश्चन में, अब जो स्थिति है वो तो एक अलग है। 280 में जो नहीं आया, कृपया मुझे एक बार लिखित में दें।

श्री जरनैल सिंहः क्या समय सीमा है अध्यक्ष जी, 280 में रिप्लाई आने की?

माननीय अध्यक्षः मुझे दीजिए लिखित में।

श्री जरनैल सिंहः नहीं, मैं समय सीमा पूछ रहा था, कितने दिन में रिप्लाई आता है?

... (व्यवधान)

ध्यानाकर्षण (नियम–54)

माननीय अध्यक्षः एक महीना... 30 दिन होते हैं। कल का विषय सुश्री राखी बिड़ला जी द्वारा सफाई कर्मचारियों के विषय में, नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की सेवाओं के नियमित न होने और अन्य मुलभूत सुविधाओं की कमी के कारण जो विषय उन्होंने उठाया था, उस पर आगे चर्चा बढ़ाते हुए बंदना कुमारी जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद जो इस गम्भीर मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया आपने। अध्यक्ष जी, आज...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कल हो गया, अब थोड़ा सा विषय रह गया, कल कर लिया था आपने, पूरा किया। नहीं, हो गया प्लीज।

... (व्यवधान)

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्ष जी, हमारे सफाई कर्मचारी आज 15 दिन. .. आज 16 वाँ दिन हो गया उनका, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पाँच साथी हमारे वहाँ पर वो अन्न नहीं ले रहे हैं, सिर्फ पानी पीकर हैं। तो ये लगातार दिल्ली, पूरी दिल्ली त्राहि–त्राहि कूड़े के ढ़ेर से हो रही है

और साथ में उन सफाई कर्मचारियों की जो माँग है, वो एकदम जायज है। वो बहुत कुछ नहीं माँग रहे हैं। वो सिर्फ माँग रहे हैं जो हमारा जितना एरियर है, वो हमें दे दिया जाए और हमें पक्का किया जाए। 20–20 साल से वो साथी सड़कों पर जब–जब समय आया, वो सड़कों पर आए और अपनी माँग के लिए, वो अपनी जो उनकी जेन्यूइन माँग है, उसके लिए वो रोड पर आए।

अध्यक्ष जी, बहुत जोर शोर से टीवी के ऐड पर 'स्वच्छ भारत' 'स्वच्छ भारत' 'स्वच्छ भारत' का ऐड भी चलता है, होर्डिंग भी लगती है। क्या 'स्वच्छ भारत' सिर्फ होर्डिंगों में लगकर रह जाएगा या टीवी का ऐड बनकर रह जाएगा? 'स्वच्छ भारत' के ऊपर ये जितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वही स्वच्छता का काम करते हैं। दिल्ली को सुंदर बनाने का, दिल्ली को साफ रखने का, दिल्ली को खूबसूरत बनाने का काम वही सफाई कर्मचारी करते हैं। आज उनके ऊपर चार–चार आदमी का बर्डन अकेला है, पाँच–पाँच लोगों का काम वो अकेले करते हैं। अध्यक्ष जी, हर 15 दिन पर मैं उन सफाई कर्मचारियों के साथ खुद सफाई करती हूँ तो मुझे पता है जो किस तरह से वो सफाई करते है। न उनके हाथों में ग्लवस होता है, न उनको कूड़ा उठाने के लिए कोई मैकेनिज्म होती है, न उनको कूड़ा डालने के लिए कोई ऐसा संसाधन होता है, जहाँ वो आसानी से कूड़े को ले जाएं और कूड़े को फेंकें। बहुत सारी उनके पास ईवन कि झाड़ू भी बेचारे खुद ही अपने पैसे से झाड़ू खरीदते हैं और झाड़ू लाकर देते हैं। वो घर से छः बजे निकलते हैं, रोटी लेकर आते हैं, वो रोटी खाने तक के लिए उनको कहीं जगह नहीं होती है, वो बार–बार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैडम, हम सबकी कहीं जगह बना दो, हम जहाँ बैठें। महिलाएं भी सफाई कर्मचारी में होती हैं हमारी, महिलाओं को न बैठने का, न उठने का, इस धूप में,

इस गर्मी में, वो खुले में कहीं रोड पर बैठकर अपनी रोटी खाती हैं और पानी पीती हैं। न उनको पीने के पानी की सही व्यवस्था, न उनको कोई इमरजेंसी के लिए कहीं जाने की व्यवस्था, न उनको बैठने की... बहुत ही दुर्दिन हैं आज हमारे सफाई कर्मचारी भाईयों पर।

ये जितने भी, आज हमारे सभी चुने हुए प्रत्याशी, निगम में सभी को वोट देकर दिल्ली की जनता ने पूरा भरपूर बहुमत देकर दिल्ली की जनता ने निगम के साथियों को... आज निगम का एक भी पार्षद उनकी सुध लेने नहीं जा रहे हैं। भाजपा के साथी एक दिन पानी नहीं आए तो हमारे मुख्य मंत्री जी के घर पर जाकर, बैठकर ढ़ोल पीटते हैं। आज कहाँ हैं सारे भाजपा के निगम पार्षद और सातों सांसद और जो आज दिल्ली के मालिक बने बैठे हैं; हमारे एलजी साहब, वो क्या कर रहे है? दिल्ली की हर गलियाँ कूड़ा बजबजाती हुई इस गर्मी में लोगों की बहुत बुरी स्थिति है। मैं सुबह से... आज तीन घंटे मैं फील्ड में थी, लोग हमसे पूछ रहे हैं, जो ये कूड़े का क्या होगा। लेकिन आज उन सफाई कर्मचारी पर जो स्थिति है, जो उनका दुख है, जो उनकी पीड़ा है, वो कौन सुनेगा? बहुत ही चिंता का विषय है और ये सदन चिंतित है...

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए बंदना जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः तो इन चीजों को लेकर हम सबको मिलकर कुछ न कुछ इसका रास्ता निकलना पड़ेगा जो आज हमारे सफाई कर्मचारियों पर स्थिति है। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दो–तीन बातें जरूर कहूँगी, जो सातों सांसद जो आज लोकसभा के अंदर बैठे हैं, एक बार भी, एक शब्द भी दिल्ली की कोई भी पीड़ा को वो उठाते नहीं हैं, किसी भी पीड़ा को। दिल्ली के ऊपर जितनी विपदा आती है, बार–बार आती है, सिर्फ उनका

एक ही काम रह गया है अगर एक दिन पानी नहीं आए, एक बोतल कहीं से गंदा पानी ले आएंगे, उस पर ढ़ोल पीटते रहेंगे लेकिन इनके पास अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अध्यक्ष जी, इनको भी अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए और इन सफाई कर्मचारियों के विषय में इनको सोचने की जरूरत है जो इन सफाई कर्मचारियों को हम किस तरह से इनको राहत पहुँचाएंगे और साथ में जो हमारे मनोज तिवारी जी हैं, बात–बात में ढ़ोल पीटते हैं; हम डोर स्टेप की बात करते है, डोर स्टेप, जहाँ भी कैम्प लगता है हाउस टैक्स का, वहाँ जाकर बैठ जाते है, हम डोर स्टेप कर रहे हैं। डोर स्टेप क्यों नहीं कर रहे कूड़ा उठाने पर? डोर स्टेप क्यों नहीं कर रहे जब कि गदंगी फैली हुई है।

अध्यक्ष जी, सड़क बनाने किसका काम, गलियाँ बनाना किसका काम, रोड बनाना किसका काम, गली साफ करना किसका काम, स्ट्रीट लाइट लगाना किसका काम? पार्क हमारे क्षेत्र की स्थिति ऐसी है जब पार्क में इतना कूड़ा पड़ा हुआ है लेकिन आज तक कोई सांसद, कोई निगम पार्षद, कोई भाजपा का साथी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए बंदना जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्रीमती बंदना कुमारी: अध्यक्ष जी, एक चीज मैं बताना चाहूँगी, ये बार–बार कहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पैसा नहीं, ये बहुत... राखी ने कल विस्तार से बताया था, ये बहुत छोटा एमाउंट है। कन्वर्जन चॉर्ज का पैसा इनके पास, हाउस टैक्स का पैसा इनके पास, पार्किंग का पैसा इनके पास, वसूली का पैसा इनके पास, तहबाजारी का पैसा इनके पास, जितने बोर्ड और होर्डिंग लगते हैं, उसका पैसा इनके पास और इनके पास पैसा नहीं होता! हर समय पैसे का रोना।

तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूँ सदन को जो एक साल हो गया, हम विधायक अपनी एक–एक साल में हर हिसाब देते हैं जो हम क्या काम अपने–अपने क्षेत्र में कर रहे हैं लेकिन ये निगम पार्षद एक भी कोई काम बता दें, कोई एक काम बता दें, कोई एक ब्लॉक की एनओसी लाकर दे दें जो उसकी सफाई वो करवाते हों। ये बहुत ही दुर्दिन स्थिति है। अभी दिल्ली की और दिल्ली में जो 'स्वच्छ भारत' दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी की गली–गली कूड़े से, बजबजाती कूड़े से तंग है तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी इन सफाई कर्मचारियों की जो माँग है, वो जल्द से जल्द इनकी माँग को पूरा किया जाए और जैसे भी हो, ये सातों सांसदों को अगर लेटर लिखना हो, या प्रधान मंत्री जी को लेटर लिखना हो, आज ये मेयर के पास क्यों नहीं जाते और साथ में ये काँग्रेस के जो लोग हैं, जो काँग्रेस के बैठे, हर बात में ढपली पीटते रहते हैं, आज ये क्यों चुप है, इनको क्या मिल गया? तो इनकी आपसी साठगांठ हो गई। ये चुप क्यों बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के साथी हैं? आज वो एक बार भी सुध लेने नहीं जा रहे जो सफाई कर्मचारियों की स्थिति क्या है और वो गर्मी में...

माननीय अध्यक्षः बंदना जी, अब करिए कन्क्लूड करिए, आपका समय पूरा हो गया...

श्रीमती बंदना कुमारीः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत कम मौका मिलता है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आप बहुत कम मौका मुझे देते है। तो आज मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ जो सफाई कर्मचारियों की जो स्थिति है, इसपे ये सदन बहुत ही गंभीर है और आपको भी गंभीरता से जिसको भी लैटर लिखना हो, जैसे भी करना हो, जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों की जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो उनको

मिले ताकि वो अपने क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की तय होनी चाहिए, जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः पंकज पुश्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः बहुत–बहुत धन्यवाद, बहुत संवेदनशील मामला है। मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि इस सदन में जो इस तरफ लोग बैठे हैं वो, वो लोग बैठे हैं जो कि भारत के संविधान को दुनिया की किसी भी पवित्र किताब से ज्यादा पवित्र मानते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के सपने अमर शहीदों के सपनों को हम सच्चा मानते हैं। सफाई कर्मचारियों के संदर्भ में यह बात याद करना इसलिए जरूरी है कि हम जरा एक मिनट रुक के ये पूछें अपने आप से कि ये कौन हैं जिनको कि हम सफाई कर्मचारी कह रहे हैं और कब से ये सफाई का काम करने लगे हैं। और वो क्यों करने लगे हैं। सफाई का काम कोई स्वेच्छा से करता है। मैं यहाँ बैठे सारे विधायक और निगमों के सांसदों, पार्षदों से, संसद में बैठे सांसद, कौन पार्षद ऐसा है जो कि अपनी पार्षदी छोड़के सफाई कर्मचारी बनना पसंद करे। सफाई कर्मचारी को ज्यादा पैसा मिलता है पार्षद को कम भत्ता मिलता है। हम ये अपनी ईमानदारी से अपने मन में झांके कि हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं जिसमें कि समाज के एक वर्ग को मजबूर किया गया कि तुम वो काम करोगे जिसमें कि न तो आर्थिक लाभ है, न ही सम्मान है। अब आपको ये तय करना है, हमको ये तय करना है, इस सदन को यह तय करना है कि वो पुरानी किताबों के ऊपर चलेंगे जिसमें कह दिया गया कि भई, तुम्हारा काम जूते बनाना है, तुम्हारा काम सफाई करना है तुमको इज्जत भी नहीं मिलेगी, तुमको बच्चों को पालने के लिए ठीक से सम्मानजनक कोई मानदेय भी नहीं मिलेगा या फिर हम उस किताब को मानते हैं जिसमें लिखा गया बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा देश के सारे

शहीदों के द्वारा कि हम देश के हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देते हैं, राईट टु लाईफ विद डिग्निटी। ये डिग्निटी शब्द बड़ा गहरा है। वो जो माँ चार बजे अपना घर छोड़ देती है और सबकी तकलीफ, सबकी बीमारी, सबकी गंदगी को अपने आप साफ करके वापिस आती है, उस बच्चे की गरिमा, उसकी उस माँ के बेटे, उस बेटी की गरिमा का सवाल है। हम उसको देश का एक स्वतंत्र नागरिक बनाना चाहते हैं। इज्जतदार नागरिक बनाना चाहते हैं। या ये जो शोषण के बीज पाँच हजार साल से इस देश में बोये गये हैं, उन बीजों को हम आज भी पल्लवन करना चाहते हैं। मैं पार्टी से ऊपर उठके जाति–धर्म से ऊपर उठके, हर किसी के अंदर जो इंसानियत छुपी हुई है, उसको अपील करता हूँ इस सदन के माध्यम से, छोड़ देंगे, एमसीडी का मामला है, छोड़ दें दिल्ली के ये सांसद ये सवाल उठाते हैं, नहीं। ये दिल्ली विधान सभा इस बात का संकल्प ले कि हम इस पाप को और नहीं ढोएंगे, हम इस शोषण की व्यवस्था को और नहीं ढोएंगे। हम ये जो पाप करवाते हैं और करते हैं कि जो आर्थिक शोषण करते हैं, सामाजिक शोषण करते हैं, इस परम्परा को खत्म करेंगे।

सर, मैं आपसे प्रार्थना करके पूछना चाहता हूँ, ये किसने तय किया कि आप अगर प्रोफेसरी करेंगे तो आपको 70 हजार, 80 हजार की पेंशन मिलेगी। अगर आप पूरे जीवन भर सफाई का काम करेंगे तो आपको पेंशन ढ़ाई हजार मिलेगी, ये किसने तय किया? ये अंग्रेजों की बनाई हुई ओपनिवेशिक अर्थ व्यवस्था है जिसमें कहा गया कि सफेद कॉलर वाली जॉब जो होगी, उसमें आपको 80 हजार रूपये की पेंशन मिलेगी और अगर आप जनता की सेवा का काम करेंगे, अगर सफाई का काम करेंगे तो आपका बुढ़ापा जो है, कष्ट में बीतेगा। मैं अपने माननीय वित्त मंत्री महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अपील करता हूँ कि इस देश में आर्थिक न्याय,

सामाजिक न्याय लाने की अगर किसी से उम्मीद है तो आपसे है। आपके अंदर वो ईमानदारी है, आपके अंदर वो ज़ज्बा है, इस देश को एक नया सवेरा दीजिए। इस देश को न्याय दीजिए। न केवल दिल्ली के, पूरे देश के जो सफाई कर्मचारी हैं, सेवा करने वाला श्रमिक वर्ग है, असंगठित वर्ग का मजदूर है, ये बंधुआ मजदूरी के दबाव में डूबे हुए लोग हैं, इनको आजादी चाहिए, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। कैसे मिलेगा, कहते हुए तकलीफ होती है लेकिन मेरे ही भाई हैं जो कि एमसीडी में बैठे हैं, किसी भी पार्टी के हों, जरा अपने दिल में तो झांकें, ये दिल में झांकें कि हमने इतना वित्तीय स्तर पर इतना कुप्रबंधन क्यों मचाया हुआ है। सात सौ करोड़ रुपये का उनका पूरा एरियर बनता है, हम वो नहीं दे पाते। केवल मैं माँग करता हूँ, इस विधान सभा से, इसकी पब्लिक एकांउटस कमिटी से कि हम इस तरफ आगे बढ़ें कि हम पिछले बीस वर्ष के जितने सफाई कर्मचारियों को आय, उनको जो दिया गया है आर्थिक रूप से लाभ, उसकी भी एक कोर्ट मोनिटर्ड इंक्वायरी की बात करें और बीस वर्ष से जितने भी राजनीतिज्ञ हुए हैं, जितने पार्षद हुए हैं, जितने विधायक हुए हैं, उनकी भी जो प्राप्तियाँ हुई हैं आर्थिक स्तर पर, उसकी जाँच करें, मिलता क्या है। लेकिन उसके बाद भी सफाई कर्मचारी को जो मानदेय देना था, जो सम्मान देना था, उसको कुचला गया है। मैं कुछ चंद शब्द कहके बैठ जाना चाहूँगा। इतना संवेदनशील मामला है महोदय, सफाई कर्मचारियों का मामला केवल सफाई कर्मचारियों का नहीं हैं। अगर इस देश के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर बर्बाद हो जायेंगे, वो हड़ताल पर चले जायेंगे तो डॉक्टरों की हानि नहीं है पूरे दिल्ली के लोगों की हानि है, दिल्ली के बच्चे तड़पेंगे, वो बीमार होंगे। अगर दिल्ली के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, दुखी हैं तो फिर दिल्ली, पूरी दिल्ली बर्बाद होगी बीमारियाँ फैलेंगी, सफाई कर्मचारी का काम डॉक्टर के काम के बराबर सम्मान का काम है। जितनी इज्जत और जितना हम आर्थिक

लाभ एक डॉक्टर को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उतना ही हम सफाई कर्मचारी को देने के लिए तैयार हों, ये मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अपील करता हूँ, सदन से अपील करता हूँ। अपने दिल खोल के बात करें। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कि खुशी–खुशी सफाई, किसी का कूड़ा उठाने जाना पसंद करता हो। मेरी प्रार्थना ये है कि देश तड़प रहा है। सबसे पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये केन्द्र सरकार जो कि दिल्ली से इन्कम टैक्स के तौर पर इतना बड़ी रकम वसूलती है, वो दिल्ली की जनता को वापिस देना शुरु करे। हमने बहुत सवाल पूछे, सवालों का जवाब नहीं आता। दिल्ली में सफाई हो, ये हर दिल्ली वासी का मूल अधिकार है। उसका इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। सबसे पहले उसको एरियर दें। सफाई कर्मचारी अगर आज अनशन पर बैठे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। वो क्यों बैठे हैं, मुझे बैठना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। ये उनकी तकलीफ नहीं है, ये हमारी तकलीफ है। हमारे बच्चे तकलीफ में आयेंगे, वो बीमारियों के शिकार होंगे। सफाई कर्मचारियों का अधिकार दिल्ली का, मूल अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली के बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। हम ये माँग करते हैं कि तीन तरह के सफाई कर्मचारी हैं एक जो कि स्थाई कर्मचारी एमसीडी के हैं, दूसरे, एमसीडी में हैं लेकिन अस्थाई हैं, तीसरे ठेके पे हैं। वे दिल्ली के ढ़ाई लाख ठेके के कर्मचारी अरविन्द केजरीवाल जी की तरफ, मनीष सिसोदिया जी की तरफ उम्मीद से देखते हैं कि ये आदमी हैं, ये लोग हैं जिनकी वजह से आज हम ठेके पे अपनी मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि कभी हमारे जिन्दगी में सवेरा आयेगा, हमारी जिंदगी में कभी रोशनी आयेगी। मैं अपील करता हूँ कि हम पार्टी से ऊपर उठके हम एक संकल्प पारित करें। हम पूरा इरादा जाहिर करें दिल्ली की जनता और दिल्ली के राजनीतिज्ञ, दिल्ली की अफसरशाही, दिल्ली के माननीय उप राज्यपाल महोदय, दिल्ली का सदन

ये संकल्प ले कि हम सफाई कर्मचारियों को, जो हमारे ऊपर ऋण है, कर्जा है, उनका एरियर नहीं हम दे पा रहे, सबसे पहले एरियर दें, उनकी रुकी हुई भर्तियों को चालू करें। जो ठेके पर हैं, उनको बिल्कुल ऐसे सम्मान दें, आप रिजर्वेशन पर झगड़ा करते हैं। सफाई कर्मचारियों का तो सेंट—परसेंट रिजर्वेशन करा सकते हैं, किया हुआ है। दिन वो जब हम आयेंगे, सभी जातियों के लोग कहें कि मैं सफाई कर्मचारी बनना चाहता हूँ। आप उसको वहाँ इतना सम्मान दीजिए व इतना मानदेय दीजिएगा कि ये जाति का धब्बा हमारे चेहरे पर से उतरे, तो हम ये माँग करते हैं केन्द्र सरकार से कि वो दिल्ली की जनता के साथ आर्थिक न्याय करे। जो अपार इन्कम टैक्स का उन्होंने इकठ्ठा किया हुआ है, डीडीए की जमीनें बेच—बेच के एफडी बनाई हुई हैं, जो कन्वर्जन चार्ज इकट्ठा किया हुआ है, जितने भी सेंन्ट्रली कलैक्टेड रेवन्यू है, वो किया हुआ है, वो दिल्ली की जनता को दें, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को दें, दिल्ली के डॉक्टरों को दें।

माननीय अध्यक्षः पंकज जी, कन्क्लूड करिये, कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री पंकज पुष्करः नयी संविदा पर ठेके पर जो कर्मचारी रखे गए हैं, उनको तुरंत पक्का करें। उदार दिल दिखायें, अपने अंदर की इंसानियत को जगाएं पार्टी का हित अपने छोट—छोटे स्वार्थों से ऊपर उठें, यहाँ इंसानियत दाव पर लगी हुई है। आपको यही मैं ध्यान दिलाते हुए, बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को फिर से याद करते हुए, हम न्याय की तरफ बढ़ें, जय हिन्द, जय भीम, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागीः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि आपने एक बहुत ही सीरियस विषय पे बोलने का मौका दिया। एक तरफ तो विकास के बहुत

सारे सपने दिखाये गये। विकास का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, अच्छे दिन का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। बुलैट ट्रेन का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं और एक तरफ सफाई कर्मचारी लफ्ज़ का इंतजार कर रहे हैं। इतना भी सम्मान मिल जाये कि जो काम वो कर रहे हैं... एक्चुअली वो सफाई... हम कहते हैं कि कूड़े वाला आ गया। एक्चुअली कूड़ेवाला नहीं आता, कूड़े वाले तो हम लोग हैं, वो कूड़े को साफ करते हैं। जो निगम, जो अधिकारी निगम के और जो लोग निगम में बैठे हुए हैं, चुनके गये हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से जो काम इन–ह्यूमन कंडीशंस में सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, इन–ह्यूमन कंडीशंस में कहूंगा सर, इन–ह्यूमन कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं, उसे कम से कम कंडीशंस को ह्यूमैन तो बना सकते हैं, इंसानियत के नाते ही सही। जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हो, कर रहे हो पर साथ में... तो साथी हैं, वो भी हमारे दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो लोग जो भी काम कर रहे हैं, वो कम से कम इन कंडीशंस में कर सकें। जो भी, कभी कोई स्कूल खुलता है, कुछ भी खुलता है तो कभी भी वोकेशनल कॉलेज हो, कुछ हो, उसमें सफाई करना तो नहीं सिखाया जाता क्योंकि कोई नहीं बनना चाहता। ये मजबूरी होती है। शायद लास्ट ऑप्शन होता होगा। किसी और के घर से गंदगी उठाना शायद लास्ट ऑप्शन होता होगा प्रोफेशन का। वो आदमी कितना मजबूर होता होगा जिसे हम तनख्वाह न देके और मजबूर कर देते हैं... इतने सालों से, अभी हम लोग पीछे गेस्ट टीचर्स के लिए कर रहे थे कि जो है, हम लोग गेस्ट टीचर्स को चाह रहे हैं कि परमानेंट हो जाए, इतने सालों से कर रहे हैं, कुछ रोक लगाई गई हैं, वो जो रोक लगाई गई, जो भी वजह हो सकती है कि इनके टेस्ट लेंगे, ये करेंगे... इसमें कौन सा टेस्ट लेना है, इसमें कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए जो रोक रखा है इतने दिनों से? रैगुरलाइज क्यों नहीं कर रहे उनको, क्यों नहीं परमानेंट

कर रहे हैं, क्या वजह है, इसको बार—बार राजनीति का रूप देके हर बार मैनिफैस्टो में डाल दिया जाता है चुनावों में, क्यों नहीं किया जाता है उसको पूरा, किसकी जवाबदेही बनती है? ये जो बार—बार निगम में आ के बैठ जाते हैं, झूठे सपने दिखा के, एक बार पलट के पीछे देखते हैं कि इतने सारे लोगों से, इतने हजार परिवारों से, हमने वादा किया था तुम्हें परमानेंट कर देंगे, क्यों नहीं परमानेंट किया जा रहा? जिन लोगों को परमानेंट किया, उनके एरियर, बहुत बड़े—बड़े वायदे किए थे कि जी, केंद्र सरकार से पैसा ले आएंगे, कहाँ गए वो? कहाँ वे तिवारी जी, बीमारी जी... नहीं तिवारी, गायब हैं सर, तिवारी जी, जितने पार्षद थे, जो गली—गली में बोलते फिर रहे थे कि हम एरियर्स भी दिलवाएंगे, हम परमानेंट भी करेंगे, हम बेहत्तर सुविधाएं भी देंगे। सब गायब है, आज भी सफाई कर्मचारी वैसे ही नाले में उतरने को मजबूर हैं, दूसरे के मल और मूत्र में उतरने को मजबूर हैं, बिना किसी इक्विपमैंट के। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को! मैं बहुत लम्बा नहीं खींचना चाहता सर, छोटे में ही निपटाना चाहूँगा, ये मजबूर को ओर मजबूर करने की जो राजनीति है, ये पूरे के पूरे देश में, केंद्र सरकार की एक इमेज बन गई है कि वो दलित विरोधी हैं और ये बहुत अच्छा मौका है सर, राजधानी है दिल्ली कि केंद्र सरकार अपनी इमेज में थोड़ा सा सुधार कर ले। मेरा ये मानना है कि जितने भी सफाई कर्मचारी भाई हैं, सब दलित समाज से हैं, उनकी माँगों को पूरा करें, जो बार—बार वादा किया गया है उनसे, उन वादों को पूरा करें, केंद्र सरकार उनके एरियर्स फौरन पूरे करे, उनको फौरन परमानैंट किया जाए, ये एमसीडी के मेयर... जो कान में जूँ नहीं रेंगने दे रहे, आज की तारीख में कान बंद करके बैठे हुए हैं, इनको सुनना पड़ेगा इस बात को। माननी पड़ेगी ये बात कि जितने भी सफाई कर्मचारी आज अपनी मजबूरियों के चलते सड़क पर उतरे, देखिए, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, इतना काम करने के बाद, तो वो सड़क पे ही आएगा। उसके

पास ओर कोई ऑप्शन नहीं है। सब लोग घर में बैठके कह देते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं पर जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, कितनी मजबूरी होती है उस आदमी की कि वो सफाई कर्मचारी बना है, मजबूरी के चलते, और मजबूर बनाया जाता है जब उसे तनख्वाह नहीं मिलती, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो हड़ताल करे।

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, अब कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री नितिन त्यागीः बिल्कुल सर, कन्क्लूड कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है... केंद्र सरकार से हाथ जोड़के विनती है, हमारे इन साथियों के घरों में चूल्हे जलने दें, उन्हें इज्जत से रोटी कमाने दें, जो भी काम वो करते हैं, शायद डिग्निटी ऑफ लेबर की बात है, हमें ये डिग्नटी ऑफ लेबर लानी पड़ेगी सर, इस काम में भी। उनको डिग्निफाई करना पड़ेगा इस काम के लिए भी, उनको वो इक्विपमैंटस भी उन्हें देने पड़ेंगे, जिनको परमानेंट करना है, उन्हें परमानेंट भी करना पड़ेगा, उन्हें भीख न माँगनी पड़े, उन्हें हक की तरह से ये मिले, ये केंद्र सरकार और एमसीडी, मेयर्स सबसे विनती है हाथ जोड़के।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, श्री विशेष रवि जी, बहुत संक्षेप में रवि जी, प्लीज।

श्री विशेष रविः धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, आज का विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें सफाई कर्मचारियों को नियमित और उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, सर ये विषय मूलभूत सुविधाएं या नियमित करने से ज्यादा मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। देश की राजधानी और जहाँ केंद्र सरकार खुद है, वहाँ पर अगर निगम के कर्मचारियों को, उनको नियमित करने के लिए, अपनी

माँगों को पूरा कराने के लिए अगर हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है तो सच में ये निगम और केंद्र सरकार दोनों के लिए शर्म की बात है!

सर, 2014 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरु किया था और बहुत बड़ी रकम इस काम के लिए निर्धारित हुई थी। सीएजी का कल, वित्त मंत्री जी ने सब कल यहाँ जानकारी दी, हम लोगों ने पढ़ा, आज अखबार में भी है। 40 करोड़ 31 लाख रुपए सिर्फ दिल्ली के अंदर निगमों को दिया गया था शौचालय बनाने के लिए। सर, ये रिपोर्ट बता रही है कि एक भी... 2014 के अंदर दिए गए पैसे का एक रुपया भी जो है, खर्च नहीं हुआ है, दिल्ली के अंदर एक भी शौचालय नहीं बना। सर, ये बताता है कि निगम में बैठी हुई भाजपा सरकार की नीति और नीयत कैसी हैं। ये बताता है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, लोगों से वोट लेने के लिए तो हम खड़े हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, बड़ी–बड़ी रैलियाँ करते हैं लेकिन जब अपना काम करने की, अपनी ड्यूटी निभाने की बात आती है, तब हम पीछे हट जाते हैं। सर, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसी राजधानी में माननीय उच्च न्यायालय को दलितों के लिए बने हुए कानून का दुरुपयोग तो दिख रहा है, उसका मिसयूज तो दिख रहा है, उसके संज्ञान तो ले रहे हैं लेकिन यहीं दिल्ली में होने के बावजूद भी, सर, तीन साल तो मुझे हो गए विधायक बने हुए, 3 साल के अंदर छः महीने, ऐसा छः महीने पीरियड कोई नहीं गया, जब ये लोग सफाई कर्मचारी भाई जो हड़ताल पे नहीं गए। तो इसी दिल्ली के अंदर बैठी हुई माननीय उच्च न्यायालय को, इन हमारे दलित भाइयों के लिए बने हुए कानून का दुरुपयोग तो दिख रहा है लेकिन उनके अधिकार, उनके मूल हक, अधिकार की चिंता वो नहीं कर रहे, उसको वो नहीं देख रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन के नेता, विपक्ष के नेता यहाँ उपस्थित हैं, सर, हम लोग बहुत

जूनियर हैं। तीन साल अभी हुए हैं आए हुए तो हम इनकी तरफ देखते हैं, हम इनकी तरफ देखते हैं और इस लिहाज से देखते हैं कि हम कुछ सीखें इनसे, क्योंकि जब सारा विपक्ष जब इतना बड़ा हो, तो बहुत कम स्कोप बचता है सीखने के लिए, जानने के लिए कि हमारी, हमारे काम में कहीं कमी है, उसको जो है, वो कैसे उठा रहे हैं, वो कैसे देखते हैं। तो हम ऑब्जर्व करते हैं इनको, लेकिन हम जब देखते हैं कि जब हमारी सरकार की छोटी से छोटी जो है, बारीक चूक भी नहीं होगी, उसपे वो इतना अड़ियल हो जाते हैं, इतना वो जो है, हंगामा करते हैं लेकिन अपनी ही सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक एमसीडी, निगम के, इतनी बड़ी–बड़ी खामियों के लिए कभी वो बात उठाते नहीं देखा हमने। सिरसा जी कल कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है, इतने–इतने, बड़े–बड़े वो बोर्ड लगाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, 15–16 दिन हो गए निगम के अंदर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनकी माँगे पूरी नहीं हो रही, वो हड़ताल पे बैठे हैं। क्या उन्होंने एक भी बोर्ड लगाने की जहमत उठाई, क्या उन्होंने मीडिया में आके कुछ कहने की बात करी? उधर हम जूनियर जो अभी–अभी जुड़े हैं इस फील्ड से, जब हम इनकी तरफ देखते हैं, विपक्ष की तरफ देखते हैं जो सीनियर लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए, हमें बहुत निराशा होती है, हमारा मनोबल गिरता है कि और दिखता है कि सिर्फ राजनीति के अलावा आप कुछ नहीं करते हैं। तो सर, मेरी ये प्रार्थना है कि निगम जो साफ दिख रहा है... एमसीडी में जो भाजपा की सरकार है, वो साफ दिख रही है कि वो इसको ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। इनकी रीति–नीति, कार्यशैली पूरी तरह ठप्प है, अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। अधिकारी मालामाल है, काउन्सलर मालामाल है लेकिन डिपार्टमैंट कंगाल है, इस कार्यशैली पर अगर वो काम कर रहे हैं तो इस बात पर विचार करना चाहिए कि इन निगम की सरकार को बर्खास्त किया जाए और दिल्ली के अंदर दुबारा चुनाव

किए जाएं ताकि निगम में सही, अच्छी सरकार आए और वो सेवा लोगों को दे सके, बहुत–बहुत शुक्रिया, जयहिन्द, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। मुझे मनोज जी, राजेश जी, अनिल बाजपेयी जी से भी निवेदन प्राप्त हुए थे लेकिन समय अभाव में मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, दिल्ली में सफाई कर्मचारियों... नॉर्थ दिल्ली कोर्पोरेशन में सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक है और जिसके कारण दिल्ली में सफाई की व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है कूड़े के ढ़ेर लगे हुए हैं और जो प्राइवेट एजेंसी है, आउटसोर्स जो किया गया है ढलाव से, कूड़ा उठाने का जो काम जिनकी जिम्मेदारी है, उनको भी वो काम कर्मचारी प्रोटेस्ट के कारण नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमारी जो माँगें हैं, सरकार का ध्यान तभी आकर्षित होगा जब उसका सही सबूत जनता के बीच में, सरकार के बीच में आएगा। कहने का अर्थ ये है कि सफाई कर्मचारी बहुत ही उग्र रूप से और जिस तरह से भूख हड़ताल जारी है, अगर हम गहराई से उनकी समस्याओं को देखे तो वो कष्टदायक है। क्योंकि जब कष्ट होता है तो फिर इस तरह के बड़े कदम उठाए जाते हैं। इसलिए मैं उनकी और हमारे सभी साथी, हमारा दल, उनकी भावनाओं की कद्र करता है और उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जो माँग है, जस्टीफाइड हैं, उन माँगों के लिए कोई तुरंत कार्रवाई नहीं कही जा सकती। हड़ताल... उसके लिए उन्होंने काफी समय इंतजार किया है और वो इंतजार महीने दो महीने का नहीं है, वर्षों का भी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। मामले की गंभीरता ये है कि अगर हम राजनीति से ऊपर उठकर बात करें तो दिल्ली नगर निगम इस शहर की नागरिक सुविधाओं के लिए एक अभिन्न अंग है और जो सेवाएं नगर निगम के माध्यम से लोगों के

पास जाती है, वो दुरूस्त रहें इसकी जिम्मेदारी भी हम सबकी है। हम सब जानते हैं कि नगर निगमों की आय के साधन सीमित हैं। जिस जल्दबाजी में 2012 में नगर निगम का ट्राइफरकेशन किया गया, तीन हिस्सों में उसको बाँटा गया, मैं उस समय की सरकार के उस कदम की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। क्योंकि कोई भी संस्था सही रूप में काम करने की स्थिति में तब आएगी, जब उसकी फाइनेंशियल वाएबिल्टी की तरफ हम ध्यान देंगे। अगर वो वाएब्ल नहीं है, अगर कोई ये कहे कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया और वो संभव है तो फिर कितना भी बड़ा आमदनी क्यों न हो, कितना भी बड़ा कम खर्चा क्यों न हो, लेकिन आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया तो वो कभी संस्था नहीं चल पाएगी। अब ये विवाद का विषय है कि खर्चा रुपया क्यों है? ये विवाद का विषय है, वाद–विवाद हो सकता है कि आमदनी अठन्नी क्यों है? लेकिन ये वास्तविकता है। इसी वित्तीय संसाधनों की क्योंकि नगर निगमें ना सिर्फ दिल्ली की अपितु पूरे देश की, ये माना गया है कि नगर निगमें प्रायः वित्तीय संकट में रहती हैं और इसलिए 1989 में बालाकृष्णन रिपोर्ट के आधार पर जब भारत के संविधान में संशोधन हुआ और ये सुनिश्चित हुआ कि तृतीय थर्ड टियर गवर्नमेंट है, पंचायती राज व्यवस्था है, उसको मजबूत करने के लिए नगर निगम व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ और जिसमें जोड़ा गया कि स्टेट फाइनेंस कमिशन जो है, वो उसका ध्यान करेंगी और चूंकि दिल्ली में तो अब तीन नगर निगम हैं, फिर एनडीएमसी है, कैंटूनमैंट हैं; पाँच के करीब नगर निगम निकाय है। लेकिन किसी समय में तो एमसीडी पूरा एक था, 97 परसेंट के करीब बाकी तीन परसेंट में बाकी सब कुछ था। लेकिन बाकी प्रदेशों में बहुत, बहुत सारी नगर निगमें हैं। तो होता क्या था कि एक पार्टी की सरकार जिसकी कि प्रदेश में आती थी, जो उसके नगर निगम निकाय होते थे, जहाँ उनका राज होता था, वहाँ वित्तीय संसाधन पहुँच जाते थे,

जहाँ नहीं होता था, वहाँ एक राजनैतिक प्रतिद्वंदिता में वो हिस्से उसके सफर करते थे। लेकिन जिस तरह से सैण्ट्रल फाइनेंस कमिशन है, उसी तरह से स्टेट फाइनेंस कमिशन; राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया और 1996 में उसको कांस्टिट्यूट किया गया, पहला कांस्टिट्यूट किया गया। 2001 में जिसकी रिपोर्ट आई, जिसके आधार पर नगर निगमों को वित्तीय संसाधन दिए गए जिसमें एजूकेशन की ग्रांट की बात आई, ग्लोबल शेयर की बात आई और बहुत सारी चीजें आईं। फिर उसी तरह से 2006 में फिर 2011 में, 2011 के समय ट्राइफरकेशन हुआ तो उसको 2012 में रिफॉर्म किया गया, 2013 में जाकर के वो इंप्लीमेंट हुआ। चौथा फाइनेंस कमिशन आया... मैं बार–बार कहता रहा, दो बार ऑलरेडी कोर्ट जा चुका हूँ, फाइनेंस कमिशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए और मैं हमेशा ये कहता रहा कि निगमों को वित्तीय रूप से अगर हमने वॉएबल नहीं बनाया तो हम सब लोग एक ही बोट पर सवार है। दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, हम सब उसकी भरपाई करने के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं, नागरिक होने के नाते भी।

अध्यक्ष जी, अभी जो स्थिति है, मैंने पूरी स्थिति को स्टडी किया और बहुत ही खुशी की बात है तो मुख्य मंत्री महोदय यहाँ स्वयं उपस्थित हैं, इसमें तीन तरह के सफाई कर्मचारी हैं; एक रेगुलर एम्पलाई है, जिनको रेगूलर कर दिया गया है। उसके बाद है डेली–वेजर्स, जो रोजाना काम पर आते हैं लेकिन वो डेलीवेजर्स कहलाते हैं और एक होते हैं, लीव सब्सिट्यूट यानी कि अगर कोई सफाई कर्मचारी छुट्टी पर है, तो वो उसकी जगह पर काम करते हैं और वो इतने ही दिन काम करते हैं जितने दिन वो कर्मचारी छुट्टी पर है। अगर मान लीजिए दो दिन की छुट्टी पर है तो उनको दो दिन काम मिलेगा, तीन दिन की छुट्टी पर है, तो तीन दिन काम मिलेगा, अगर एक दिन की छुट्टी पर है तो एक दिन काम मिलेगा।

जो रेग्यूलर एम्पलाई है, उसकी जो समस्या है, उसको अपने एरियर्स चाहिए। क्योंकि जब से उसको रेग्यूलर किया गया है और जो उसके पेंडिंग इश्यूज हैं, वो उसको चाहिए।

दूसरा जो लीव सब्सिट्यूट है, उसको 522 रुपये पर डे यानी कि जिसे एक दिन या दो दिन या चार दिन या महीने में 5–7 दिन का काम मिलता है, उसको प्रत्येक दिन के हिसाब से 522 रुपये दिए जाते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा सफरर हैं, डेलीवेजर जिसको मिनिमम वेज के हिसाब से पैसा दिया जाता है। अब सफाई कर्मचारियों की माँग मुख्य मंत्री जी, बहुत ही जायज है, उनका कहना है कि अगर हम डेलीवेजर हैं लेकिन हम काम तो बाकी रेग्युलर एम्पलाइज की तरह करते हैं, पूरा समय आते हैं। हमारी ड्यूटीज उसी तरह से तय है, हमारी बीट भी उसी तरह से तय है। लेकिन हमारी सैलरी मिनिमम वेज पर आधारित है। हमें रेग्यूलर जितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए अगर हमें रेग्यूलर नहीं कर रहे इमिजिएट, तो कम से कम रेग्युलर जितनी तनख्वाह तो दीजिए और तीसरा जो सातवाँ जो पे कमिशन आया है, उसके अनुसार उनके जो एरियर्स बनते हैं, वो उनके दिए जाएं। मैंने इसके और तह में जाकर जो बातचीत की तो मोडिफाइड ऐश्योरड कैरियर प्रोग्रेशन यानी कि समय–समय पर उनको भी प्रमोशन चाहिए और वो प्रमोशन स्केल में होती है, तनख्वाह में होती है एक तरह का वो मोरेटोरियम कहिए उसको या एक तरह का उनको एन्क्रेजमैंट कहिए या मोटिवेशन कहिए, 341 करोड़ रुपया तो चाहिए रेगूलराइजेशन के प्रपज से जिससे कि ये समस्या हल हो सकती है। 277 करोड़ रुपया चाहिए मोडिफाइड ऐश्योरड कैरियर प्रोग्रेशन के मद में और 147 करोड़ रुपया चाहिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनके एरियर्स वगैरह देने के लिए। ये कुल मिलाकर के 765 करोड़ रुपया बनता है, बहुत ज्यादा नहीं है, 765 करोड़ रुपया

बनता है। अगर ये 765 करोड़ रुपया वहाँ मिल जाए और तो मुझे लगता है कि समस्या का समाधान... हम सेहरा आपके सर बाँधेंगे, इसी सदन में आपका धन्यवाद करेंगे। लेकिन एक बार बैठाकर, आप जो वित्तीय रूप से आवश्यकताएं हैं, चाहे आप उसको एक प्रकार से इसको लोन जिसको कहते हैं कि जो केरी फारवर्ड हो जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, आपको वापस मिल जाए उसको वेज ऐण्ड मीन्स लोन कहते हैं। उसके माध्यम से अगर कुछ हल निकल सकता है... लेकिन कुछ उनकी जो क्वार्टरली इंस्टालमेंट्स हैं, इसके हिसाब से फाइनेंस कमिशन की जो ग्रांट के हिसाब से वो आप अगर इस फाइनेंशियल ईयर की पहले देकर के कुछ हल निकाल सकें। क्योंकि देखिए चौथे वेतन आयोग का भी अभी लागू नहीं किया गया, अगर वो भी लागू होता तो 1500 करोड़ रुपया आज थर्ड फाइनेंस कमिशन के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है नगर निगमों को। नगर निगमों को सहयोग करना, ये आज की तारीख में बहुत आवश्यक है और ईस्ट दिल्ली कार्पोरेशन की तो स्थिति ये है कि वो संभव ही नहीं है। आपने एक सर्कुलर निकाला था, मेरे पास उसकी कापी है और ये सर्कुलर आपका है; 4 फरवरी 2016 का और ये जो सर्कुलर सरकार ने निकाला था, उसमें भी सरकार ने पूरा स्टडी किया था। उसमें कई तरह की बातें नगर निगम के सामने रखी थीं। उसमें ये तक सर्कुलर में निकाला गया कि द सफाई कर्मचारी एण्ड बेलदार्स एंगेज्ड ऑन टैम्परेरी बेसिस विल बी डिस्कन्टीन्यूड इन अ फेज्ड मैनर...

अब सरकार ने खुद 4 फरवरी 2016 को सर्कुलर निकाला क्योंकि सरकार को लगता था कि भई, जो इनके ऊपर लोड है। अगर ये लोड कम नहीं करेंगे तो फिर इनकी जो आय नहीं है, उससे ज्यादा अगर ये खर्च करेंगे तो फिर नगर निगम नहीं चल सकता।

इसी तरह आपने एक डॉयरेक्शन दी थी कि ***The municipal corporation will assess all their schemes and not increase the scope of scheme and its liability. No new schemes to be launched without approval of Govt. of NCT of Delhi.***

अध्यक्ष महोदय, ये भी सरकार ने कहा कि भई, आप नई नई योजनाएं शुरु करने की बात करते हो, फंड पैसे का इशू पर आप खर्चा करने की बात करते हो लेकिन जब दिक्कत आती है तो आप हमारे सामने आते हो। तो कोई भी नई बात शुरु करने से पहले एक बात हमको जरूर दिखाएं कि आप क्या करना चाहते हो। अच्छी बात है, सरकार को पूछना भी चाहिए। सरकार को वित्त संसाधनों के बारे में अगर कोई इस तरह की स्थिति है, क्योंकि वो निर्भर तो अल्टिीमेटली दिल्ली सरकार पर करते हैं। अगर आज आप ग्रांट न दें, आज आप ग्लोबल शेयर न दें तो नगर निगम तो एक दिन भी नहीं चल पाएंगी। बैठ जाएंगी वो। सवाल ये है कि उसमें क्या त्वरित चीजें होनी चाहिए क्या उसकी उनको वो अपनी वर्किंग को इंप्रूव करना चाहिए, ये एक समयबद्ध सीमा का विषय है। ऐसा नहीं है कि आज हम कहेंगे या आज हम उनकी ठीक है, हम कमियाँ निकालेंगे, आप भी कमियाँ निकालिए, हम आपकी कमियाँ निकालते हैं, आप उनकी कमियाँ निकालिए। ये लोकतंत्र है, ये चलता है, ये होगा और ये होना भी चाहिए क्योंकि अगर विपक्ष...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, आप कन्क्लूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक मिनट उनको, उनके कहने से बैठूँगा क्या मैं?

माननीय अध्यक्षः ठीक है, राजनीति में... राजनीति में उलझ गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या उनके कहने से बैठूँगा?

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं बात कह रहा हूँ, बड़े तरीके से।

माननीय अध्यक्षः मैं आपसे कह रहा हूँ।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं आपको... आप उनको बैठाइए न पहले।

माननीय अध्यक्षः आपकी पूरी बात आ गई। कोई बात नहीं बची।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी मैं... आप...

माननीय अध्यक्षः अब इसको कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, ये उनको तो रोकिए ना पहले आप।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए, बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप उनको रोकिए! आप क्या कहना चाह रहे हो?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अलका जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बैठिए। अरे! इसमें दिल्ली सरकार के बारे में भी है। इसमें दिल्ली सरकार के बारे में भी है। फिर अधिकारी आ जाते हैं।

माननीय अध्यक्षः अलका जी, अलका जी, बैठिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः और वहाँ नगर निगम के वहाँ भी अधिकारी हैं। वहाँ भी अधिकारी हैं। यहाँ भी अधिकारी हैं तो वहाँ भी अधिकारी हैं।

माननीय अध्यक्षः अलका जी।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये गलतफहमी में मत रहिए।

माननीय अध्यक्षः नितिन जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बैठिए बैठिए, बैठिए, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब बैठिए प्लीज। बैठिए। पुष्कर जी, बैठिए प्लीज। नितिन जी, बैठिए प्लीज। अलका जी, बैठिए प्लीज, बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपकी जानकारी के लिए...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः प्लीज बैठिए। हाँ, हाँ, प्लीज बैठिए, बैठिए। नितिन जी, बैठिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अरे! बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए पुष्कर जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अलका जी, बैठिए। अलका जी, बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, प्लीज बैठिए। नितिन जी बैठिए। कन्क्लूड करिए, अब कन्क्लूड।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आप इनको बैठाइए पहले।

माननीय अध्यक्षः हाँ, कन्क्लूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दो मिनट, मैं आपको...

माननीय अध्यक्षः देखिए, सारी बात आ गई अब।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, एक...

माननीय अध्यक्षः 15 मिनट हो गए पूरे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अगर मैं 60 सैकेण्ड का 61 सैकेण्ड लूँ तो आप कहिएगा।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बंद कर...

माननीय अध्यक्षः अब बैठिए। जरा प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी देखिए, दो तीन बाते मैं बड़ी साफ कह दूँ। किसी एक चीज को नापने के दो पैमाने नहीं हो सकते। ये सीएजी रिपोर्ट...

माननीय अध्यक्षः भई, अब ये सीएजी का...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक सैकेण्ड...

माननीय अध्यक्षः आप सीएजी पे ले के जाएंगे, मैं इस पर...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं एमसीडी की बात कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः न, ये पीएसी बात करेगी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं सीएजी की नहीं कर रहा।

माननीय अध्यक्षः नहीं भाई, मैं इसपे एलाउ नहीं कर रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं सीएजी की...

माननीय अध्यक्षः आपने इस पर सफाई दे दी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं सफाई कर्मचारियों से जोड़ रहा हूँ, इस बात को।

माननीय अध्यक्षः न, अब इसको... नहीं, इसको विजेन्द्र जी, रख दीजिए। ये फिर राजनीति शुरु हो जाएगी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रहा। आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए।

माननीय अध्यक्षः इस पर जो कुछ कहना है, आप पीएसी को लिखके दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे 60 सैकेण्ड दीजिए। मुझे जो कहना है, मैं 60 सैकेण्ड में कह दूँगा।

माननीय अध्यक्षः हाँ, इसको जो कहना है पीएसी को।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः 60 सैकेण्ड, 60 सैकेण्ड। 60 सैकेण्ड मुझे दीजिए। अध्यक्ष जी, सवाल ये है।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अरे बैठिए बैठिए।

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, बैठिए प्लीज, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, बहुत ही खेद की बात है कि एक बड़ी जैनुइन तरीके से विपक्ष बात कह रहा है। देखिए, सवाल ये है...

माननीय अध्यक्षः बड़ा अच्छा चल रहा था। ट्रैक से उतरते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, जब इस सदन में कल मनीष सिसोदिया जी ने बताया कि अधिकारियों की वजह से सीएजी की रिपोर्ट गड़बड़ है। तो नगर निगम में भी अधिकारियों की वजह से, ये ऐसा नहीं हो सकता? नगर निगम को मैं... राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार हो या सरकार जिम्मेदार न हो। ऐसा नहीं है, एक ही पैमाना होता है।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दो पैमाने नहीं होते। दो पैमाने नहीं होते।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, आपने बात कह ली ना अब?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप ये समझिए... एक मिनट...

माननीय अध्यक्षः जो आप कहना चाह रहे थे, वो अब हो गई।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दो पैमाने मत लीजिए।

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दो पैमाने मत लीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नितिन जी, बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, हमारा ये कहना है... हमारा ये कहना.

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अगर मेरे को... अध्यक्ष जी, मेरी बात तो... मैंने आपसे 60 सैकेण्ड माँगे हैं।

माननीय अध्यक्षः अब हो गया विषय।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः 60 सैकेण्ड की बात हुई, आप घड़ी यहाँ पे... स्टॉप वॉच रख लीजिए अगर मैं... मेरे 20—10 सैकेण्ड 15 सैकेण्ड हुए हैं 45 सैकेण्ड में बात खत्म कर दूँगा।

माननीय अध्यक्षः करिए, आप बात।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, तो उनको कहिए थोड़ा शाँत तो रहें।

माननीय अध्यक्षः उनको बोलने दीजिए आप बात खत्म करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अब फिर अगर... हाँ...

माननीय अध्यक्षः आप पूरी बात करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, इस पूरे मामले में यहाँ भी आप लोग लूट के खा गए हैं फिर। अगर वो लूट के खा गए हैं, आप भी लूट के खा गए हो।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, बैठिए भी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सरकारें लूट के खा गई हैं, तो एमसीडी लूट के खा रही है, तो दिल्ली की सरकार भी लूट के खा रही है। गलतफहमी में मत रहिए आप। बात पूरी होने दीजिए। ये नहीं हो सकता दो पैमाने। यहाँ अधिकारी जिम्मेदार, वहाँ एमसीडी जिम्मेदार। ऐसा नहीं होता। वहाँ भी अधिकारी जिम्मेदार हैं।

माननीय अध्यक्षः गर्ग जी, बैठिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इश्यू ये है कि इस पूरे मामले में।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः उनको अपना आखिरी पूरा कर लेने दीजिए एक बार। अलका जी, बैठिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं हाँ, मैं अध्यक्ष जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अरे! बैठिए भई, क्या हो रहा है ये?

माननीय अध्यक्षः आप बोलिए, अपनी बात रखिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अगर आप बोलेंगे फिर हमारे आदमी भी बोलेंगे, अच्छा रहेगा? आप बताइए।

माननीय अध्यक्षः आपको पूरे 20 मिनट... सख्ती से बोले हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं 45 सैकेण्ड, 15 सैकण्ड हुए हैं। 60 सैकण्ड माँगे थे। अब 45 सैकण्ड भी आप नहीं देने को तैयार तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आपकी गलती है, फिर पूरी बात खुली क्यों?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अलका जी बैठिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पूरी बात ही नहीं सुनते, बोलने ही नहीं देते।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जरा शांत रहे अब। प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अब आप...

माननीय अध्यक्षः बाजपेयी जी, अलका जी, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं अध्यक्ष जी, अंत में मुख्यमंत्री जी से दर्ख्वास्त करूँगा, वो नगर निगम को बुलाएं। मैं भी आने के लिए तैयार हूँ। मुझे बुलाएंगे तो मैं भी आऊँगा। नगर निगम को बुलाएं, अधिकारियों को बुलाएं, कर्मचारियों को बुलाएं और इसका कोई सार्वभौमिक एक सर्वमान्य इसका कोई एक हल निकालें। जिससे दिल्ली में सफाई व्यवस्था सुचारू हो सके। राजनीति आरोप प्रत्यारोप तो आप कितने भी करिए, करते रहिए। मेरा इतना ही कहना है, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी।

माननीय मुख्य मंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरी दिल्ली के लिए और पूरे समाज के लिए और सारी पार्टियों के लिए शर्म की बात है कि आज हमारे पाँच सफाई कर्मचारी भाई इंडेफिनेट फास्ट में अनशन पे बैठे हुए हैं, आज 16वां दिन है उनके अनशन का। परसों मेरे से ये लोग मिलने के लिए आए थे। इनकी जो माँग है, बिल्कुल बेसिक माँग है कि भई, हमें पक्का करो। बीस बीस साल से कई कर्मचारी नगर निगम में काम कर रहे हैं और आज तक वो कच्चे हैं, उनको मिनिमम वेज

पे वो लोग काम कर रह हैं। अब उनके बच्चे बड़े हो गए। अब उनकी शादियाँ कैसे करेंगे। घर का खर्चा कैसे चलाएंगे और जो कच्चा कर्मचारी है, वो तो उसको कभी भी निकाला जा सकता है। तो जाहिर है कि उनकी माँग बिल्कुल जायज है।

इसमें दो मुद्दे निकलते हैं एक तो ये कि हम सब लोग जानते हैं, एमसीडी के अन्दर बीजेपी की सरकार है। आज अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार होती, मुझे लगता है, ये सारे पक्के हो गए होते। इनको... दो मुद्दे... एक तो बीजेपी का सफाई कर्मचारियों के प्रति, दलितों के प्रति क्या रवैया है और दूसरा जो इस टाइम पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो रही है, दिल्ली के प्रति इनकी क्या जिम्मेदारी, ये लोग समझते हैं। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से, जब से केन्द्र में भी बीजेपी की सरकार आई है और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, दलितों के ऊपर पूरे देश में अत्याचार बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर ही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का करैक्टर ये है कि वो पूरी तरह से दलित विरोधी हैं, वो दलितों को अछूत मानते हैं, वो दलितों को...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, प्लीज बैठिए। विजेन्द्र जी, आप बैठिए। ये अब बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, बैठिए प्लीज, बैठिए। विजेन्द्र जी, बैठिए आप, प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मतलब सारी सच्चाई देश के सामने आ रही है। ये तो सारी सच्चाई देश के सामने आ रही है। नहीं, ये देश के सामने आ रहा है सब कुछ, बैठिए, प्लीज। बैठिए, माननीय सीएम साहब को बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी, आप बैठिए प्लीज, बैठिए। प्लीज बैठिए। बैठिए प्लीज। बैठिए, माननीय सदस्य बैठें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए प्लीज, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अछूत, गैर, संसदीय शब्द नहीं हैं। अछूत कोई गैर, गैर संसदीय शब्द नहीं है बैठिए, प्लीज। नहीं आप बैठिए प्लीज। बैठिए विजेन्द्र जी। नहीं अछूत, अछूत गैर संसदीय शब्द नहीं है। नहीं वो गैर संसदीय शब्द नहीं है। अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है। बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, बैठिए। विजेन्द्र जी, आप बैठिए प्लीज। ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है। बिना तथ्य के।

माननीय मुख्य मंत्रीः सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। सचाई बहुत कड़वी होती है।

माननीय अध्यक्षः ये वर्ड अनपार्लियामेंट्री नहीं है। ये वर्ड अनपार्लियामेंट्री नहीं हैं, बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो नहीं बैठेंगे, चलिये। बाकी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है, बैठें, प्लीज बैठें। माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलने दें।

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। मैं, लीडर आफ अपोजिशन का जो गुस्सा सच्चाई सुनने के बाद आया, उसको समझ सकता हूँ। पिछले तीन चार सालों के अंदर जिस तरह से दलितों के कत्ल हो रहे हैं, दलितों के ऊपर...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, आप व्यक्तिगत ले के जा रहे हैं, ये मामला ठीक नहीं है। नहीं, ये व्यक्तिगत, उन्होंने पार्टी का नाम लिया है? उन्होंने पार्टी का नाम लिया है? पार्टी का नाम लिया है? क्यों नहीं है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत लेके जा रहे हैं बार–बार, और यही दिक्कत आती है। उन्होंने पार्टी का नाम लिया है।

माननीय मुख्य मंत्रीः और अध्यक्ष महोदय, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि परसों पूरे देश के अंदर जब दलित आंदोलन हुआ तो जितने, जितनी मौतें हुईं, वो सारी की सारी बीजेपी शासित राज्यों के अंदर हुई। ये महज इत्तेफाक नहीं हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है। मैं तो ये सोच रहा

था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनकी कितनी दूरदर्शिता थी... उन्होंने संविधान में लिख दिया सारे बराबर हैं, उन्होंने संविधान में लिख दिया कि सबका वोट होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर बाबा साहब अम्बेडकर अगर दलितों का आज वोट नहीं होता, ये बीजेपी वाले उनका क्या हाल करते... ये मैं सोच के भी कई बार मेरी रूह काँप उठती हैं। उनकी सोच ऐसी है। सिरसा जी का जो स्टेटमेंट था, वो उसी मानसिकता को दर्शाता है, वो बाइ चांस नहीं निकला था वो अंदर है। दिल के अंदर है, उस किस्म की भावना।

अब हम आते हैं, दिल्ली की जो इन लोगों ने व्यथा कर दी है। स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत एक इवेंट मैनेजमैंट हो गया है कि चार आदमी खड़े होके झाडू दिखायेंगे। स्वच्छ भारत के तहत पूरे देश में एक गली साफ हुई हो, तो मेरे को दिखा दो। एक गली साफ नहीं है। इन्होंने पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपये फूँक दिये स्वच्छ भारत के नाम पे। एक गली साफ नहीं हुई पूरे देश में। क्यों नहीं हुई? कौन करेगा? ये फोटो खिंचाने वाले थोड़े करेंगे, करना तो सफाई कर्मचारियों ने हैं, सफाई। उनके साथ अन्याय करोगे, उनको उनका हक नहीं दोगे, उनका सम्मान नहीं करोगे, कभी नहीं हो सकता तुम्हारा स्वच्छ भारत। भारत कभी स्वच्छ नहीं हो सकता जब तक सफाई कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिया जायेगा, उनका सम्मान नहीं दिया जायेगा। आज बड़े शर्म की बात है कि हमारे पाँच भाई इन्डेफिनिट फास्ट पे बैठे हुए हैं। मैं, एक तो यूडी मिनिस्टर यहीं है, मैं इनको आज पूरे सदन में निर्देश देता हूँ कि डायरेक्टर लोकल बॉडीज को तुरंत डायरेक्शन इश्यू की जाये कि वो तीनों एमसीडी को डायरेक्शन दें कि सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाये।

दूसरा, पक्का करने के निर्देश हम दे सकते हैं, पक्का करना आपने है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पहले वाले तो पहले कर लो ना।

माननीय मुख्य मंत्रीः उसपे भी आ रहा हूँ मैं। अपने वालों पे भी आ रहा हूँ मैं। हाँ, चिंता न करो, उसपे भी आ रहा हूँ। न न, सारी चिंता, सारी बात करेंगे, इनके सारे वादे...

... (व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्रीः मेरा दुःख ये है, हम गेस्ट टीचर्स को भी पक्का करना चाहते थे। सर्विसेज हमारे पास नहीं हैं, हम गेस्ट टीचर्स को भी पक्का करना चाहते थे। हमने कहा, भई, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया, भई गेस्ट टीचर्स को पक्का करेंगे। तो बोले, नहीं–नहीं, तुम्हारी तो पॉवर ही नहीं है, तो हमारी पॉवर नहीं है, तो तुम्हारी पॉवर है, तुम कर दो। या तो तुम कर दो या हमें करने दो। दोनों में से एक तो कर दो। या तो तुम कर लो या हमको करने दो। हम करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी पॉवर नहीं है। खुद करते नहीं हो। जब तुम कर दो तो कहते हैं, नहीं तुम करो। मतलब ऐसे दोगले लोग देखे नहीं। तो अच्छा... ये इनको समझना पड़ेगा बीजेपी कि बीजेपी की ये कोर वैल्यू है कि ये पक्के कर्मचारी रखना नहीं चाहते। आप गुजरात देख लो, सारे कच्चे में हैं, सारे कच्चे में हैं। हरियाणा, में मैं अभी गया था सारे कच्चे में रख रहे हैं ये। दिल्ली के अंदर आज सर्विसेज हमारे पास आ जाये, पक्का कैसे करते हैं, हम करके दिखायेंगे तुमको। हमारी सरकार ने 49 दिन की सरकार ने कमिटी बैठा के गये थे पक्का करने के लिए और जैसे ही दोबारा हमारी सरकार आयी थी, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था, प्रिंसिपल्स ले–डाउन कर दिये थे, एक एक डिपार्टमेंट पक्का करने की तैयारी कर रहा था, इतने में वो दिल्ली का गलत ऑर्डर आ गया कि सर्विसेज इनके पास नहीं हैं। तो एक तो तुरंत पक्का किया जाये। तो हम आदेश दे देंगे, करोगे? करोगे? माइक खोलो भाई, माइक खोलो। हाँ

या नहीं? भई, ये हमारी सरकार एक मिनट... दो चीजें अलग अलग, एक मिनट... एक मिनट... एक मिनट... एक मिनट... एक मिनट सर।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप ये बताओ, हाँ तीन साल में दिल्ली की सरकार के पास पचास हजार करोड़ का बजट है, आपने कितने लोगों को पक्का किया?

माननीय मुख्यमंत्रीः तो मैं तो कह रहा हूँ कि पक्का करने के सर्विसेज.

श्री विजेन्द्र गुप्ताः वही, जब नहीं करना होता है, ऐसे ही कहा जाता है। जो काम आपको करना होता है, वो आपने बोल दिया अभी कि डायरेक्शन दो, अभी आपने यूडी मिनिस्टर को बोला ना डायरेक्शन देने को, तो जो आपको काम करना होता है, वो आप करते हो अदरवाइज नहीं करते हो आप।

माननीय मुख्यमंत्रीः अच्छा चलो, गेस्ट टीचर्स को पक्का करने में क्या प्रॉब्लम है?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः यही मैं कह रहा हूँ कि आप करना ही नहीं चाहते। अगर आप करना चाहते होते तो हो जाता।

माननीय मुख्यमंत्रीः मैं... एक मिनट... एक मिनट... मुझे पूरा यकीन है आज की ये प्रोसीडिंग सारे सफाई कर्मचारी देख रहे होंगे, वो देख लेंगे; दूध का दूध और पानी का पानी। सामने पूछा, मैंने सबके सामने पूछा, गेस्ट टीचर में भी पूछा था, सारे गेस्ट टीचर्स ने देखा था, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स ने। मैंने इनसे पूछा करना है या नहीं करना, चुप हो गये। आज भी मैं पूछ रहा हूँ, हम डायरेक्शन दे रहे हैं, करोगे, नहीं करोगे? कह रहे हैं, पहले अपने करो। अरे! हम अपने कर लेंगे, तुम अपने करो। अच्छा, एक मिनट.

दूसरी बात उसके बाद आती है एरियर्स की, तो मैं कह रहा हूँ कि पहले पक्के करो, एरियर्स के लिए मैं आज पक्का समाधान सदन के सामने रख रहा हूँ। पहली चीज तो ये दिल्ली सरकार के पास अनाप–शनाप पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार भी... ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है, हम अपने पैसे को जिम्मेदार तरीके से कर रहे हैं। कुछ सीखो हमसे कैसे जिम्मेदार तरीके से, कैसे जिम्मेदार तरीके से अपनी सरकार चलाई जाती है।

दिल्ली के लोग टोटल डेढ़ लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स देते हैं, डेढ़ लाख करोड़ रुपये का 1 डेढ़ लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स देते हैं। केन्द्र सरकार ने अभी अभी सैंट्रल फाइनेंस कमिशन बनाया है। जैसे ये फाइनेंस कमिशन! फाइनेंस कमिशन! चिल्लाते हैं। केन्द्र सरकार ने अभी फाइनेंस कमिशन बनाया है कि केन्द्र सरकार जो इनकम टैक्स इक्ट्ठा... केवल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो इक्ट्ठा करती है, केन्द्र सरकार उस पैसे को अलग अलग राज्यों के बीच में कैसे बाँटा जाए, उस पैसे को इनकम टैक्स... आप लोगों की उसके लिए बता दूँ जानकारी के लिए, इनकम टैक्स सारा कलेक्ट केन्द्र सरकार करती है, केन्द्र सरकार एक भी पैसा उसमें से खर्च नहीं कर सकती। वो सारा का सारा पैसा राज्यों के अंदर बाँटा जाता है। डेढ़ लाख करोड़ रुपये दिल्ली से इक्ट्ठे किये जाते हैं और जो...

... (व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्रीः यार! सुनने की थोड़ी क्षमता रखिए, जब आप बोल रहे थे, मैं भी नहीं बोल रहा था। थोड़ी सी... तो आप उनके भी..

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, ये ठीक नहीं है। मुख्य मंत्री जी जब बोल रहे हैं तो शालीनता रखनी चाहिए, शालीनता रखनी चाहिए, प्लीज।

मुख्यमंत्रीः डेढ़ लाख करोड़ पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है, जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स इक्ट्ठा करके देता है। मतलब पूरे पूरे राज्य, बड़े बड़े राज्य, हरियाणा से, पंजाब से, फलाने, ढिंके सारे राज्यों से सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दिल्ली के लोग देते हैं; डेढ़ लाख करोड़ रुपया... तो जो सैन्ट्रल फाईनेन्स कमीशन बैठाया जाता है, वो ये तय करता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा इस इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स टोटल नौ लाख करोड़ रुपये देश में इकट्ठा होता है। उस नौ लाख करोड़ रुपये में से डेढ़ लाख करोड़ रुपये दिल्ली के लोग देते हैं। जो लिस्ट दी है, केन्द्र सरकार ने सैन्ट्रल फाईनेन्स कमीशन को कि भई, इन राज्यों के बीच में पैसा बाँटना है, उसमें दिल्ली का नाम नहीं है। डेढ़ लाख करोड़ रुपये देते हैं, हमारा इतना तो हक है कि हम साफ–सफाई में जीवन जिएं। इतना तो दिल्ली के लोगों का हक है उस डेढ़ लाख करोड़ में से। दो हजार करोड़ तो दे दो। हमारा नाम तो लिख दो। हमारा अस्तित्व ही नहीं है दिल्ली का। कहते हैं यूनियन टैरीटरी है। यूनियन टैरीटरी का 100 परसेन्ट बजट केन्द्र सरकार देती है तो सारा पैसा तो हमको बावन हजार करोड़ रुपया दो हमारा फिर। जो हमारा पूरा बजट है। या तो पूरा बजट या तो हम यूनियन टैरीटरी हैं या हम स्टेट। हमको जब पैसा देना होता है तो न तो स्टेट मानते हैं और न यूनियन टैरीटरी मानते हैं। अगर यूनियन टैरीटरी है दिल्ली, तो बावन हजार करोड़ रुपया दो और अगर स्टेट है तो उस लिस्ट में लिखें कि डेढ़ लाख करोड़ रुपये में से हमारा कितना हक बनता है। एक नया पैसा नहीं देते, हमारा नाम ही नही है उस लिस्ट में। मैंने देखा अभी, वेबसाईट पर जाके। हम कोर्ट में जाएंगे इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट

जाएगी दिल्ली सरकार इसके लिए और अपना हक माँगेगी। जो हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। दिल्ली के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। हमारा पैसा आप अब जाके... केन्द्र सरकार को कहो, आप हमसे फाईनेन्स कमीशन का पैसा माँगते हो। केन्द्र सरकार से फाईनेन्स कमीशन का पैसा दिला दो। अगले 50 परसेंट तुम्हारा एमसीडी का। 50 परसेंट दिल्ली सरकार का, 50 परसेंट तुम्हारा। जितना आप दिलावोगे, उसका 50 परसेंट तुम्हारा। आप नाम लिखवा दो हमारा टर्म्स ऑफ रेफ्रेंस सैन्ट्रल फाईनेन्स कमीशन है। चलो ये तो हो गयी लम्बी बात। ये तो न तो तुम करने वाले और न होने वाला। पर करेंगे हम इसको। कोर्ट में ले के जाएंगे।

दूसरी बात जो हो सकता है। पहले थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूँ। ये कह रहे थे, फाईनेन्स कमीशन! फाईनेन्स कमीशन! फाईनेन्स कमीशन! 2013–14 में किसकी सरकार थी? काँग्रेस की। नार्थ एमसीडी को काँग्रेस की सरकार ने आठ सौ करोड़ रुपये टोटल दिये। 2014–15 में किसकी सरकार थी? बीजेपी की। प्रेसीडेन्ट रूल था। इन्होंने काँग्रेस से भी कम कर दिये। नार्थ एमसीडी को 545 करोड़ रुपये दिये। काँग्रेसियों ने आठ सौ करोड़ रुपये दिये। इन्होंने 545 करोड़ रुपये दिये और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमने राजनीति नहीं करी। हमने सोचा एमसीडी हमारी है, हमने 1175 करोड़ रुपये, दिये पिछले साल जनवरी तक के और अभी और दिये हैं, पिछले मार्च तक के। लेकिन पिछले साल 2016–17 में 1318 करोड़ रुपये दिये। इन्होंने दिये थे 500, इनसे तीन गुना पैसे दिये हम लोगों ने। तीन गुने पैसे। जितने पैसे इन्होंने दिये थे। भाई जो फार्मूले मेरे को नहीं पता। चौथा फाईनेन्स कमीशन और तीसरा फाईनेन्स कमीशन। जिस फार्मूले से तुमने 545 करोड़ रुपये दिये थे उसी फार्मूले को लगाके हमने तुमसे तीन गुने पैसे दे दिये। पैसे तुमको उतने, 1300 करोड़ रुपये हमने

इनको दिया। हमने पूछा कहाँ खर्च करे। हमने पूछा कहाँ खर्च करे, हिसाब नहीं देते। सारा इनके, उसी तरह से ईस्ट एम.सी.डी. में 2013–14 में काँग्रेस की सरकार थी। उसने दिये 287 करोड़ रुपये काँग्रेस ने। 2014–15 में इनकी सरकार थी। इन्होंने दिये 396 करोड़ रुपये। पिछले साल हमारी सरकार थी, हमने दिया 948 करोड़ रुपये। तीन गुने पैसे दिये, तीन गुने जो इन्होंने. तीन गुने पैसे दिये, खा गये। सारे पैसे खा गये और फिर जब भी इनसे बात करो। पैसा! पैसा! और पैसा! और पैसा! अरे! डूबोगे पैसे के बीच में बैठके? लूट लिया सारा!

अब मैं आपको समाधान बताना चाहता हूँ जी। डीडीए किसका है? दिल्ली के लोगों का है, दिल्ली के लोगों का है। किसी के पिताजी का नहीं है डीडीए। डीडीए ने जमीनें बेच बेच के दिल्ली की, डीडीए को तो जमीन फ्री में मिल गयी। एक कानून पास कर दिया। दिल्ली की सारी जमीन डीडीए की, डीडीए की हो गयी। अब जमीनें बेच–बेच के, जमीनें बेच–बेच के डीडीए के पास एक अरबन डेवलपमैंट फण्ड है, उसमें 21000 करोड़ रुपये पड़े हैं। 21000 करोड़ रुपये! उसको इन्होंने एफडी करा रखा है। उस एफडी का पैसा, केवल एक साल का एफ.डी. का पैसा अगर ये एमसीडी को दे दें, एमसीडी के सारे एरियर पूरे हो जाएंगे। ब्याज, ब्याज, इन्टरेस्ट का, एफडी का इन्टरेस्ट का पैसा। ब्याज–ब्याज के दो–ढ़ाई हजार करोड़ रुपये बनेंगे। अगर केवल ये एफडी के इन्टरेस्ट के पैसे अगर दे दें और वो दे सकते हैं। एलजी साहब के बस की बात है। तो एलजी साहब चेयरमैन, एलजी साहब दे सकते हैं। बोर्ड की मीटिंग बुलाके दे सकते है। इससे समाधान निकल सकता है। वो पैसा दिल्ली के लोगों का है। सफाई दिल्ली की सबसे पहली प्रॉयरिटी है तो ये पैसे से ये किया जा सकता है। ये हमारे यूडी मिनिस्टर सत्येन्द्र जैन साहब ने अभी चिट्ठी लिखी थी। केन्द्र

सरकार देश के सारे राज्यों में हर राज्य को, हर राज्य के म्युनिसिपैलिटी को 488 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से ग्रान्ट देती है। केन्द्र सरकार हर राज्य की म्युनिसिपैलिटी को। जैसे मान लीजिए हरियाणा है। हरियाणा में भिवानी म्युनिसिपैलिटी, हिसार म्युनिसिपैलिटी। उस म्युनिसिपैलिटी में जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से 488 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मल्टीप्लाई करके उतनी ग्रान्ट केन्द्र सरकार उस म्युनिसिपैलिटी को देती है, पूरे देश में। पूरे देश में। दिल्ली को एक पैसा नहीं देते। हमने कहा भाई, 488 के हिसाब से दिल्ली में 2011 के सेन्सस में 1.6 करोड़ जनसंख्या है। 4087 करोड़ रुपये बनते हैं दिल्ली के, 4087 करोड़ पाँच साल के। आप ये पैसा हमको दिला दो। सबेरे दिलाओगे, शाम तक पूरा एमसीडी को दे देंगे। हम एक पैसा अपने पास नहीं रखेंगे। तो दोस्तो! पांच साल के हैं। फाईव इयर्स के हैं। तो दोस्तो समाधान है लेकिन आज मैं इस सदन में ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग सारे कर्मचारियों को पक्का कर देते हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि यूडी फण्ड से और इससे पैसा निकलवा के उनके एरियर दे दें। अगर ये एरियर नहीं देते और पक्का कर देते हैं तो अगली जो ग्रान्ट जाएगी, अगली जो किश्त जाएगी, हम उस पर कंडीशन लगा देंगे कि भईया, ये सारा एरियर के नाम है। इन सफाई कर्मचारियों के। तो आप पक्का तो कर दो कम से कम। उसके बाद एरियर को भी ढूँढ़ेंगे इधर–उधर से। पक्का तो कराओ आप।

अध्यक्ष जी, ये बहुत जरूरी मामला है। तो मैं माँग करता हूँ कि तुरन्त प्रभाव से सभी कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। मैं उन जो पाँच हमारे भाई बैठें हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके हम बहुत ज्यादा चिन्तित हैं। उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप अपना अनशन तोड़ लीजिए। आपकी जिन्दगी हम सब लोगों के लिए बहुत कीमती है। आप

कृपया अपना अनशन तोड़ लीजिए। ये पूरा सदन, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार आपके साथ है। आपके संघर्ष में आपके साथ है। अन्तिम सांस तक हम भी आपके साथ तन–मन–धन से आपका साथ देंगे। आपके संघर्ष में आपका साथ देंगे लेकिन कृपया... ये सदन की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि आप अनशन खत्म कर लीजिए।

माननीय अध्यक्षः आउटकम रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण। संकल्प अब सुश्री राखी बिड़ला माननीय उपाध्यक्ष, ध्यानाकर्षण के विषय से सम्बन्धित संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति लेंगीं।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण के दौरान सदन के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं के दृष्टिगत इस विषय से सम्बन्धित संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

संकल्प पारित हुआ।

अब सुश्री राखी बिड़ला जी को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी।

सुश्री राखी बिड़लाः आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन तीनों नगर निगमों को निर्देश देती है कि जितने भी अस्थाई कर्मचारी हैं, उन्हें अविलम्ब स्थाई

किया जाए। जो हमारे भाई अनशन पर बैठें हैं, ये सदन उनके स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिन्तित है। ये सदन उन सभी से अपील करता है कि वो अपना अनशन समाप्त कर अपना संघर्ष जारी रखें। यह सदन उनकी सभी माँगों का समर्थन करता है, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अब सुश्री राखी बिड़ला जी, माननीय उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

संकल्प स्वीकार हुआ।

आउटकम रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, यह जो ला रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी, यह मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। आज अखबार द ट्रिब्यून में यह एज इट इज छपा है। सदन में आने से पहले सदन का जो डाक्युमेंट था, अगर वो सदन से बाहर पहले ही छप रहा है तो इसका क्या वो निकाला जाए? इस पर अध्यक्ष जी, कॉग्निजेंस लिया जाए।

माननीय अध्यक्षः चलिए, ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः और अध्यक्ष जी...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब श्री मनीष सिसोदिया जी...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सत्तारूढ़ दल ने छिपाया है, इसलिए...

... (व्यवधान)

माननीय उप महोदय के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।

माननीय अध्यक्षः अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्य मंत्री. विजेन्द्र जी, अब समय बहुत कम है। एक सेकेंड विजेन्द्र जी, बैठिए प्लीज। अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्य मंत्री माननीय उपराज्यपाल महोदय के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, माननीय उपराजयपाल महोदय के इंस्टिट्यूशन से संबंधित आउटकम रिपोर्ट कार्ड सदन में प्रस्तुत करने के लिए इजाजत देने के लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ।

महोदय, लोकतंत्र की सबसे जो प्रचलित परिभाषा है, जो सारी दुनिया में कोट की जाती है– 'लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार।' उसका मकसद यही है कि लोकतंत्र में हर पाँच साल में लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि, चुनने का मकसद यह रहता है कि चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हित में कानून और नीति बनाएंगे। अगर लोगों को

लगता है कि चुने हुए प्रतिनिधि उनके हित में काम नहीं कर रहे तो पाँच साल बाद में वो अपना प्रतिनिधि बदल देते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्र में लोगों के प्रति जवाबदेही, लोकतंत्र का हॉलमार्क है। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि और तमाम अधिकारी लोगों के टैक्स के पैसे के कस्टोडियन होते हैं और इसके लिए उनके प्रति जवाबदेह भी होते हैं, लोगों के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। इसमें से अगर चुने हुए लोगों को देखें, वो चाहे एमएलएज हों, एमपी हों, काउंसलर्स हों, पक्ष में हों, विपक्ष में हों, विपक्ष वाले रहे नहीं। ये लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं सीधे–सीधे चुनाव के जरिये और जो अधिकारीगण हैं, वो इन चुने हुए लोगों के प्रति जवाबदेह होते हुए, आज जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। चुने हुए लोग हर पाँच साल में लोगों के प्रति जवाबदेह और जनरल परसेप्शन, जनरल व्यवस्था में अधिकारी लोग चुने हुए लोगों के प्रति जवाबदेह। दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति समर्पित है। इसके लिए सरकार ने दो अभूतपूर्व कदम उठाए हैं; पहला, वित्त वर्ष 2017–18 में आउटकम बजट तैयार किया और वित्त वर्ष खत्म होने के वक्त उसका आउटकम रिपोर्ट कार्ड पेश किया।

दूसरा, इस बजट में यानी 2018–19 के बजट में आउटकम के साथ–साथ टाइम लाइन बजट भी हमने तैयार किया और उसको पेश किया। इसमें सरकार के प्रमुख प्रोजेक्ट्स की समय सीमा तय की गई है। ये दोनों कदम दिल्ली सरकार को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के मकसद से उठाए गए हैं। लोकतंत्र में अध्यक्ष महोदय, हर संस्था का जवाबदेह होना जरूरी है और दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण सरकारी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माननीय उप–राज्यपाल महोदय का संस्थान और उनका कार्यालय भी है। हालाँकि माननीय उप–राज्यपाल

महोदय की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है लेकिन उनके जो भी निर्णय होते हैं, भले ही उनको केन्द्र सरकार एप्वाइंट करती है, उनके जितने भी निर्णय होते हैं, वो दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से बन रही पॉलिसीज को, लोगों के जन–जीवन को प्रभावित करने वाले होते हैं। यह बाकी गवर्नर्स से ज्यादा इंटरवेंशन एलजी महोदय का होता है दिल्ली में। तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि माननीय उप–राज्यपाल महोदय का संस्थान भी जनता के प्रति जवाबदेह हो। माननीय उप–राज्यपाल महोदय के संस्थान की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के मकसद से दिल्ली सरकार पहली बार इस विधान सभा में माननीय उप–राज्यपाल महोदय के ऑफिस का आउटकम रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है। मैं यह रिपोर्ट दिल्ली की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वर्तमान कानूनी व्यवस्था के अनुसार दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से होने वाले काम के संदर्भ में माननीय उपराज्यपाल महोदय के पास दो प्रमुख कार्य हैं; पहला, दिल्ली सरकार के सभी प्रमुख निर्णय माननीय उपराज्यपाल महोदय की मंजूरी से लिए जाते हैं और दूसरा, दिल्ली सरकार के सभी विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ, पदोन्नतियाँ और पदों को भरने संबंधित सभी सर्विसेज मैटर माननीय उप–राज्यपाल महोदय के अधीन आते हैं। उसके अलावा उनके पास पुलिस भी है, डीडीए, लैंड भी है, वो सब भी है। वो भी दिल्ली की जनता के, देश की जनता के टैक्स का पैसा ही है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इस विधान सभा से जाने वाले मैटर्स में... मैंने इसलिए ये बातें कही कि एक तो हम जो भी फैसले लेते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से निर्णय माननीय उप–राज्यपाल महोदय के कार्यालय से लिए जाते हैं... वहाँ से आने पर उप–राज्यपाल महोदय से लिए जाते हैं और दूसरा सभी पदों को भरने संबंधित सर्विस मैटर्स माननीय

उपराज्यपाल महोदय के अधीन आते हैं। तो अपनी इस रिपोर्ट को भी मैंने दो हिस्सों में बांटा है।

भाग–एक में, मैंने उप–राज्यपाल महोदय को भेजे गए विभिन्न पॉलिसी के संबंधों, प्रस्तावों के बारे में बात की है और दूसरे भाग में दिल्ली सरकार के प्रमुख विभागों में विभिन्न पदों की कुल संख्या और वर्तमान में भरे हुए पदों की संख्या, खाली पदों के संबंध को शामिल किया है। रिपोर्ट के पहले हिस्से में मैंने अलग–अलग विभागों से संबंधित उन प्रमुख प्रस्तावों को, मुद्दों को शामिल किया है जो माननीय उप–राज्यपाल महोदय द्वारा मंजूरी की प्रक्रिया में है। या तो मंजूर कर दिए गए हैं या नामंजूर कर दिए गए हैं या उन्हें मंजूरी करने में देरी की जा रही है और दूसरे हिस्से में मैंने दिल्ली सरकार के अलग–अलग विभागों में सर्विस मैटर्स पर चर्चा की है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के 04/8/2016 के आदेश के बाद से दिल्ली में यह कानूनी व्यवस्था है कि सर्विस मैटर्स से संबंधित सभी मामले उपराज्यपाल महोदय के अधीन आएंगे। इसलिए दिल्ली सरकार के सभी विभागों में नियुक्तियाँ करना, रिक्त पदों को भरना माननीय उप–राज्यपाल महोदय की ही जिम्मेदारी बनती है। विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को ठीक से आगे बढ़ाने के लिए स्टाफ की कमी, उन नीतियों को अमल में लाने में अवरोध पैदा करती है और इसका पूरी सरकार के कामकाज पर असर पड़ता है और फिर दिल्ली के लोगों के जन–जीवन पर उसका असर पड़ता है। इसलिए माननीय उप–राज्यपाल महोदय के संस्थान की रिपोर्ट्स में मैंने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों और उन्हें भरने की प्रक्रिया को भी एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर के रूप में शामिल किया है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार जनता के टैक्स के पैसे से चल रहे हर सरकारी संस्थान की जवाबदेही में विश्वास रखती है इसलिए सरकार

ने इस बजट से आउटकम बजट रिपोर्ट कार्ड और टाइम लाइन बजट जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था शुरु करी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं दिल्ली विधान सभा के समक्ष जहाँ से इस सरकार का पूरा बजट पास किया जाता है, वहाँ इस सदन में माननीय उप–राज्यपाल महोदय के कार्यालय का भी आउटकम बजट प्रस्तुत करता हूँ ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह संस्थान भी दिल्ली की जनता के प्रति उतना ही जवाबदेह है, जितना दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से चल रहा और कोई संस्थान। अगर मैं ओवर ऑल बात करूँ तो माननीय उप–राज्यपाल महोदय के पास संविधान के तहत् तीन प्रमुख विभाग हैं; पुलिस और पब्लिक ऑर्डर देखें, जिसको वो पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं, लैंड और माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के बाद चौथा सर्विस विभाग भी उसमें जुड़ा है। बाकी सब कामकाज दिल्ली में जो भी सरकारी कामकाज है, वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में माननीय उप–राज्यपाल महोदय की कोई सीधी भूमिका नहीं है। वो चुनी हुई सरकार के पास में है। उनका काम है चुनी हुई सरकार के काम पर सहमति देना या असहमति होने की स्थिति में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की स्थिति में उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियिन को माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास रेफर करना। यह भी अधिकार उनके पास तब आया है, जब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से, वरना तो चुनी हुई सरकार के पास में पॉवर है। यह उनके... मैं कह सकता हूँ, पूरा जो एलजी इंस्टिट्यूशन है, उसके एक परसेंट, दो परसेंट हिस्से का काम है। उनके हैंडरेट परसेंट हिस्से, 99–98 परसेंट हिस्से का जो काम है वो तो पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, लैंड है। तो डीडीए, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर देखने का काम उनका है। यह उनके 99 परसेंट काम का हिस्सा है जिसके लिए एलजी इंस्टिट्यूशन को इतना पावरफुल बनाया गया। यह तो दिल्ली सरकार है, चुनी हुई सरकार होगी, विधान सभा होगी, उसके काम को मंजूरी देना है, नहीं देना, असहमति

पर राष्ट्रपति महोदय को भेजना है, उसमें कुछ व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जुड़ी, लेकिन यह मैं देखता हूँ उनके एक परसेंट हिस्से का, अगर उनके पूरे फलक्रम में देखें जहाँ उनकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। अगर मैं हण्ड्रेड परसेंट हिस्से वाले पर बात करूँ क्योंकि मेरा रिपोर्ट कार्ड तो मेन रूप से इस सदन से पास बजट के बारे में है लेकिन थोड़ा सा जिक्र एक मिनट लेते हुए, हण्ड्रेड परसेंट हिस्से के या 99–98 परसेंट हिस्से में जो उनके काम आता है एलजी इंस्टिट्यूशन के, उस पर बात करूँ, पुलिस आज दिल्ली में, क्या लोग पुलिस से खुश हैं?

श्री नितिन त्यागीः सर, ओमप्रकाश जी खुद नहीं हैं।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः हाँ, कल मैं पढ़ रहा था, ओमप्रकाश जी आज नहीं हैं। पुलिस डंडे बरसाती है युवाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, पुलिस पत्रकारों के ऊपर... आम आदमी के विधायकों को चुन चुनकर फर्जी एफआईआर कराने और उसके बाद कोर्ट की डांट खाने का काम करती है। कल ही तीन और यहाँ कितने सात मुकदमे इनके और तीन कैलाश भाई के खारिज हुए हैं। तो पुलिस ये कर रही है, पुलिस से कैसे खुश होंगे लोग? रेप, चोरी, चेन स्नेचिंग इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इस सबको देखकर लगता है कि एलजी साहब की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है वहाँ कोई। वो अपनी जिम्मेदारी वहाँ कोई निभा ही नहीं रहे। जब कि उनके ये तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है चुनी हुई विधान सभा और उस विधान सभा से निकली हुई सरकार के अधीन के कार्य हैं। बाकी जिनके बारे में मैं रिपोर्ट करूँगा लेकिन ये तो पुलिस तो उनके पास संविधान के तहत डायरेक्ट सब्जेक्ट है, उसमे तो चुनी हुई सरकार इस विधान सभा का हस्तक्षेप नहीं था, वहाँ कुछ कर लेते। अगर विजन था, कमिटमेंट है तो एलजी इंस्टीट्यूशन को एलजी आफिस को पूरी शिद्दत से कसम खाकर लगना चाहिए कि

ईश्वर ने संविधान में हमको मौका दिया है, हम दिल्ली में पुलिस व्यवस्था को ठीक करके दिखाएंगे और करके दिखाते। वहाँ तो जीरो है। डीडीए को देख लीजिए। पूरी दिल्ली में हम जहाँ मैं अपनी विधान सभा का बोलूँ, आपकी विधान सभा में, सबकी विधानसभा में, जगदीश प्रधान जी की विधान सभा में भी, जहाँ भी डीडीए की लैंड होगी, उस पर आधी पर तो कब्जा हो रखा होगा और मेरी अपनी विधान सभा में प्लाट्स हैं; ऐसे बीस बीस साल से मुकदमे चल रहे हैं, मैंने पूछा क्यों भई? बोले, जी, उनका एडवोकेट ही नहीं जाता। सेटिंग हो रखी है सबकी। मकान पर कब्जा होता जा रखा है धीरे धीरे 25 परसेंट, 50 परसेंट, 75 परसेंट एक दिन सारा हो जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय, जहाँ एलजी ऑफिस को एलजी के इंस्टीट्यूशन को जहाँ संविधान के तहत बड़ी जिम्मेदारियाँ मिली हैं। बड़ी भूमिका की जिम्मेदारी भी है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा और जहाँ उनको आंशिक भूमिका की भी जिम्मेदारी मिली है, उसमे क्या कर रहे हैं, वो उसके बारे में मैं अपने रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत करता हूँ।

एलजी के पॉलिसी प्रपोजल्स जो हमने इंस्टीट्यूशन को दिल्ली सरकार की ओर से गए, उन पर क्या रिपोर्ट कहती है। मैं अपने विभाग, अपनी बात एजुकेशन डिपार्टमेंट से शुरु करूँगा और उसमें भी हायर एजुकेशन। सरकारी स्कूलों में तो हम जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, साथ साथ बड़ी क्लासेज में हायर एजुकेशन में, कालेजेज में, इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग कालेजेज में स्किल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। बेहद गरीब परिवारों के बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या रहती है कि वो अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते। सरकारी संस्थानों में भी फीस है, गैर सरकारी संस्थानों में भी फीस भरनी पड़ती है और भी खर्चे होते हैं और जब वो लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी नहीं मिलता। गारंटी माँगी जाती

है क्योंकि उनके पास गारंटी नहीं होती तो लोन नहीं मिलता। अब बड़ा सवाल यह है कि भई, अगर उसके पास गारंटी देने लायक कुछ उसकी आर्थिक स्थिति होती तो वो लोन ही क्यों ले रहा होता बच्चा। लोन ही इसलिए माँग रहा है कि उसके पास कुछ है ही नहीं। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं है। उसको गारंटी नहीं देते। तो इसलिए सरकार ने स्कीम बनाई कि हम एक ट्रस्ट बनाएंगे उसमे एक कॉर्पस रखेंगे और उस कॉर्पस फंड के जरिए, उस ट्रस्ट के जरिए सरकार गारंटी लेगी एक तरह से अपने बच्चों की, दिल्ली के बच्चों की और उसकी गारंटी के बेस पर उस बच्चे को लोन मिलेगा और होनहार बच्चा है, सब मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे, 15 साल बाद लोन चुकाएंगे, पाँच साल बाद 15–20 साल में लोन चुकाएंगे 10 लाख रुपये तक के लोन की व्यवस्था करी उसके तहत। वो स्कीम माननीय एलजी साहब के पास गई 30/8/2016 को, मैं बहुत टाइमलाइन के साथ ये रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 30/8/2016 को वो स्कीम माननीय एलजी साहब के पास गई। एलजी साहब ने साढ़े पाँच महीने बाद यानी 30/8/2016 को जब गई, उसके बाद साढ़े पाँच महीने बाद करीब 13 फरवरी, 2017 को उन्होंने कहा कि इसमे जो लॉ डिपार्टमेंट के कमेंट्स हैं, उसमे लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता... थोड़ा डाउट दिया गया है, उस पर देखिए। अब जैसा मैंने शुरु में कहा कि एलजी साहब के पास में उन्होंने कहा कि इसको और लॉ डिपार्टमेंट एग्जामिन करे। संविधान के तहत एलजी साहब के पास ये पॉवर ही नहीं है कि वो सरकार के किसी प्रपोजल को लॉ डिपार्टमेंट को वापस भेजें। उनके पास इतनी पॉवर है कि वो सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। सहमत होने पर मंजूरी हो गई और असहमत होने पर वो उसको प्रेजिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज सकते हैं और प्रेजिडेंशियल रेफरेंस से जब तक जवाब आए इन द मीन टाइम कोई आर्डर दे सकते हैं सरकार

को, इसको लागू करो या मत करो ऐसा कुछ कह सकते हैं। लेकिन वो नहीं किया, उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया। गैर संवैधानिक तरीके से वापस सरकार की स्कीम को भेजा, इसमे से लॉ डिपार्टमेंट के कमेंट्स पर और स्पश्टीकरण ले लो, वो भी साढ़े पाँच महीने बाद! लॉ डिपार्टमेंट ने लिखा, उसके बाद हमने फिर चलो, बच्चों के हित की चीज है, आगे बढ़ाते हैं। लॉ डिपार्टमेंट ने उस पर और टिप्पणियाँ दी। उन टिप्पणियों के बाद फिर से उस प्रस्ताव को ऑनरेबल एलजी को 6 सितंबर को भेजा गया। अब आप देखिए, एक तरफ एलजी साहब हैं, एक तरफ दिल्ली सरकार में कई उनके ऐसे चहेते अफसर हैं, उधर से इशारा होता है, भई, मैं ये फाइल वापस भेज रहा हूँ, घुमाते रहना 2–4 महीने। वो फिर घूमती रहती है। उसके बावजूद जब पीछे पड़े रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, तो फिर निकालते हैं बेचारे। 6 सितंबर 2017 को वापस भेजी गई फाइल एलजी साहब के पास में और उसमे लॉ डिपार्टमेंट ने लिखा कि एलजी साहब के पास बाकायदा अधिकार हैं, उनके अधिकारों का प्रयोग करके इस स्कीम को गरीब बच्चों का, दिल्ली के बच्चों का, होनहार बच्चों को लोन देने की स्कीम है, हायर एजुकेशन के लिए उसको एलजी साहब कॅन्कर कर सकते हैं लेकिन एलजी साहब ने अब की बार 12 दिन बाद ये कह दिया कि इस स्कीम को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के पास सलाह लेने के लिए, उनकी एडवाइज लेने के लिए भेज दिया जाए। संबंधित मंत्रालयों से सलाह ले लो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एलजी साहब के पास न तो ये पॉवर है कि वो किसी प्रपोजल पर सरकार... संविधान के हिसाब से चलेगा न सिस्टम। संविधान में एलजी साहब के पास ये पॉवर ही नहीं है कि वो सरकार के किसी प्रपोजल पर सरकार को वापस लिखकर भेजें कि अपने फलां डिपार्टमेंट से सलाह ले लो या ये लिखकर भेजें कि भारत सरकार के किसी विभाग से सलाह ले लो। उनको संविधान में सिर्फ

इतनी सी गली दी गई है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के मामले में कि आप या तो इनसे सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। सहमत हो सकते हैं, मंजूरी दे दीजिए, असहमत हो सकते हैं तो राष्ट्रपति महोदय के पास में भेज दीजिए। डिफरेंस आफ ओपीनियन के लिए और तब तक के लिए कोई ऑर्डर दे दीजिए। ऑर्डर नहीं दिया, राष्ट्रपति महोदय के पास नहीं भेजा। दिल्ली के नौजवान! बड़े युवा! युवा! करते घूमते हैं, युवाओं के भविष्य को नर्क में डालने की साजिश रची जा रही थी लेकिन दिल्ली की सरकार कटिबद्ध थी अध्यक्ष महोदय। तो जब उन्होंने वापस इसको भेजा कि भारत सरकार के मंत्रालयों से सलाह ले लीजिए, उसके बाद मैंने प्रेस कान्फरेंस करी और मैंने खुलकर कहा कि एलजी साहब दिल्ली के छात्रों के साथ कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं। मैंने फिर एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि आपके पास तो पॉवर है। गवर्नमेंट आफ इंडिया में इस तरह के मामले को सलाह लेने के लिए भेजने का मतलब है, उसे ठंडे बस्ते में डाल देना। एक डिपार्टमेंट—दूसरे डिपार्टमेंट यहाँ से होम मिनिस्टरी जाएगी, होम मिनिस्टरी फिर चार और डिपार्टमेंट को भेजेगा, वो चार और डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से सलाह देंगे। आगे कई मामले आएंगे। मैंने एलजी साहब को रिक्वेस्ट की कि साहब ये गवर्नमेंट आफ इंडिया से सलाह लेने का गवर्नमेंट आफ इंडिया के विभिन्न, दिल्ली सरकार है शिक्षा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, फाइनेंस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। अगर दिल्ली सरकार अपने बच्चों की गारंटी लेना चाहती है एक ट्रस्ट बनाकर एक ट्रस्ट के जरिए, दिक्कत क्या है? इसमें भारत सरकार का कोई मंत्रालय क्या करेगा? मैंने प्रेस कांन्फ्रेंस में भी कहा कि इन बच्चों का भविश्य बरबाद मत करिए। मैंने चिट्ठी भी लिखी उनको। उनकी इस पर थोड़ी सी मीडिया में भद्द भी पिटी एलजी इंस्टीट्यूशन की कि ये क्या मजाक बना रखा है! तो अध्यक्ष महोदय, जिस प्रपोजल को एलजी

साहब इधर उधर घुमा रहे थे, फाइनली 4/10/2017 को उन्होंने फाइनली अप्रूव कर दिया।

श्री सौरभ भारद्वाजः कितने दिनों में सर?

माननीय उप मुख्य मंत्री: 402, मैंने कैलकूलेट किया है। 402 दिन के डिले के बाद उन्होंने इसको अप्रूव किया। 402 दिन। सेम प्रपोजल... जब प्रैस कान्फरेंस कर दी, मीडिया में भद्द पिटने लगी तो 402 दिन के बाद वही प्रपोजल एलजी साहब ने अप्रूव कर दिया।

... (व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः एक साल नहीं और ज्यादा... 402। विजेन्द्र गुप्ता जी की तरह आंकड़ें कैल्कुलेट मत करो। दे रहा हूँ, ये तो मेरा भाषण है, दे दूँगा। अध्यक्ष महोदय इम्पोर्टैण्ट पॉलिसी, जहाँ हम देश के हर बच्चे को, हम दिल्ली के हर बच्चे को स्कूलिंग के बाद हायर एजूकेशन में उसको हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं, उसका इमोशनल होल्डिंग करके कहना चाहते हैं, बेटा, चिंता मत कर। तू पढ़, मेहनत कर, पैसे की चिंता मत... सरकार तेरे साथ खड़ी है। लोन दिलाने के लिए गांरटी के लिए सरकार खड़ी है। उतनी सी स्कीम के लिए एलजी साहब ने 402 दिन लगाए और वो भी तब अप्रूव की जब मिडिया में भद्द पिटी एलजी इन्सटीट्यूशन की।

अध्यक्ष महोदय, मैने कई बार कहा है और ये सर्वविदित तथ्य है कि एजूकेशन इस सरकार की प्रॉयरिटी है। और सिर्फ हम एजूकेशन का नारा लगाने के रेमांसिज में कोई जुमला नहीं फैंकते हैं, चार साल से इस सदन में प्रस्तुत और पास हर बजट में लगभग लगभग एक चौथाई हिस्सा हमने शिक्षा पर खर्च किया है। बड़े गर्व के साथ कहते हैं। देश की एक मात्र ऐसी विधान सभा है, जहाँ से पास होने वाला बजट, एक चौथाई कम से

कम शिक्षा पर जाता है। लेकिन मैंने एजूकेशन डिपार्टमेंट के बारे में एजली साहब से मदद माँगी, एलजी इन्सटीट्यूशन से। मैने कहा, साहब, दिल्ली में अब एजूकेशन का काम अब बहुत बढ़ गया है। तेरह जिले हो गए हैं। स्कूल लगातार बहुत बढ़े हैं। आरटीई एक्ट आ गया है। डीएससीआर तो पहले से ही था। नए—नए सारे बहुत सारे कोर्ट के ऐसे डायरेक्शन्स आ गए हैं जो अपने आप में रूलिंग्स हैं, जो अपने आप में लॉ है। उनको ठीक से इम्पलीमेंट कराना है। प्राइवेट स्कूल बहुत बढ़ गए हैं। गवर्नमैंट स्कूल में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इन सबके बीच में.. और फिर बजट बढ़ गया है। तो एजूकेशन डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए हमें और अधिकारी चाहिए। मैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बेसिक फिलॉसफी नहीं कर रहा। लेकिन सामान्य बुद्धि से एक गणित प्रस्तुत करूँ कि अगर हम एजूकेशन पर इस सरकार का एक चौथाई बजट खर्च कर रहे हैं तो क्या ये जरूरी नहीं है कि लगभग एक चौथाई अच्छे पक्के बढ़िया अधिकारी भी एजूकेशन डिपार्टमेंट को दिये जाएं, उस बजट को ठीक से इस्तेमाल करने के लिए। मैने एजली साहब को हर तरह से समझाने से कोशिश की, चिट्ठियां लिखी कि साहब, एजूकेशन डिपार्टमेंट को अधिकारी दे दीजिए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये दायित्व माननीय एलजी साहब का है कि सरकार जिस—जिस विभाग में काम कर रही है, आगे काम करना चाह रही है, जिसमें ज्यादा खर्च कर रही है, जिसमें ज्यादा जरूरत है, उसमें अधिकारी दिये जाएं। अधिकारी नहीं ट्रांसफर किये गए। मैंने उनको कहा, साहब, इतना काम बढ़ गया है; 13 जिले हैं हमारे एजूकेशन डिपार्टमेंट के। हम तेरह जिलो में सरकारी स्कूलों में पढाई के लिए अकेडमी डेवलपमैंट के लिए अधिकारी लगाना चाहते हैं और साथ—साथ प्राइवेट स्कूल का जो डीलिंग है, सरकार की मौर और लेस एडमिनिस्ट्रेटिव है, लॉ ठीक

से पालन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डेटा ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है।

लॉ इन्फोर्समेंट ज्यादा है प्राइवेट स्कूल्स पर हमारा। उसको करने के लिए हम को एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हर जिले के लिए दे दीजिए, नहीं दिया। मैने चिट्ठी लिखी, मैने कहा, साहब, आप दानिक्स आफिसर्स दे दीजिए। उसका कोई जवाब तक नहीं आया। ये एलजी ऑफिस की एकाउंटिबिल्टी है। जिस चीज पर दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे में से 25 परसेंट पैसा टैक्स का खर्च हो रहा है– एजूकेशन, जिस काम से देश का, दिल्ली का भविष्य जुड़ा हुआ है, जिस काम से दिल्ली के हर परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ है, उस काम को करने के लिए अगर दिल्ली के शिक्षा मंत्री की ओर से उप मुख्य मंत्री की ओर से एलजी साहब को चिट्ठी जाती है कि साहब, हमें अधिकारी और दे दीजिए। अधिकारी तो देना दूर माननीय एलजी साहब मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री की, एजूकेशन मिनिस्टर की चिट्ठी का जवाब देना भी वाजिब नहीं समझते।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मिड डे मील। मैने कई बार इस सदन में भी चर्चा की है कि सरकार 'अक्षय पात्रा' पूरे देश में... हम लोग जानते हैं कि मिड डे मील में कैसे बहुत धाँधलियाँ हैं। इस सदन में भी बोला है प्रेस कान्फरेंसेज में भी बोला है, फाइल में नोटिंग्स लिख लिखकर भेजा है, वो भी कहीं कहीं से गई है। मैं कहता हूँ, पूरे देश में मिड डे मील स्कीम पॉलीटिकल और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन का शिकार हो गई है। इस बीच में अक्षय पात्रा जैसी कई संस्थाएँ हैं, पर अक्षय पात्रा एक बहुत बढिया संस्था है, बहुत नोबल कॉज के साथ में। अगर सरकार पाँच रुपये देती है तो वो उसमें दो तीन रुपये की और न्यूट्रीशियस वैल्यू का खाना लगाकर बच्चों को सर्व करते हैं, बहुत सेवा भाव से करते हैं। सात आठ राज्यों में उनका

काम पहले से चल रहा था, जब हम सरकार में आए थे। सात आठ राज्यों की सरकारों ने उनको नॉमिनेशन बेस पर काम दे रखा था। अक्षय पात्रा वाले हमारे पास में आए कि भई, हम भी देना चाहते हैं। नारायण मूर्ति जैसे मतलब देश के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति ने आकर कहा कि अगर आप अक्षय पात्रा के साथ मिलकर बच्चों को खाना खिलाओगे तो 25 करोड़ रुपये का सहयोग मैं दूँगा इसमें, अपनी तरफ से। इतना सब हुआ। लेकिन जब हमने प्रपोजल बनाकर एलजी साहब के पास भेजा कि भई हम अक्षय पात्रा को ये देना चाहते हैं तो इसका प्रपोजल हमने भेजा एलजी साहब के पास में, अभी जो रीसेंट डवलपमेंट हुए, बहुत सारे टू एंड फ्रो इसके बीच में 21/8/2017 को। एलजी साहब का रिस्पोंस आया, तीन महीने बाद 20/11/2017 को। एलजी साहब ने लिखा वापिस, ***Proposal should be examined with reference to financial rules and transprancy consideration as to whether this work can be awarded and or land be allotted to a single agency on nomination basis. There could be other similar placed agencies, NGOss willing to make the same offer.'***

ये तो सब को पता है। बहुत सारी एजेन्सीज भी होंगी। सारा व्यवस्था ये कहती है कि भई, ट्रांसपेरेंट तरीके से टेंडर करके काम दो। लेकिन वो ही व्यवस्था ये भी कहती है कि जब एक्सट्रा ऑर्डिनरी कन्डीशन्स हों तो नॉमिनेशन बेस पर भी दो। ये तो डिसिजन ही नॉमिनेशन बेस पर लेने का था। केबिनेट ने सारे डिस्कशन टू एंड फ्रो करके सब करके लिया था, वापिस भेज दिया। मैं फिर से कहना चहता हूँ कि एलजी साहब के पास में ये कहने की कोई पॉवर नहीं थी संविधान के हिसाब से। एलजी साहब के पास में सिर्फ दो ऑप्शन्स थे कि या तो वो सरकार को कहते कि भई, मुझे आपका प्रपोजल मंजूर है या माननीय राष्ट्रपति महोदय को लिखते और

तब सरकार को आदेश देते कि तब तक इसको जारी करो या नहीं जारी करो, बस एलजी साहब के पास में इतना अधिकार है लेकिन उन्होंने संविधान की चिंता नहीं की। उन्होंने मिड डे मील की क्वालिटी सुधारने की चिंता नहीं की। गरीब बच्चों की जिनको स्कूलों का मिड डे मील सुधर सकता था और जब कि ये सारे ईश्यूज उस फाइल में एड्रेस थे। तो ये सारी बैक एण्ड फोर्थ होती रही फाइल। अब वापिस 6/3/2018 को फिर से कैबिनेट में आई थी। उसमें फिर से हमने कुछ और ऑबजर्वेशन्स निकाल कर अभी करके उसको भेजेंगे एलजी साहब के पास। लेकिन अल्टीमेटली 21/8/2017 से लेकर अब तक जो सफर कर रहे हैं, वो तो दिल्ली के स्टूडेंटस सफर कर रहे हैं ना।

अध्यक्ष महोदय, एजूकेशन के साथ–साथ दूसरा इम्पोर्टैण्ट डोमेन जिसमें एलजी ऑफिस... एलजी इन्स्टीच्यूशन का रिपोर्ट कार्ड रखना चाहता हूँ, वो हैल्थ है। हैल्थ में सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसकी सारी दुनिया में चर्चा हो रही है, वो है आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक। हमारी सरकार ने यहाँ सदन में भी कई बार बोला, बाहर भी बोला। सबको पता है कि हम एक हजार मोहल्ला क्लीनिक बनाना चाहते हैं, युनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। हमने शुरु में 101 मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत की। सत्येन्द्र जैन जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, यहाँ पर। इन्होंने काफी रिसर्च की इस पर। काफी विजिट्स की, पीएचसी को देखा... प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्स को। इन्होंने उसके बाद मोहल्ला क्लीनिक डेवलप किए और 101 मोहल्ला क्लीनिक से शुरु किया। उसमें 80 ओपीडी पर डे एवरेज था। यानी कि 25 हजार ओपीडी पर ईयर इसमें 2.5 करोड इन ऑल वन थाउजैण्ड। अगर पूरी एक हजार बन जाएगी तो और अगर आज का डेटा मैं आपको बताऊँ पूरे दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से मुझे मिला है। अभी अस्पतालों में सारा जितना भी

इन्सटीच्यूशन है, उसमें साढ़े तीन करोड़ ओपीडीज का पर इयर का है डेटा। अगर एक हजार मोहल्ला क्लीनिक बन जाते हैं, तो ढ़ाई करोड़ ओपीडीज सिर्फ मोहल्ला क्लीनिक में कैटर हो जाएगी। यानी कि आप सोचिए जो हमारे बड़े–बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और बड़े सेवा केन्द्र हैं, स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वो कितने फ्री हो जाएंगे ओपीडीज से। इतना नोबॅल कॉज था इतना लोवल आईडिया था। मोहल्ला क्लीनिक बनाने की फाइल एक हजार मोहल्ला क्लीनिक बनाने से सम्बन्धित फाइल, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की 26/5/2017 को माननीय एलजी साहब को भेजी गई। ऑनरेबल एलजी साहब ने उसमें 05/7/2017 को दो पैरा का कमेंट दिया, उस पैरा में एलजी साहब ने मोहल्ला क्लीनिक के बारे में जो प्रस्ताव था, केबिनेट कि भई, हम हजार मोहल्ला क्लीनिक बनाना चाहते हैं, उस पर बात नहीं की, दोनो पैरा ग्राफ में। उन्होने लिखा ***Some complaints about functioning of Mohalla Clinics related to hiring to private premises, selection of doctors and other financial irregularities are there.'***

उन्होंने दूसरा लिखा कि वो हमने जो कंप्लेंट्स हैं, वो विजिलेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी हैं और उनके वेट किया जा रहा है 'इंक्वायर्ड इनटू।' मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ कि शिकायतें किसकी थीं। ये शिकायतें किसने कर रखी थी, एलजी साहब ने। अजय माकन साहब ने देश के जाने माने राजनीतिज्ञ हैं। देश के राजनीतिज्ञ हैं। पिछले 15 साल उनकी पार्टी की यहाँ सरकार थी। इसी सदन में बैठ के उनकी सरकारों ने स्वास्थ्य विभाग के बारे में फैसले लिए थे, इसी सदन में प्रस्तुत बजट और प्रस्तुत योजनाओं और कैबिनेट में योजनाओं में उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक आज सत्येन्द्र जैन जी 20 लाख रुपये में खड़ी कर देते हैं, उससे शानदार मोहल्ला क्लिनिक जो जितनी शानदार, एसी लगा हुआ, शानदार व्यवस्थाओं वाला

उससे कहीं ज्यादा निचले स्तर का प्राइमरी हैल्थ सेंटर वो लोग छः करोड़ रुपये खर्च करके बनाते थे एक। छः करोड़ का खर्चा 20 लाख पे ले आए, जमीन की कीमत के अलावा। जमीन की कीमत अलग होती थी। छः करोड़ खर्च करने की जगह 20 लाख में अब क्लिनिक बन रही थी और वो अजय माकन जी शिकायत करते हैं, पॉलिटिकल शिकायत होती है और इसकी वजह से एक हजार मोहल्ला क्लिनिक का पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्टाल हो जाता है। और मान लीजिए उनकी शिकायतें सच थीं, मैं ये नहीं कह रहा, तो क्या हम किसी एक जगह कोई गड़बड़ की जाँच हो रही है, इसलिए पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। कल मैंने सीएजी की रिपोर्ट रखी थी, कई सारे डिपार्टमेंट के बारे में था। राशन विभाग के बारे में था, एमसीडी के बारे में था। बता रहे थे कि एमसीडी ने एक ठेकेदार को कांट्रेक्ट में ही कार खरीदने का कांट्रेक्ट दे दिया और बाद में जब ऑडिट वालों ने पूछा भाई, वो कार कहाँ है... पहली बात तो कांट्रेक्ट में कांट्रेक्ट में काम दिया सड़क बनाने का या किसी काम का, उसमें कांट्रेक्ट में लिख दिया कार भी खरीद लेना इसी में। और जब पूछा ऑडिट वालों ने भाई, ये अभूतपूर्व प्रोजेक्ट के तहत खरीदे गए व्हीकल कहाँ हैं, तो वो बोले इसकी इन्वेटरी में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर एमसीडी के बारे में ये सूचना मिलती है तो क्या कल एमसीडी को बंद कर देंगे? एमसीडी इस देश की जरूरत है, दिल्ली की जरूरत है। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली की जरूरत है। आपके पास किसी एक मोहल्ला क्लिनिक में किसी तरह की इररेगुलेरिटी की अगर शिकायत भी आती है, जाँच करवाइए। हम पूरा सहयोग देंगे जाँच करवाने में। जो आदमी ने गलत किया होगा, उसको छोड़ेगे नहीं लेकिन दिल्ली के लोगों को ये सजा किस लिए कि एक हजार के एक हजार मोहल्ला क्लिनिक से वंचित किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय, जब कुछ नहीं हुआ, हमने बार बार रिक्वेस्ट किया, सीएम साहब ने रिक्वेस्ट किया, मैंने भी रिक्वेस्ट किया, हम और सत्येन्द्र जी मिलने गए थे, हमने भी रिक्वेस्ट किया, साहब ये मोहल्ला क्लिनिक वाली फाइल क्लियर कर दीजिए। जब बात बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी, तब हमारे एमएलए साथियों ने जाके क्योंकि जनता इनसे पूछती थी, कहाँ है? एलजी साहब के दफतर में राजनिवास में पहली बार विधायकों ने बैठ के धरना दिया। बोले जी, आप और मुख्य मंत्री तय कर लो, शिकायते हैं तो देख लो, नहीं शिकायते हैं तो देख लो, हमें तो अपनी जनता के लिए मोहल्ला क्लिनिक चाहिए और ये बैठ गए वहाँ पे। वो अचानक मीडिया में पब्लिसिटी होनी शुरु हो गयी भई, मोहल्ला क्लिनिक रोकने का मुद्दा उठ गया, मोहल्ला क्लिनिक रोक रखी है एलजी साहब ने! मोहल्ला क्लिनिक रोक रखी हैं एलजी साहब ने! तब जाके उस नेगेटिव मीडिया कवरेज के बाद 4/9/2017 को फिर उन्होंने उसको मंजूरी दी, उसी प्रपोजल को। मतलब विधायक दल धरना दे दें, मीडिया ने थोड़ी सी पब्लिसिटी नेगेटिव हो जाए तो प्रोजेक्ट ठीक हो जाता है। नहीं तो सारा प्रोजेक्ट गैर कानूनी, नहीं तो सारे प्रोजेक्ट में खूब मतलब रोकने की पूरी संभावनाएं हैं। इसमें 101 दिन लगे, 101 दिन डिले।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जैसे मोहल्ला क्लीनिक बन रही थी, उसी वक्त ये भी प्रपोजल आया कि भाई, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक इन स्कूल भी बनाई जाएं। क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे बच्चों की हालत गरीब परिवार के बच्चे हैं, माता पिता खाने पे भी इतना ध्यान नहीं दे पाते, बहुत सारे कारण हैं उसमें। एक सर्वे रिपोर्ट भी आई थी 2016–17 में, कि क्लास एक. पहली कक्षा से आठवीं कक्षा के बच्चे 44 परसेंट जो हैं, वो अंडरवेट हैं। तो और अब हमने व्यवस्था देखी कि भई बच्चों का रिकार्ड कैसे रखते हैं,

बच्चों का हैल्थ चेक अप वगैरह, तो पता चला तीन साल में एक बार होने की परंपरा है, वो परंपरा भी कितना पालित होती है, पता नहीं। हमारे पास तो... मैं देख नहीं पाया था। तो हमने मदन जी ने, मुख्य मंत्री साहब ने सभी मंत्री विधायकों से चर्चा हुई, कई और लोगों से चर्चा हुई कि स्कूलों में जहाँ जहाँ भी प्रिमिसेज हैं, वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक खोल दी जाएं किसी कोने में। यहाँ सदन के समझने के लिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे मान लो जैसे ये स्कूल है, तो यहाँ कोने में खोल दीजिए ताकि जब जितनी जरूरत पड़े, स्कूल के बच्चे उसका फायदा उठा सकें एक कमरे में और बाहर के दूसरे वाले गेट से दूसरी जनता दूसरे कमरे में फायदा उठा सके। क्योंकि बहुत से... जगदीश प्रधान जी के इलाके में चले जाओ और कई इलाकों में चले जाइए, मेरे पटपड़गंज में बहुत सारे, मंडावली में, लक्ष्मी नगर में ऐसे इलाके हैं, जहाँ पे आपको जगह ही नहीं मिलेगी मोहल्ला क्लिनिक खोलने की। बहुत सारी पूरी विधान सभा 70 परसेंट दिल्ली में आपको कालोनी में जगह ही नहीं मिलेगी। तो हमने सोचा कि स्कूलों में जहाँ जहाँ पॉसिबल जगह है, वहाँ वहाँ उनको स्टडी किया हमने, और हमने सोचा कि डबल फायदा हो जाएगा। तो इसका भी प्रपोजल हमने भेजा बना के कि 100 में से 1000 में से क्योंकि जगह नहीं मिल रही थी, 500 मोहल्ला... और अगर देखें तो इन्हीं स्कूलों में दिल्ली के 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 50 हजार टीचर पढ़ाते हैं तो 18 लाख बच्चों का एनुअल चेक अप रहने लगेगा, उनकी हैल्थ मॉनिटरिंग होने लगेगी, उनकी हैल्थ असिस्टेंस होने लगेगी रोजाना। 50 हजार टीचर्स की भी मदद होने लगेगी, एक कमरे में। दूसरे कमरे में बाहर से कोई दरवाजा बना के आम जनता किसी कोने से देखती रहेगी। लेकिन इसपे जो है, एलजी साहब ने ये फाइल हमने 17/8/2016 को भेजी एलजी साहब के पास। 10 हफते बाद 1/11/2016 को वापस आई, उनकी नई क्वेरिज के साथ। अब जब कोई काम रोकना होता है तो कानून

में सौ बहाने। और कानून का कितना पालन होता है, ये सीएजी रिपोर्ट बताती है। पिछले 10 साल में जिन एलजी साहब ने इस बात तक की भी चिंता नहीं करी कि 10 साल से यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट नहीं लिए जा रहे हैंकृ. 12 साल से। ओवरर हैड एक्पेंडिचर खर्च हो रहे हैं, जीएफआर का उल्लंघन कई मामलों में सीएजी रिपोर्ट बताती है, वहाँ दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो तो कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। जब जनता के हित का काम हो रहा हो तो तुरंत कानून याद आ जाता है। कानून की वो तोड़ मरोड़ के की गयी व्याख्याएं याद आती हैं तुरंत। एलजी साहब ने लिखा डीएसीआर एक्ट का हवाला देते हुए डीएसीआर एक्ट में देख लीजिए; ये एलाउ है कि नहीं है। डीडीए से मंजूरी ले लीजिए इसके लिए। मतलब मोहल्ला क्लिनिक बनेंगी, स्कूल के बच्चों का इलाज होगा; इसके लिए भी डीडीए से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब डीडीए के तो कर्ता–धर्ता मुखिया आप ही हैं। आप ही लिख देते एज डीडीए चेयरमैन भी, मैं एलाउ कर रहा हूँ अगर आपको लगता ही था। अरे! बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते थे लेकिन नहीं किया अध्यक्ष महोदय। वापस भेज दी। खैर जो भी क्वेरिज थीं, उनको लगा के वापस भेजा गया, पूरा एक्सप्लेनेटरी नोट भेजा गया। मैं खुद भी मिला, ऑनरेबल एलजी साहब को फिर 3 जनवरी 2017 को फाइल वापस हमने भेजी और उसके बाद 9/1/2017 मतलब फिर तो 6 दिन में ही 9/1/2017 को वापस सेम प्रपोजल जिसपे चार तरह की क्वेरी लगा के भेजी थी, डीडीए से मंजूरी की बात हो रही थी, डीएसईआर एक्ट की बात हो रही थी, अब वो प्रपोजल 146 दिन के डिले के बाद मंजूर कर दिया गया, स्कूल में मोहल्ला क्लिनिक वाला। अब बनवा रहे हैं हम लोग, बन रही हैं।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, पूरा हॉस्पिटल सिस्टम जो है दिल्ली का, वो सेंट्रलाइज सिस्टम का शिकार है। हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन में,

हॉस्पिटल नारायणा में कहीं है, डिसीजन मेकिंग सचिवालय में होगी, सचिव के कमरे में, किसी चीफ के कमरे में। ये सेंट्रलाइज सिस्टम ने मार दिया। तो हमने सोचा इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। फौरी जरूरतों के लिए तो खासतौर से किया जाए। इस रेड टेपिज्म को खत्म किया जाए। तो इसके लिए जो रोगी कल्याण समिति का कांसेप्ट था, उसको हमने संशोधित करने की सोची और साथ साथ जन स्वास्थ्य समिति बनाने की सोची। उसका एक प्रपोजल बनाया। ये एकदम एसएनसी की तर्ज पे। जैसे एसएनसी तो कानूनी है न? राईट टू एजुकेशन ये भी कानूनी है, केन्द्र के कानून के तहत रोगी कल्याण समितियाँ बनी हुई हैं। हमने उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए हमने सोचा कि भई, इसको और एम्पावर्ड करते हैं ताकि वो डिसीजन ले सके, रिगार्डिंग छोटी मोटी रिपेयर हॉस्पिटल में होनी है, स्मॉल पर्चेजेज होनी हैं, पर्सनल अगर इमरजेंसी में होने हैं, कोई टैम्परेरी बेसिस पे करना है तो इस तरह की ऑटोनॉमी अगर हॉस्पिटल्स को मिलेगी तो वो और अच्छा करेंगे और ये केन्द्र सरकार की गाईडलाईंस पे कर रहे थे, कोई हवा में नहीं लेके आए थे। पूरे का पूरा संविधान कहता है, मतलब देश में डेमोक्रेसी स्ट्रेंग्थन ही तब होती है जब और डिसेंट्रलाईजेशन करो... और डिसेंट्रलाईजेशन करो। संविधान में संशोधन किये गए इसके लिए कि डिसेंट्रलाईज किया जाए। लेकिन नहीं, इसके बारे में तीन फाइलें बनाई गयीं थीं। रोगी कल्याण समिति के बारे में आरकेएस के उनके प्रोसीजर को मोडिफाई करने के बारे में और उनको ग्रांट–इन–एड देने के बारे में आरकेएस को और अधिक ग्रांट ताकि अगर लोकल लेवल पर काम करना है तो इन तीनों फाइलों पर जो एक फाइल पर अभी भी एलजी साहब को जो भेजी गई थी 17/8/2016 को भेजी गई थी, उनका एलजी साहब के रिसपॉन्स का अभी भी इंतजार है 17/8/2016 से दूसरी फाइल पर एलजी साहब ने रिटर्न किया कैबिनेट

डिसीजन को। उन्होंने कहा, ये इतनी सारी रोगी कल्याण समितियाँ नहीं बनाई जा सकती हैं, इतनी सारी जन स्वास्थ्य समितियाँ नहीं बनाई जा सकती हैं और उन्होंने बहाना मारा; रोगी कल्याण समितियों को अभी तक परफॉरमेंस पर वो दो; अभी तक के सिस्टम में क्या रहा है; मंत्री जी ने जवाब भी दिया, उनसे मिले भी, बात भी की पूरे फाइल पर भी जवाब दिया तो आरकेएस की जो फाइल है, मोडिफिकेशन आफ आरकेएस वो अभी भी पेन्डिंग है और ऐस्टेबलिशिंग 70 रोगी कल्याण समिति और 1345 जन स्वास्थ्य समिति कीकृ. जब वो सारा उन्होंने कलेरिफिकेशन दे दिया, उनकी ग्रांट–इन–एड इनक्रीज करने के लिए उसको उन्होंने मंजूरी दे दी, तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर सिस्टम काम कर रहा है, आप इतनी फाइलों के बाद टू एंड फ्रो करके कर रहे हैं, थोड़ा सा फाइलों को देख लें। 78 दिन का डिले कर दिया इसमें जो काम 78 दिन पहले हो जाना चाहिए था उसमें 78 दिन बस मर्जी है, कुछ लिख दो हाथ में कलम है, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुछ तो लिखना ही है, लिख दो। उसकी वजह से कोई प्रोजेक्ट 78 दिन डिले हो गया, ये भी तो सोचिए!

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से दिल्ली सरकार डेली हेल्थ केयर कोरपोरेशन बनाना चाहती थी। दिल्ली सरकार ने उसका प्रस्ताव रखा क्लीनिकल नॉन, क्लीनिकल ऐडमिस्ट्रेटिव और स्पोर्ट सर्विसेज को बनाने के लिए और वो एक लिमिटिड कंपनी बना के कंपनीज एक्ट के तहत इसका मकसद था; ड्रग्स की परचेज में और इक्विपमैंट में सेटिंग या प्लानिंग और लेबोटरी वगैरह में इस तरह से कॉर्पोरेशन जो है, वो राजस्थान में, केरल में एग्जिस्ट करते हैं। राजस्थान में एग्जिस्ट करते हैं, तमिलनाडु में भी चल रहे हैं। तो इस सबका एक प्रपोजल बना के 29/9/2015 को एलजी साहब के पास में भेजा गया एक्ट और उसके बाद वो हमने बना दिया, उसको

हमने लागू कर दिया। उसके बाद जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया तो वहाँ से एलजी साहब के यहाँ से आया कि भई, फाइलें अप्रूवल जो की हैं, उनको भेजो। जो भी आप लोगों ने डिसीजन लिए हैं तो 17/8/2016 को एलजी साहब के पास गई एक्स पोस्टफैक्टो अप्रूवल के लिए। अब एलजी साहब ने उस पर मतलब... एक ऐसी चीज जो हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए कई राज्य सरकार दस साल पहले बना चुकी हैं और सैन्ट्रल गाईड लाइस के तहत बना चुकी हैं, उसको अगर दिल्ली सरकार लागू करने जा रही है तो एलजी साहब उस पर कर दिया था, उसको तो एक्सपोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए भेजा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में तो एलजी साहब उस पर टिप्पणी ले के भेजते हैं, ***'I am not sure that this is such a good idea. Chief Secretary, Health Secretary may discuss with me at their convenience.'***

संविधान के किसी भी पंक्ति में, किसी भी शब्द में एलजी साहब के पास ये पॉवर नहीं है कि वो सरकार के किसी प्रपोजल पर ये लिख के भेजें कि चीफ सैक्रेटरी मेरे से आ के डिस्कस करे हेल्थ सैक्रेटरी मेरे से आ के डिस्कस करे। उनके पास सिर्फ दो पॉवर्स हैं; सहमत करिए अगर असहमत हैं तो प्रेसिडेंट को भेजिए और सरकार को तब तक के लिए आदेश दीजिये जब तक पेन्डिंग है, उसके अलावा उनके कोई पॉवर नहीं है। ये ट्रांसफर्ड सबजैक्ट है। इसीलिए मैंने कहा कि ट्रांसफर्ड सबजैक्ट के बारे में उनके अधिकार क्षेत्र, उनका कार्य, उनके जिम्मेदारियाँ एक परसेंट हैं। 99 परसेंट जहाँ है, वहाँ तो हो नहीं रहा कुछ, एक परसेंट पर सारी कलम चल रही है, सारी ताकत इस्तेमाल हो रही है क्योंकि यहीं से लोगों की जिंदगी बदलने का... पता नहीं क्या दिक्कत है! लोगों की जिंदगी में कुछ सुधार हो जाये।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, 'सब को स्वास्थ्य बीमा' की एक स्कीम सरकार ले के आई, सारी दिल्ली के लोगों के लिए इसका कैबिनेट अप्रूव्ड किया उसने, कैबिनेट ने प्रपोजल इसका अप्रूव किया। इन्शोरेंस स्कीम का छः जून 2016 को फाइल एलजी साहब को भेजी गई, एक्सपोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए। क्योंकि उसके बाद उस पर काम होने लगा था हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद में एलजी साहब ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मतलब उसके प्रपोजल पर लेकिन उन्होंने मतलब जनरल ऑब्जेक्शन... कोई क्वैरी नहीं थी। उन्होंने रैशनल पूछा, इम्पलीमैन्टेशन ऑफ द हेल्थ इन्श्योरेंस स्कीम थ्रू एन ऑटोनोमस सोसायटी। उन्होंने कहा, ऑटोनोमस सोसायटी से क्यों करना चाहते हो? फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब के पास में ऐसी कोई पॉवर नहीं है सरकार अगर दिल्ली के लोगों को बीमा देना चाहती है, अगर हेल्थ इन्श्योरेंस देना चाहती है और वो ऑटोनोमस सोसायटी से दे, डिपार्टमैंट से दे, वो सहमत/असहमत हो सकते हैं। वो रेशनल नहीं पूछ सकते और केन्द्र सरकार एकदम सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है पर प्रेसीडेंट को भी नहीं भेजा। हमारे बाद में लेकर आइए। हमारे बाद में तुरंत लेकर आइए।

तो अध्यक्ष महोदय केन्द्र सरकार में ऐसी सोसायटी पहले से रजिस्टर्ड है। तो जैसा मैंने कहा, उनके पास पावर नहीं है, एक इंट्रेस्टिंग चीज ये है। इसके बाद करप्शन का मसला आया था, सीएजी रिपोर्ट का मसला भी आया। मैं एक और चीज का उल्लेख करना चाहता हूँ; हेल्थ डिपार्टमेंट मुझे. मैंने कल सरसरी तौर पर पढ़ी थी, मुझे लगता नहीं कि उसमें उसका शायद हेल्थ में हॉस्पिटल्स की स्क्रूटनी नहीं हुई है सीएजी रिपोर्ट में। राष्ट्रपति शासन के समय 26 जून 2014 को एलएनजेपी और जीटीबी हॉस्पिटल्स के हाऊस कीपिंग के काम के लिए एक कंपनी को नॉमिनेशन बेस पर काम दिया गया,

राष्ट्रपति शासन के समय पर और इस नॉमिनेशन... एक तरफ अक्षय पात्रा को नॉमिनेशन नहीं दिया जा सकता जब कि वहाँ से लाखों बच्चों को क्वालिटी खाना मिलने की और वॉलेन्टरी कितना सब्सीडाईज फूड और वेल्यू एडेड फूड मिलने की संभावना थी, मिलने की प्रेक्टिस है। यहाँ पर दो हॉस्पिटल्स में हाऊस कीपिंग का स्टाफ नॉमिनेशन बेस पर एक कंपनी को दे के रखा गया। 176 लोगों को एंगेज किया गया। उसके तहत एलएनजेपी और जीटीबी में दो साल के लिए एंगेज किया गया कॉन्ट्रेक्ट के मुताबिक कंपनी को ये काम खुद करना था, किसी और को आउटसोर्स नहीं करना था, सब—कॉन्ट्रेक्ट नहीं कर सकता था बिना इजाजत के। इस बीच क्योंकि 2014 का मसला था, बीच में हमारी सरकार आ गई। इस बीच उस प्रोजेक्ट को दो साल भी पूरे हुए, बाद में दो साल बाद बिना मिनिस्टर से एप्रूवल लिए हुए सेम कंपनी को एक्सटेंशन दे दिया गया और सिर्फ एक्सटेंशन नहीं दिया गया बल्कि 176 कर्मचारियों को रखने की बात थी, उस 176 को एक्सटेंशन देने के साथ साथ उसी प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा दिया गया, उसमें उसका स्कोप भी बढा दिया गया 142 कर्मचारी और रखने का, उसमें व्यवस्था कर दी गई। 176 वो एक्सटेंशन और 142 और कर्मचारी का रख दिया गया, हायर करने का...

... (व्यवधान)

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अफसरों के पास कार्यकर्ता थोड़े होते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, तो एक तो मैंने कहा कि उसको दो साल बाद बिना मिनिस्टर को दिखाये हुए, न सिर्फ उसको एक्सटेंड कर दिया गया बल्कि उसका स्कोप भी बढ़ा दिया गया अपनी मनमर्जी से और नॉमिनेशन बेस पर दी गई थी और उससे भी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊँ कि जिस कंपनी को ये काम नॉमिनेशन बेस पर माननीय उप—राज्यपाल महोदय के

राष्ट्रपति शासन के समय माननीय उप–राज्यपाल महोदय के निश्चित रूप से निर्देश पर दिया गया होगा, उनकी मंजूरी फाइल पर है, उस पर दिया गया था। दिलचस्प बात ये है कि एक कैटेगरी होती है; फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की; एफएमसी कंपनी होती है जिस कंपनी को ये काम दिया गया, वो एफएमसी कंपनी भी नहीं थी। उसने जब ये काम आउटसोर्स किया किसी और कंपनी को तो रिकार्ड मौजूद हैं इस चीज के कि उसने ये कहकर नहीं आउटसोर्स किया। उसने जब कॉल किया कि भई, हमारे पास कुछ काम हैं, हम काम करवाना चाहते हैं तो ये नहीं कहा कि हमारे पास सरकार के दो हॉस्पिटल का काम है, वहाँ हम मैनपॉवर प्रोवाइड करने का काम आउटसोर्स कर रहे हैं।उ सने कहा, हमारे अपने कार्पोरेट ऑफिस के लिए हमको मैन पावर चाहिए इसके लिए उसने कॉन्ट्रेक्ट जारी किया, उस कॉन्ट्रेक्ट के बेस पर लिए गये लोगों को सब कॉन्ट्रेक्ट करते हुए उसने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलस में सप्लाई किया जब कि उसके पास ये पावर नहीं थी कि वो सब कॉन्ट्रेक्ट कर सकती है। तीसरा, इसमें जैसा मैंने कहा जी, एफआर का खुल्ला उल्लंघन हुआ, कोई इमरजेंसी नहीं थी इस तरह की मिड डे मील में, इमरजेंसी नहीं दिखती है। इसमें इमरजेंसी थी, नॉमिनेशन पर दे दिया। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैनपावर सप्लाई का कितना बड़ा घोटाला किस तरह से होता रहा है। इसी सरकार ने... एक दिल्ली सरकार के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इसलिए जेल भिजवाया था कि वो मैन पॉवर के घोटाले में लिप्त था। वो दो कर्मचारी रखता था और चार के पैसे लेता था। और एजेंसी जिससे कर रहा था, उससे पैसे माँग रहा था। रंगे हाथों... जब हमें पता चला, मैं खुद उसके ऑफिस में रेड मारने गया था। बड़ा स्मार्ट था, लोग कहते थे, मुझे तत्कालीन एलजी साहब ने भी कहा, तुमने मारी तो रेड, तुमने क्या कर लिया? मैंने कहा, चार दिन और दे दो, ये आदमी जेल में होगा। कहकर आया था मैं उनको और चार

दिन बाद उसी आदमी को रंगे हाथों पकड़वा के जेल में भिजवाया था, उसी आईएएस अफसर को, खुद हमने प्लॉट सेट किया था और खुलकर कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, जब ये स्थिति आई और ये सारी सूचनाएं हमारे संज्ञान में आईं तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए हमने एलजी साहब को लिखा कि भई, आपके समय में, एलजी शासन के समय में ये नॉमिनेशन हुआ था, इसको सीबीआई को लिखो। 11/9/2017 को इसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिखा गया था लेकिन आज तक उस पर ना कोई एक्शन हुआ है और ना उस पर कोई रिस्पांस आया है। जब हेल्थ मिनिस्टर साहब ने उसको... जबकि मैंने बताया आपको 11/9/2017 को लिखा था, उसके बाद 07/11/2017 को उन्होंने रिमाइंडर भी भेजा। तो संदेश क्या है? संदेश ये है एलजी इंस्टिट्यूशन की तरफ से, माननीय उपराज्यपाल महोदय के इंस्टिट्यूशन की तरफ से कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों को पूरा प्रोटेक्शन है, पूरा प्रोटेक्शन है। कोई कितनी भी गड़बड़ी करें, हम बैठे हैं, चिंता मत करो, खुला प्रोटेक्शन है। ये एलजी इंस्टिट्यूशन जो है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर इंस्टिट्यूशन है या लोकल गार्जियन ऑफ ऑल करप्ट ऑफीशियल्स का इंस्टिट्यूशन है।

अध्यक्ष महोदय, मोहल्ला क्लीनिक्स के लिए लोगों के फ्री टेस्ट की व्यवस्था है। 24 पॉली क्लीनिक्स में, 101 मोहल्ला क्लीनिक्स में ये प्रयोग बहुत अच्छा चला; दवाइयाँ देने का, फ्री टेस्ट करवाने का, जो एवरेज डिमाण्ड हेल्थ मिनिस्टर साहब ने पूरा एनालिसिस की थी, एक मोहल्ला क्लीनिक में और पॉली क्लीनिक में। मोहल्ला क्लीनिक में पाँच टेस्ट पर डे और पॉली क्लीनिक में 50 टेस्ट पर डे। यानी मोहल्ला क्लीनिक में अगर देखें तो साढ़े पन्द्रह सौ टेस्ट पर ईयर के करीब की डिमाण्ड है और पॉली क्लीनिक में

करीब 15,500 टेस्ट पर डे की डिमाण्ड है। सारे पॉली क्लीनिक्स में माँगा गया तो इस प्रोजेक्ट को जब 1000 मोहल्ला क्लीनिक्स के लिए आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि पैरलल काम चलना है, ऐसा न हो कि मोहल्ला क्लीनिक हम खड़ी कर दें और वहाँ पर टेस्ट न हो। जब पैरलल काम चलाते हुए हमने 1000 मोहल्ला क्लीनिक्स के लिए बढ़ाने के लिए प्रयास किया तो 12/12/2017 को प्रपोजल कैबिनेट ने अप्रूव किया और उसको हमने 20/12/2017 को एलजी साहब के पास भेज दिया तो एलजी साहब ने इस पर ओब्जेक्शन लगाया कि ये जो आप फ्री टेस्ट करा रहे हो मोहल्ला क्लीनिक में, इसमें इन्कम क्राइटेरिया लगा दीजिए। एलजी पास के पास तो ये पॉवर नहीं है। हेल्थ तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, संविधान के तहत। ट्रांसफर सब्जेक्ट में एलजी साहब के पास में सिर्फ दो ही पॉवर हैं, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ और बार–बार याद दिला रहा हूँ और देख रहे होंगे शायद और जो भी उनके चहेते लोग देख रहे हैं, उनको कहना चाहता हूँ, एलजी साहब के पास में सिर्फ दो पॉवर हैं संविधान के तहत; ट्रांसफर सब्जेक्ट के मामले में या तो वो सरकार के किसी प्रपोजल से सहमत हो सकते है और अगर वो असहमत हैं तो असहमती का संदेश अपना डिफरैंस ऑफ ओपीनियन माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास भेज सकते हैं और टिल दैट टाइम पेंडिंग द डिसिजन बाइ ऑनरेबल प्रेसीडैंट वो सरकार को कोई आदेश दे सकते हैं। वो ये नहीं कह सकते सरकार को कि आप जो मोहल्ला क्लीनिक में टेस्ट कर रहे हो, वो गरीब लोगों को करिए, फलानी इन्कम के करिए, फलानी इन्कम के मत करिए, फलानी ऐज के करिए, फलानी ऐजकृ. ये उनके पास संविधान में कोई पॉवर नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो इतना क्रिटिकल प्रोजेक्ट उन्होंने स्टॉल कर रखा है और ये समझ नहीं आता मुझको, जब–जब ये ऐसी बात करते हैं, जैसे इस देश की परम्पराएं हैं बहुत सारी, मैं तीर्थ योजना पर आऊँगा, तीर्थ यात्रा योजना पर, उस पर भी बात

करूँगा कि वहाँ भी उन्होंने इन्कम की बात उठाई है। आप मोहल्ला क्लीनिक में लोकल कोई आदमी इलाज कराने जा रहा है, हम कहेंगे इन्कम इतनी होगी तो तुम्हारा फ्री टेस्ट करेंगे, नहीं तो तुम पैसे लेकर आना। वो पैसे ऐसे नहीं लेकर आएगा, एसडीएम के यहाँ जाएगा, एक 50 रुपये की, 500 रुपये की रिश्वत देकर दूसरा सर्टिफिकेट बनवाकर ले आएगा, बोलेगा लो। हम भ्रश्टाचार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे है? हम अननेसेसरी लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार, लानत है उस सरकार पर जो अपने नागरिकों को ठीक से इलाज और ठीक से पढ़ाई देने के बारे में, ठीक से डिसीजन ना ले सके, सब नागरिकों के लिए!

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमने हाई एण्ड डॉयग्नॉस्टिक टेस्ट और सर्जरीज ऐसी जहाँ सरकार के अस्पतालों में अगर एक महीने बाद की डेट मिल रही हो, उस पर डिसीजन लिया कि भई... और, बड़ा वाइज डिसीजन है। आज एक अस्पताल बनाने के लिए अगर नया अस्पताल बनाएं, कितना पैसा चाहिए, 200–300 करोड़ रुपये और फिर उसकी रनिंग कॉस्ट जो सब हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए। आज 200 करोड़ रुपये अगर मैं इनको बजट में दूँ, आज से दो साल बाद एक हॉस्पीटल बनाकर देंगे, पाँच साल बाद, पाँच साल बाद हॉस्पीटल चलेगा वो। ... (व्यवधान) हाँ, बिल्डिंग, मैं ये मान लेता हूँ, सत्येन्द्र जैन हैं, चला देंगे। तो पाँच साल बाद हॉस्पीटल चलेगा। अब जनता तो, अब कोई बीमार आदमी है, हमारे पास में आए, वो इंतजार करेगा कि जब सत्येन्द्र जैन जी हॉस्पीटल बनवा देंगे, उसके बाद में बीमार होऊँगा। वो तो बीमार आज है। वो तो आज एलएनजेपी में जाकर इलाज करवाना चाहता है। वो तो आज लाल बहादुर शास्त्री में इलाज करवाना चाहता है, उसका तो टेस्ट आज होना है हाई एण्ड अब वो इंतजार करेगा जी, पाँच साल बाद ठीक है, जब आप कर लोगे... और पाँच साल बाद

भी सबके लिए कितने हो पाएंगे? तो इसीलिए जब तक नए हॉस्पीटल... सरकार नए हॉस्पीटल बना रही हैं लेकिन जब तक नए हॉस्पीटल बनते हैं तब तक भी एक–एक आदमी के प्रति सेंसिटिव होना पड़ेगा। उस आदमी के प्रति सेंसिटिव होते हुए ये स्कीम सरकार लेकर आई कि भई, सरकारी अस्पतालों में अगर किसी टेस्ट के लिए एक महीने से ज्यादा का विलम्ब है, डेट मिल रही है, 6–6 महीने... 8–8 महीने... कई–कई साल की डेट्स मिलती थी, ... (व्यवधान) सर्जरी में? नहीं, पहले, ये जो एक महीने वाली इसकी डॉयग्नॉस्टिक टेस्ट एण्ड सर्जरीज के लिए तो उसका 12/12/2017 को प्रपोजल भेजा गया एलजी साहब के पास में, केबिनेट ने पास किया और 20/12/2017 को भेज दिया गया और वापस एलजी साहब ने कह दिया इसमें भी इन्कम सीलिंग लगा दीजिए। इसमें भी अमीरी गरीब का फर्क कर लीजिए। अरे! इलाज में तो कम से कम इंसान को इंसान रखिए। जैसे ये बाँटने में बड़ा यकीन करते हैं, हिंदू मुसलमान में बाँट दो, अमीर गरीब में बाँट दो, जाति में बाँट दो, अगड़े पिछड़े में बाँट दो, बाँटने में खूब यकीन करते है। पैसा इकट्ठा कर लो, आदमी बाँट दो।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमने कहा, भई चीफ मिनिस्टर साहब ने, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने अस्पतालों के लगातार दौरे किए, रात–रात में जा–जाकर किए। देखा कि कर्मचारियों की घनी कमी है। दवाइयों पर, मेडिसिन्स जो होते हैं फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, लम्बी लम्बी लाइनें लगी हुई हैं, स्टाफ कम है। तो हमने कहा साहब, एलजी साहब को लिखा, भई सर्विसिज आपके पास में है, आप पोस्ट बना लीजिए। दिल्ली के लोगों की जरूरत के हिसाब से पोस्ट बनाइए, जितनी पोस्ट खाली पड़ी हैं, उन पर तक तब नई भर्तियाँ करिए और नई भर्तियाँ जब तक नहीं होती, तब तक कॉन्ट्रेक्ट पर लोग रखिए। परमानेंटली लाने की कोशिश कीजिए तो सीएम

साहब ने हेल्थ डिपार्टमेंट के पहले अफसरों को निर्देश दिए। 16 अगस्त को हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा सीएम साहब ने तो हेल्थ सेक्रेटरी ने... हेल्थ डिपार्टमेंट ने सीएम साहब के जवाब में सीएम साहब को कुछ बताए बिना. उसमें सीएम साहब ने प्रपोजल दिया था कि भई जब तक आप परमानेंट पोस्ट इनको भर नहीं सकते तब तक आप कॉन्ट्रेक्ट पर लेकर आइए और कॉन्ट्रेक्ट पर रिटायर लोग लेकर आइए, बिना...

रिटायर लोग लेकर आइए, नौजवान लोगों को लेकर आइए, बहुत लोग बेरोजगार नौकरी ढूढ़ रहे हैं, टेलेंटेड लोग पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, सबको नौकरी दीजिए। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने... सर्विस डिपार्टमेंट ने मिनिस्टर को दिखाए बिना, चीफ मिनिस्टर को दिखाए बिना पूरा प्रपोजल कि जी, ये तो सर्विस का मेटर है, एलजी साहब को भेज दिया। सीएम साहब ने... फिर पता चला कि उसमें उन्होंने ये हेल्थ डिपार्टमैंट... चीफ मिनिस्टर डायरेक्शन टु हेल्थ डिपार्टमैंट इश्यूड ऑन 16/8/2017। 23/9/2017 को फिर सीएम साहब ने एलजी साहब को लिखा कि, ***'Before the file was sent to you, I called the file. To my utter surprize, the senior officer refused to show me the file. Saying that they had been instructed by Honourable LG not to show the file to any minister including Chief Minister.***

I would urge you to kindly send the file to me. So that myself and my minister can offer our comments on the basis of our extnsive visits of various hospitals and our interaction with several patient. Doctors and Hospitals and staff interactions. The final decision would be of course be taken by honble LG. Our objective is the same i.e. to provide best quality health care to the people of delhi. It is in the best interest of Delhi that all of us work together and in a transparent manner.'

इतना पोलाइट रूप से, इतना पॉजिटिव रूप से इन्क्लूसिवनेस के साथ में उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने दूसरी बार लिखा, चीफ मिनिस्टर साहब ने, ***'I had requested that vacancies in hospitals be filled up at the earliest by allowing medical superintendent to hire people on contract basis till regular appointments are made. I was astonished to see that the health deparment proposed to hire only retired personnal of those post. The elected government which is accountable to the people of Delhi is not even told as how and when vacancies will be filled.'***

तो एलजी साहब ने लिख के भेजा, मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप ही तो कह रहे थे, रिटायर्ड लोगों को ले लो। जब कि सीएम साहब ने कहा था कि रिटायर्ड, नॉन–रिटायर्ड हर तरह के लोगों को हायर करो। लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। मिनिस्टर्स के पास, चीफ मिनिस्टर के पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियेंस था। एलजी साहब तो कभी हॉस्पिटल में लाइन लगे लोगों से मिलते नहीं, कभी वहाँ खड़े हो के जाते नहीं। आम आदमी की तरह से जाके बात करें, पता चले पैशेंटस क्या झेल रहे हैं। तो हमने कहा कि साहब, आप किसी को भी ले आओ, परमानेंट ले आओ। हम तो कह रहे हैं, परमानेंट ले आओ लेकिन जब तक परमानेंट नहीं मिलता तब तक किसी को भी लेके आओ लेकिन लेके आओ। तो एलजी साहब ने वो बात नहीं मानी और उन्होंने सिर्फ रिटायर्ड लोगों को लेने की जो सर्विस डिपार्टमेंट की रिकमंडेशन थी, वो फोलो की और मंत्रियों को उसमें कोई इन्वॉल्वमैंट नहीं रखा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये वैकेंसीज थी हैल्थ डिपार्टमेंट की। 2200 वैकेंसिस थी और एलजी साहब और सर्विस डिपार्टमेंट के अफसरों और हैल्थ डिपार्टमेंट के उस अफसर जो मंत्री को फाइल दिखाये बिना भेजना चाहता था, भेजा। उस अफसर की अपनी सो–कॉल्ड समझदारी के चलते 2200

पोस्ट के अगेंस्ट केवल 327 लोगों ने आवेदन किया क्योंकि उसका स्कोप इतना लिमिटेड कर दिया था कि सिर्फ रिटायर्ड लोग। अरे! रिटायर्ड रेडियोलोजिस्ट आपके हॉस्पिटल में आपके कांट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करने आयेगा? वो किसी प्राईवेट हॉस्पिटल में जाके बैठेगा। उसको मोटे पैसे वहाँ मिलेंगे। आपको नये लोग लेने पड़ेंगे। साथ–साथ पुराने भी आ जाएं, अच्छी बात है। सिर्फ 327 लोगों ने काम किया... 327 लोगों ने एप्लीकेशंस दी। और रिजल्ट क्या आया उसका? आज फार्मेसिस्ट की और रेडिओलॉजिस्ट की भारी कमी है, लोग दुखी हैं। बीमारी से, गरीबी से अध्यक्ष महोदय, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। गरीबी, बेरोज... मतलब अगर मैं देखूँ बीमारी, गरीबी, मौत रोज उस गरीब आदमी की जो वो लाइन में लगा हुआ है, उसके गाल पे रोज तमाचा मार रही है। और उसके लिए कोई आईएएस एसोसिएशन कैंडल मार्च नहीं कर रहा। उसके लिए कभी कोई एलजी साहब ऑर्डर नही करते, उसके लिए देश, दिल्ली के किसी अफसर का मॉरल डाउन नहीं होता है। क्योंकि एक आदमी की... गरीब आदमी के गाल पर रोज गरीबी का तमाचा लगता है। रोज बीमारी का तमाचा लग रहा है। रोज वहाँ पे धक्के खाने के लिए मजबूर है। उसके लिए कोई किसी का मॉरल डाउन नहीं होता, देश के किसी आईएएस का मॉरल डाउन नहीं होता है, उसके लिए, किसी अधिकारी का मॉरल डाउन नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, ये हैल्थ की बात थी। मैं क्विक्ली कुछ चीजें और कहना चाहता हूँ। पीडब्लूडी में एक प्रपोजल था कि भई, पौल्यूशन से रिलेटेड और बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनसे रिलेटेड और रियल टाईम डेटा, डिज़ास्टर मैनेंजमेंट के संबंध में कोई डेटा हो, देना हो एमर्जेंसी सूचनाएं हों, पूरी दिल्ली में 600 एलईडी स्क्रीन्स लगाई जायें। आजकल एनडीएमसी ने भी काफी लगा रखी हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जा सकें। 600 का

उसका बजट भी था, एस्टीमेट भी तैयार हुए। केबिनेट अप्रूवल के बाद एलजी साहब को भी भेज दिया गया 13/10/2016 को लेकिन सवा तीन महीने बाद 24/1/2017 को टैक्नीकल कंसर्न्स, उन्होंने कहा, भई, इसमें कुछ टैक्नीकल कंसर्न्स हैं। उसपे क्वेरी लगाकर के उन्होंने वापिस भेज दिया। फिर मैं कहूँगा, उनके पास पॉवर नहीं है सर, टैक्नीकल क्वेरी की पॉवर नहीं है। वो सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। और उसकी वजह से क्योंकि ये कैबिनेट का प्रपोज़ल था; टैंडर भी होने लगे थे, सब टैंडर वगैरह कैंसिल हुए और इतनी इंपोर्टेंट योजना जो गवर्नेंस से रिलेटिड थी, वो ठण्डे बस्ते में पड़ी हुई है। होम डिपार्टमेंट में अध्यक्ष महोदय, पेट्टी आफेंसेज के केस वापिस लेने के बारे में पूरे देश में काम चलता है। हक, न्याय के बारे में हमेशा कहा जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड और पेटटी– पेटटी ऑफेंसेज पे जेलें भी भरी हुई हैं। लोग भी विशेषकर अगर बात करें बिना फाइनल सजा के सुनाए हुए जेल में बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं; सीनियर सीटिज़न, माइनर, डिसएबल, ऑनरेबल सेक्शन आफ सोसाइटीज, छोटे–छोटे पेट्टी ऑफेंसेज में। तो इसलिए 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्विक डिस्पोजल के लिए पेट्टी ऑफेंसेज के लिए बात कही। भारत सरकार ने चीफ जस्टिस आफ इंडिया को लिखा, पेट्टी ऑफेंसेज केस के रिव्यू के लिए एक एम्पावर्ड कमिटी के बनाने के लिए 2015 में। भारत सरकार ने 10 प्वांइट लिटिगेशन पॉलिसी बना के राज्यों को दी जिसके आधार पे वो पेट्टी केसेज को जिनको वे विद्ड्रा कर सकते थे... कर सकते हैं, किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश ने अपने जिला स्तर पर कमेटियाँ बना दीं। कई राज्यों में अलग–अलग स्तर पे इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। दिल्ली में केवल एक कमिटी बनेगी। चार हजार केसेज पैंडिंग हैं। हमने कहा, इसको... और उस टाइम थे, अब तो और बढ़ गये। तो तब कहा, भई, और कमेटिज़ बना दो और इस कमिटी में है कौन–कौन? जो एक

कमिटी बनाई गयी; प्रिसिपल सेक्रेटरी होम इज दा चैयरपर्सन, सेक्रेटरी लॉ, एसीपी क्राईम, डाएरेक्टर प्रोसिक्यूशन इसके मैम्बर्स हैं। अब इन सारे सीनियर अफसरों में से कहाँ समय है कि वो रिव्यू कमिटी में बैठते रहेंगे। बैठते ही नहीं हैं। बहुत एब्रेस्ट होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी आफ मीटिंग्स चाहिए। उसकी मीटिंग्स ही नहीं हो पाती। डिस्ट्रक्ट लेवल पर, असैम्बली लेवल पर इस तरह की कमेटिज बन सकें, इस तरह का प्रस्ताव बनाया गया। एलजी ने रिजेक्ट कर दिया गया। पैंडेंसी बढ़ रही है। इसको रिसब्मिट किया गया, फिर रिजेक्ट कर दिया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ रिजेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि रिजेक्ट करने की पॉवर उनके पास नहीं है, सहमत–असहमत होने की पॉवर उनके पास में है।

हमने थाना लेवल कमेटिज की बात की, हमारी डब्लयूसीडी अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी भी कई बार लगातार बात उठा रही हैं। थाना लेवल कमेटीज एलजी इंस्टीट्यूशन ने जानबूझ के ठप्प कर दिये हैं। 183 थाना और 11 डिस्ट्रक्ट लेवल कमेटिज बनाई जानी थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटिज बनाई गई हैं लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं। 18/4/2016 को हमने प्रोपोजलकृ रिक्वेस्ट भेजी रिकस्टिट्यूशनल कमिटी की 6/10/2015 को फिर 18/4/2016 को फिर 20/5/2016 को, फिर 22/8/2016 को लेकिन हर बार एलजी साहब उसको रिजेक्ट करते रहे और वो एक इतना महत्वपूर्ण प्रपोजल... क्योंकि उसकी वजह से पुलिस और जनता के बीच में इंटरैक्शन खत्म हो गया है। क्यों नहीं बना रहे? क्राइम को बढ़ाने में क्या इंटरेस्ट है? एलजी इंस्टीट्यूशन का मुझे नहीं समझ आता। अध्यक्ष महोदय, रवेन्यू डिपार्टमेंट का एक दो चीजें मैं रखूँगा इस रिपोर्ट कार्ड में ऑन पर्सनल हमने एक बहुत महत्वकांक्षी, एक बहुत देशभक्ति की भावना के साथ में सम्मान के साथ प्रेम के साथ में स्कीम बनाई थी; आर्मी पर्सनल,

पुलिस पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग दिल्ली के, दिल्ली पुलिस के, बीएसएफ के लोग अगर किसी की ड्यूटी के दौरान अपना कर्त्तव्य निभाते हुए कोई शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को फौरी तौर पे कोई मदद दी जा सके, आर्थिक सहायता दी जा सके, इसके लिए एक करोड़ की योजना बनाई थी... एक करोड़ की आर्थिक राशि की। तो 1/9/2016 को इसको एलजी साहब के पास भेजा गया। 15/2/2017 को 14 हफ्ते बाद एलजी साहब ने लिखा, इसपे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट आफ एक्स सर्विस वैलफेयर वगैरह से इसपे सलाह ले लीजिए। उनके पास फिर से कहूँगा ये पावर ही नहीं थी लेकिन उसके बावजूद हमने उनसे कहा, उनको रिक्वेस्ट भी किया कि साहब ये ऐसा मामला नहीं है, सेंसिटिव मसला है। बार्डर पे जवान खड़ा है, पुलिस का जवान यहाँ खड़ा हुआ है। उसकी भी विपरीत परिस्थितियों में किसी के साथ कुछ ऐसा होता है ड्यूटी निभाते हुए, हमें उसका, उसके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, उसका भरोसा होना चाहिए कि देश उसके साथ खड़ा है। उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने देश हित में जान दी है, देश उसके साथ खड़ा है। ये उसको भरोसा दिलाना चाहिए। ऐसे में आर्थिक मदद काफी इंपोर्टेंट होती है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब, भारत सरकार के होम मिनिस्टरी वगैरह में, डिफेंस मिनिस्टरी वगैरह में भेजोगे। मतलब वर्षों तक चलती रहेगी खतो–खिताबत, ये लागू नहीं होगा। लेकिन फिर लिख दिया उन्होंने फाइल पे कि ये एक्स–सर्विसमैन वैल्फेयर बोर्ड से ले लो। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, उनके पास इस चीज की पॉवर नहीं है। वो कॉस्टीट्यूशन पॉवर से बाहर जा के काम कर रहे हैं।

कॉस्टीट्यूशन... रि–कॉस्टीट्यूशन ऑफ बक्फ बोर्ड, यही प्रॉब्लम... भंग कर दिया गया था। 22/11/2017 को हमने फिर से भेजा रि–कॉस्टीट्यूट करने

के लिए, उन्होंने कहा कि... उन्होंने कुछ क्वेरीज लगाईं; क्वालिफिकेशन आफ केंडीडेट के लिए, उन क्वेरीज के आधार पे फिर से प्रपोजल भेजा गया पूरा करते हुए। बाद में उन्होंने बहाना लगा दिया। न करने के बहाने हैं। उन्होंने बहाना लगाया, एक कैंडीडेट... कैंडीडेट नहीं, एक मेम्बर का केस कोर्ट में चल रहा है। एक मेम्बर पे एलेजबिल्टी का केस कोर्ट में चल रहा है। तो इसलिए जब तक कि वो केस सैटेल नहीं हो जाता तब तक वक्फ बोर्ड नहीं बनेगा। जबकि कोर्ट ने कोई स्टे नहीं कर रखा है वक्फ बोर्ड बनाने पे लेकिन कहीं कुछ मंशा गलत है जिसकी वजह से एलजी साहब ने स्टे कर रखा है उसको, इल्लीगली एक तरह से।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बहुत पुरानी चीज नहीं है। अभी भी सब लोगों के ज़ेहन में है। पॉलिसी बनाई गयी थी। 60 साल से ऊपर के तमाम दिल्ली के बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए एलजी साहब ने उसमें डाला, भई, इन्कम क्राइटेरिया बताइए। उन्होंने... लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों की कितनी बड़ी भूमिका है... एल जी साहब कह रहे हैं, आप जिन व्यक्तियों को भेजना चाहते हो, उनको एड्रेस वेरिफिकेशन में एमएलएज को क्यों इन्वोल्व कर रहे हो? एमएलए क्या हुआ भई! अनकॉस्टिट्यूशनल है क्या? अगर एमएलए से इतनी चिढ़ है, अरे! डिजॉल्व करने से भी एमएलए से पीछा नहीं छूटेगा। इस देश में असेंबलीज हैं, एमएलएज हैं एमपीज हैं, अगर चुने हुए प्रतिनिधियों से इतनी ही चिढ़ है तो संविधान में से कटवाने की बात करो ना। अगर इतना ही चिढ़ते हो तो, नहीं तो संविधान का सम्मान करना सीखो, लोकतंत्र... बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के, लोकतंत्र की कैसे कल्पना कर सकते हो आप। और आप कह रहे हो, नहीं–नहीं, एमएलएज से क्यों पूछ रहे हो?

एक्सग्रेशिया अमाउंट के उसमें एक बड़ा चर्चित... सोमनाथ जी, बस, बड़ा एक ओर चर्चित उसमें सूबेदार ग्रेवाल जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग तक सुनी गई कि वो यहाँ दिल्ली आए और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन पे थे, सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के हित के लिए और उन्होंने अपने आपको कुर्बान किया उसपे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग उनके बेटे से बातचीत की, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके बेटे की बातचीत की खूब पब्लिक में हुई। लेकिन उसको जब दिल्ली सरकार ने दिल्ली में हुए उस व्यक्ति को, कुर्बान हुए उस व्यक्ति के लिए एक करोड़ रुपए की राशि दी तो एलजी साहब ने उसको बार–बार मना कर दिया। मैं आपको सिर्फ तारीखें बताऊँगा, कैबिनेट ने 4/11/2016 को डिसीजन लिया, 9/11/2016 को एलजी साहब को भेजा, 8/12/2016, 3/3/2017... बार–बार रिजैक्ट करते रहे, बार–बार रिजैक्ट करते रहे और आगे पूरी चैन, ये मैं सबके समक्ष रख दूँगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा सा सर्विस डिपार्टमेंट पे भी आना चाहता हूँ। जब तक सर्विस डिपार्टमेंट पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया था, तब तक हम लोग उस पर काम कर रहे थे और जब हम सरकार में आए तो हमें दिल्ली के दॉनिक्स कैडर के अधिकारियों ने काफी बताया कि उनकी एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि बाकी राज्यों में जो उनके स्टेट कैडर के अधिकारी हैं, उनका लेवल बहुत ऊंचा है और दिल्ली में, उनका लेवल हमेशा जानबूझ के आईएएस की ईगो को सैटिसफाई करने के लिए जानबूझ के नीचे रखा गया है। हमने कहा कि ये आईएएस की लड़ाई में हम नहीं पड़ने वाले, अगर स्टेट कैडर के अधिकारी हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, मदद क्या, उनका प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वो सैटिस्फैक्शन के साथ काम कर सकें। तो जो भी उनकी डिमांडस थी, उसके हिसाब से जो पैरिटी देखते हुए, कैडर के हिसाब से बाकी स्टेट कैडर के अधिकारियों के हिसाब

से उनको 2006 में भी इस तरह का प्रपोजल आया था लेकिन उस वक्त भी आईएएस अधिकारियों के दबाव में उसको नीचे गिरा दिया गया था, नहीं आगे बढ़ने दिया गया। दस साल बाद हमारी सरकार बनी हमने उसको उठाया, उसको करके भेजा, उसमें हमने उनका 10 हजार ग्रेड पे का एक बैंड तैयार किया, 13 और 18 साल की नौकरी पूरा होने पे 7600 और 8700 का ग्रेड पे मिलेगा, इसकी व्यवस्था की। कैबिनेट डिसीजन एलजी साहब को 7/8/2015 को भेजा गया लेकिन एलजी साहब ने कहा, भारत सरकार का प्रतिनिधि होने के अधिकार के तहत मैं इस फैसले को नल एंड वॉइड एबोनिशियो डिक्लेयर करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने सीधे अफसरों को लिखा, उन्होंने सीधे अफसरों को लिखा कि ***It was communicated directly to the officer serving under GNCT that the compliance any illegal and void order would result in disciplinary action against and recovery of financial losses caused to the government. Unhone seedhe-seedhe kaha, any officer placed with the GNCT who acts to the contrary to the directions order of Government of India and its deligate i.e. LG and takes action against the provisions of this… this… this law and…uske khilaf karrwai ki jayegi.***

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सैकड़ों दानिक्स अधिकारी हैं। ये आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह से काम करते रहे हैं, उन्हीं का मनोबल बढ़ाने के लिए अगर आप मुझे नहीं पता क्या पॉलिटिक्स है आईएएस, दानिक्स इन सबमें लेकिन आपके ही लड़के हैं, आपकी ही लड़कियाँ हैं, उनको अगर आप सैटिसफैक्टरी जॉब कंडिशंस नहीं दे सकते तो फिर क्या फायदा है सर्विस डिपार्टमेंट का? आपको कर देना चाहिए था। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. अभी जब पिछले 20 फरवरी से ऑफिसर्स स्ट्राइक पे हैं यहाँ दिल्ली में.

हाँ, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं तथाकथित... तो देश के इतिहास में तो पहली बार हो रहा है कि ऑफिसर्स इतने लंबे समय से स्ट्राईक पे हैं। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि सर, सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, मीटिंग्स में आने से मना कर रहे हैं और जूनियर ऑफिसर्स को रोक रहे हैं। आप उनको कहिए, ये आईएएस कंडक्ट रूल्स का वॉएलेशन है। तो उन्होंने उसपे कोई एक्शन लेने की जगह उल्टे मुझे लिखा, 'एज फॉर एज आई नो, देयर हैज नॉट बीन ऐनी स्ट्राइक बाइ ऐनी सैक्शन ऑफ द ब्यूरोक्रैसी।'

28/2/2018 को मैंने फिर से उनको लिखा। मैंने उनको लिखा कि आपका जो लैटर है, वो तो ऐसा लग रहा है कि आप एक तरह से उनको कह रहे हैं कि ठीक है भई, जो कर रहे हो, वो ठीक है, करते रहो, ग्रॉस वॉएलेसन्स हो रही है दिल्ली में, आईएएस कंडैक्ट रूल्स की, सर्विस रूल्स की, उसके बावजूद, सर्विस का हेड होने के नाते वो कुछ कर नहीं रहे हैं और ऑफिसर्स की स्ट्राइक को खुला समर्थन दे रखा है एलजी इन्सीटयूशन ने।

अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मस की मैं आपके समक्ष रखूँगा; 'डोर स्टैप डिलिवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज' आज सरकार से किसी को कोई लाइसेंस चाहिए, सर्विस चाहिए कोई किसी तरह की, तो घंटो लाइन में, बार–बार चक्कर, रिश्वत खिलाके दलालों के चक्कर में, लगा के, कई–कई दिन दफ्तर से छुट्टी लेके तब काम चलता है तो सरकार ने तय किया कि 40 सेवाएं अभी और 30 सेवाएं उसको बाद में जोड़ के 'डोर स्टैप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज' किया जाएगा। तो एलजी साहब के पास में इसको 18/12/2017 को भेजा। 25/12/2017 को... एक्शन क्विक लिया, लेकिन एक्शन क्या लिया? उन्होंने लिखा कि अगर ये प्रोजैक्ट लागू हुआ तो दिल्ली

में ट्रैफिक जाम बढ़ेगा, दिल्ली में पोलुशन की समस्या बढ़ेगी, दिल्ली में जिन लोगों के घर डोरस्टैप डिलीवरी के लिए लोग जाएंगे, उनकी सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ेगी। रिश्वत एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, धक्के खाना एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, छुट्टियाँ ले–ले के एक छोटे से सर्टिफिकेट के लिए घंटो लाइन में लगे रहना एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ेगी लोगों के ऊपर... खैर मैं खुद सरकारी दफ्तरों में गया, काफी बैड मीडिया पब्लिसिटी हुई, नैगिटिव मीडिया पब्लिसिटी हुई। उसके बाद में उसी प्रपोजल को 25/12/2017 पर जिन्होंने उसी को कहा था कि इससे ट्रैफिक बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, सुरक्षा को खतरा है, 15/1/2018 को अप्रूवल दे दी।

इसी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की एक ओर योजना सरकार लेकर आई; अर्बन लीडरशील फैलोज, चीफ मिनिस्टर अर्बन लीडरशिप फैलोज, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये चलती है, मोदी जी जब वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ भी उन्होंने शुरु की थी, देश के कई राज्यों में चल रही है, एक्सपर्टस, बड़ी–बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए बच्चों को एक साल के लिए, दो साल के लिए फैलोशिप के रूप में लेकर आना और की प्रोजैक्ट में उनको स्पेसिफिक एक्सप्रटीज के डिपार्टमेंट में उनको लगाना। इसको 30/8/2016 को हमने एलजी साहब के पास भेजा था, एलजी साहब ने, क्वैरी लगाई उसपे, कि साहब, फैलोशिप... देखिए, एलजी साहब भी आइएएस रहे हैं, पूरी जिंदगी सर्विस की है। एलजी दफ्तर में, एलजी इन्सीटयूशन में कई और आईएएस भी उपलब्ध है लेकिन क्वैरी देखिए, फैलासिप के प्रोजैक्ट पे क्वैरी लगके आती है, प्लीज एग्जामिन इफ दिस इज सर्विस मैटर.. ये नौकरी निकाल रहे हो क्या? फैलोशिप समझ में नहीं आती क्या? समझ में सब आता है लेकिन प्रोजैक्ट रोकना है, इतने भी अनपढ़ नहीं है जितना होने का प्रेजेंट कर रहे हैं। एन इग्जामिन ये क्रिएशन ऑफ पोस्ट है क्या?

फैलोशिप क्रिएशन ऑफ पोस्ट होती है क्या? तो खैर सर्विस, प्लानिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट का फिर से रिव्यू हुआ, नई पोस्ट नहीं है। ये कहा गया, इसके लिए नई पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद में नई रिवाइज कैबिनेट ने जो भी इनपुटस थे, उसके बेस पे भेजा गया तो अब एलजी साहब ने उसपे नया ऑब्जैक्शनल लगा दिया है कि ऐसा करिए, ये तो ठीक है लेकिन फैलोशिप का रिटन एग्जाम लीजिए। प्राइम मिनिस्टर फैलाशिप होती है, चीफ मिनिस्टर फैलोशिप होती है, कई ओर राज्यों में स्कॉलरशिप्स होती हैं, फैलोशिप्स होती हैं। आप रिटन एग्जाम करके आईएएस थोड़ी भर्ती कर रहे हो!

अध्यक्ष महोदय, अर्बन डेवलपमैंट डिपार्टमेंट में एक महत्वपूर्ण चीज थी, टाउनवैंडिंग कमिटी, स्ट्रीट वैंडर्स कमिटी, स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट– 2015 के तहत बननी थी, वह स्कीम नोटिफाई हुई 23/9/2015 को, उसके पूरे प्रपोजल्स भेजे गए। उसमें भी काफी टू एंड फ्रो, बार–बार ऑब्जैक्शन लगा कर भेजे गए जो कि न उनके पास में पॉवर थी और उसकी वजह से आज दिल्ली में टाउन वैंडिंग कमिटीज का जो प्रपोजल है, उसको एलजी साहब की जिद्द की वजह से 376 दिन डिले होने के बाद अप्रूवल मिली। उसी प्रपोजल पर, 376 दिन के डिले के बाद।

ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट में, डीटीसी बोर्ड के गठन में जो चेयरमैन और सात ऑफिसर्स लगाए गए, उसकी फाइल एलजी साहब रोक के बैठ गए। उनके पास 15/12/2017 को फाइल भेजी गई थी। उसमें उन्होंने क्वैरीज लगाकर भेज दी वापस, उनके पास पॉवर ही नहीं। सरकार का हक है। ट्रांस्पोर्ट, ट्रांस्फर सब्जैक्ट है। किसको वो लगाएगी, किस एमएलए को लगाएगी, किसको चेयरमैन बनाएगी, पहले भी सब लगते रहे है लेकिन काम जो रोकना हुआ।

लेबर डिपार्मेंट में अध्यक्ष महोदय, मिनिमम वेजिज बढ़ाए। सरकार ने बड़ा फैसला लिया, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, गरीब लोगों के लिए और जब मैं ट्रिकलअप इकोनोमी की बात कर रहा था, उसके तहत गरीबी की रेखा पर बैठे हुए लोगों के लिए फाइल एलजी साहब को 22/8/2016 को भेजी गई। उन्होंने सिर्फ इस बात पर रिजैक्ट कर दी कि इसके लिए आपने जो कमिटी बनाई थी, मिनिमम वेजिज को रिव्यू करने के लिए, उस कमिटी का अप्रूवल आपने मुझसे नहीं लिया था। अरे! अगर इतनी चिंता थी, आप फाइल मंगाकर कह देते कि एक्स–पोस्ट–फैक्टो एप्रूवल है। लेकिन नहीं, दोबारा से कमिटी बनवाई, दोबारा से। अधिकार नहीं है उनको। क्यों गरीब लोगों के हित में कुछ... हमने कहा जी, करो। जैसे करना है करो... करो... हमने दोबारा उन्हीं मेम्बर्स को कमिटी में बनाया। उस कमिटी ने दोबारा मीटिंग की, दोबारा! कमिटी तो सेम थी, इश्यू सेम थे, परिस्थितियाँ सेम थी। फिर से कमिटी की मीटिंग्स हुई। फिर से वही रिजल्ट्स निकले। फिर से वही प्रपोजल हुए। फिर से समिति की रिपोर्ट के आधार पर केबिनेट ने फैसला लिया और इसके चक्कर में 192 दिन बाद गरीब लोगों के उसको इजाजत दी गई। 192 दिन लगा दिए! इंटेंशन पर शक होता है। डेवलपमेंट डिपार्टमैंट में मंडियाँ बन रही हैं। गाजीपुर मंडी के गठन में 150 दिन का डिले किया उन्होंने। जो मार्केटिंग कमिटी है, फिश पॉल्ट्री गाजीपुर की दो मंडियाँ हैं; फिश पॉल्ट्री वाली में, 150 दिन का। गाजीपुर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडी में 183 दिन का डिले किया। केशोपुर की मंडी के गठन में 183 दिन का डिले किया फाइल में। गाजीपुर की जो फ्लॉवर मार्केट मंडी है, उसमें 183 दिन लगाए। आजादपुर मंडी को अप्रूवल देने में 152 दिन लगाए। नरेला की मंडी को अप्रूवल देने में 148 दिन लगाए।

और अंत में, इधर आऊँ, छोटी सी चीजें और रह गई हैं। सिविल सप्लाई फूड सेफ्टी सप्लाई डिपार्टमेंट की इश्यूज पे अभी बहुत फेमस है, इसलिए

ज्यादा मैं नहीं बताऊँगा इस पर सदस्यों को... मतलब समय नहीं लूँगा। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, उसको उन्होंने 20 लाख परिवारों को किस तरह से डोर स्टेप डिलीवरी... उसका मैं कल भी बोल चुका हूँ; स्कूटर पर सप्लाई करनी चाहिए थी, गोडाउन ने सीधे अगर स्कूटर पर आ जाए, थ्री व्हीलर पर आ जाए और बसों में रखकर आ जाए तो शायद मंजूरी मिल जाए। ये अच्छा आइडिया है। 14/3/2018 को भेजा था उनके पास में। उन्होंने उस पर कई तरह के ऑब्जैक्शन्स लगा दिए। उन्होंने कहा, 'इन्स्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन, जीएनसीटी शुड कन्सीडर डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर।' जबकि सबको पता है कि डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर का। घरों में जब जाता है तो घरों में, वो राशन पे नहीं... बहुत सारे घरों में तो महिलाएं आकर रोती है कि कैसे दारू पर खर्च हो जाता है इस तरह से... और फिर उनके पास पॉवर नहीं है ये कहने की। कांस्टिट्यूशन में उनके पास कोई पावर नहीं है।

डीआईपी एक डिपार्टमैंट है। कई बार ऐड लगते हैं। मैं बहुत ज्यादा इन्टरवीन... अखबारों में छपते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं। मैं बहुत ज्यादा इन्टरवीन करता हूँ। कोशिश करता हूँ, पत्रकार रहा हूँ अनुभव है थोड़ा बहुत काम करने का, स्पेलिंग की गलतियाँ न हों। लेकिन नीचे से बार—बार स्पेलिंग की गलतियाँ, डिजाइन बहुत घटिया बनकर आते हैं बहुत बार। मैंने डीआईपी को कहा, साहब, जीएसटी पर फेसबुक लाइव करना है। मुझे डीआईपी ने डायरेक्टर इन्फोर्मेशन पब्लिसिटी उनके चहेते अफसर है। उन्होंने लिखकर दिया, हमारे पास में उसकी एक्सपर्टीज नहीं है कि हम फेसबुक लाइव करा सकें। आज एक झुग्गी में अनपढ़ बच्चे के परिवार में भी अगर किसी के घर में एंड्रॉयड मोबाइल होगा, वो बच्चा भी आपको फेसबुक लाइव कराके दिखा देगा। एक आईएएस अफसर लिखकर दे रहा है कि हमें फेसबुक

लाइव... हमारे पास में बैंडवित नहीं है कराने की। स्पेलिंग गलत आना, घटिया ऐड क्वालिटीज आना, बनना। पेमेंट अटके पड़े है; वेंडर्स के अखबारों के। अखबार वाले आकर रोते हैं। मैंने एलजी साहब को चार मर्तबा लिखा है कि साहब, आपका इस इंकॉम्पिटैंट ऑफिसर से इतनी मौहब्बत है, आप अपने पास रख लो ना सेक्रेटरी बनाकर। डीआईपी में एक ढंग का अफसर दे दो काम कर ले, वो नहीं दिया आज तक। सुनते नहीं, सर्विसेज के मालिक बने बैठे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कई चीजें थीं।

अब मैं अपनी रिपोर्ट के पार्ट–2 में जो वेकेंसिज हैं दिल्ली सरकार में, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ और ध्यान दिलाने के साथ–साथ मैं उल्लेख भी करना चाहता हूँ कि माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सर्विस की जो कंडीशन बदली है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। कई बार लगता है लोगों को सर्विस ट्रांसफर होने का मतलब है आईएएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का झगड़ा होगा या सेक्रेटरी बनाने या दानिक्स अफसरों, ट्रांसफर डीएम–वीएम कौन बनेगा, इसका झगड़ा होगा। मूल बात यहाँ है कि आज सर्विस का मतलब इन्होंने इन्टरप्रेटेट करके अपने पास सारा कब्जा कर लिया है काम धाम। टीचर्स, डॉक्टर्स यहाँ तक की आपके दफ्तर में भी अगर चपरासी है, तो वो सर्विस के तहत आएगा। उस पे आप नहीं नियुक्त कर सकते। डीएसएसएसबी भी इनके आधीन है, उस पर कब्जा कर रखा है सर्विस के नाम पर और सारा तो टीचर्स से लेकर डॉक्टर से लेकर उसकी क्वालिटी कितनी होगी, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ये सब सर्विसेज के तहत आता है, उन्होंने ले लिया और इन्टरप्रेट कर लिया। एक तरह से पूरी की पूरी गवर्नमैंट को पैरालाइज करने के लिए डिफंक्ट करने के लिए पूरी हर चीज को सर्विस के दायर में।

मैं बताऊँ आपको टीचर फिनलैंड जा रहे थे ट्रेनिंग के लिए, तो एलजी ऑफिस से ऑफिसर्स को कहा गया; ये जो टीचर्स को विदेश ट्रेनिंग पर

भेजने वाली फाइल है ना, ये सर्विसेज की फाइल है। ये मिनिस्टर को मत दिखाना। अरे! मेरे रिश्तेदार थोड़े ही हैं टीचर्स! दिल्ली के बच्चों के टीचर्स हैं। मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं अगर देख भी लूँगा उस फाइल पे तो क्या हो गया! मना कर दिया गया। फिर मैंने कई बार चिट्ठी लिखी। मैंने कहा, आप बताओ, इस प्रोजेक्ट पर आप क्या चाहते हो? मंत्री न देखें फाइल। गोल–मोल जवाब... गोल मोल जवाब! स्ट्रेच करके कब्जाने की कोशिश कर रखी है सारी चीजों को।

तो अध्यक्ष महोदय, सर्विसिज में मैंने पूरा चार्ट यहाँ रखा है; किस तरह से 61 परसेंट से लेकर 63 परसेंट... सब डिपार्टमेंट में कोई... मैं सदस्यों से कहूँगा पूरी टेबल पढ़ने का यहाँ कोई मकसद नहीं है। रिपोर्ट आपके बीच में आ जाएगी। पूरी की पूरी टेबल मैंने दी हुई है किस डिपार्टमेंट में किस तरह से डिफंक कर रखा है। जानबूझकर भर्तियां नहीं हो रही है और भर्तियाँ... चलो, डीएसएसएसबी का अपना स्पीड है। 2007 से लेकर 2013 तक कुछ काम नहीं हुआ था, हमने चालू किया धक्का मारकर। फिर आप उसकी स्पीड से काम करा लो। लेकिन कान्ट्रेक्ट पर रखने दो, कान्ट्रेक्ट पर रखने के लिए बढ़िया कंडीशन्स बनाओ। आपकी जगह खाली पड़ी है। लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, लोग काम ढूंढ रहे हैं। जनता काम कराने दफ्तरों में आ रही है आपके पास कर्मचारी नहीं है, आप रखो कॉन्ट्रेक्ट पर।

तो अध्यक्ष महोदय, कन्क्लूजन में, मैं इतना कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में गवर्नमैंट और गवर्न्ड, दो शब्द दे रहा हूँ। गवर्नेंस यानी गवर्नमैंट और गवर्न्ड, उनके बीच पॉवर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। गवर्नमैंट का मतलब राजा–महाराजा या लाटसाहब ही नहीं है, गवर्नमैंट का मतलब है जो भी इंस्टीट्यूशन सरकार के... जनता के पैसे से संविधान के तहत चल रहा है, वो जनता के प्रति जवाबदेह हो। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम से कम पाँच

साल एक बार एकाउंटेब्ल हो जाते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से एकाउंटेब्ल रहती है। लेकिन और हमने कोशिश भी किया; आउटकम बजट क्वार्टर्ली रिव्यू... ऑफिसर्स का होता है। मिनिस्टर्स की भी एक रिव्यू मीटिंग होती है, एमएलएज के साथ भी रिव्यू मीटिंग्स भी बहुत होती हैं। सीएजी रिपोर्ट, जैसे इंस्टीट्यूशन आते हैं लगातार, इन सब में कहीं न कहीं इलेक्टि्ड रिप्रेजेंटिव और ब्यूरोक्रेसी की एकाउंटेबिल्टी फिक्स होती रहती है। लेकिन एलजी आफिस की एकाउंटेबिल्टी तो कहीं से भी फिक्स नहीं हो रही। इसलिए आज मैंने ये रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है, अध्यक्ष महोदय। डेमोक्रेसी में ये बहुत जरूरी है। एलजी आफिस का अभी तक किसी तरह की कोई एकाउंटेबिल्टी की प्रैक्टिस से बाहर रहा है, लोगों की। जब कि एलजी दिल्ली में रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इफैक्टिव रोल निभाते हैं। तो एलजी के मैं... वो तो आप लोग बताना... फिर मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमैंट से पूछे जाने वाले जनता के जो सवाल हैं, वो राजनिवास की ऊँची–ऊँची दीवारों के अंदर भी सुनाई देने चाहिए। जनता के जो सवाल हैं, वो सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों से ही पूछे जाएं या सरकारी दफ्तरों में बैठे अफसरों से पूछे जाएं, ये तो है, ये जरूरी है। लेकिन राजनिवास की ऊँची दीवारों के अंदर भी घुसने चाहिए और उसके जवाब उन राजनिवास की ऊँची दीवारों से बाहर आने चाहिए। इसलिए मैं ये रिपोर्ट रख रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, केवल मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी चीजें मैंने कहीं है। मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली में एलजी साहब के पास सिर्फ ओपिनियन देने का हक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देने का हक है। वो किसी काम को रोक नहीं सकते, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देकर प्रेसिडेंसियल रेफरेंस के लिए भेज सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी सरकार

को ठप्प करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट के जरिए विभिन्न योजनाओं पर फिलम्जी... मैं चार–पांच कैटेगरी में अगर बात करूँ, *आस्किंग क्लैरिफिकेशन ऑफ रेजिंग ऑब्जैक्शन्स* के इस प्रपोजल को ठंडे बस्ते में डालना है या नहीं डालना, अफसरों से सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद कोई ऐसी क्वैरी लगाकर भेज देते हैं अफसर, तीन–चार महीने खेलते हैं। फिर हमारे पास भेजते हैं। उसे हम वहाँ भेजते हैं फिर कोई क्वैरी लगाकर भेज देते हैं। तो क्लेरिफिकेशन पूछने का हक उनका नहीं है कांस्टिट्यूशन में, इश्यू वापस लॉ डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजने का उनके पास में हक नहीं है। केबिनेट में सारे मंत्री होते हैं, लॉ मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, सीएस होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, लॉ सेक्रेटरी होते हैं, जरूरत पड़ने पर उनसे भी व्यू लिया जाता है। लेकिन व्यू लेना, नहीं लेना सरकार का हक है। प्राइम मिनिस्टर ने जिस समय नोटबंदी लागू की थी, उन्होंने व्यू लेकर नहीं किया था। एक बड़ा सरकार का डिसीजन था। क्या नुकसान हुए, क्या नहीं हुए, वो समय बताएगा, समय बता रहा है। लेकिन केबिनेट ने डिसाइड किया, प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोजल रखा, वहीं डिसाइड हुआ। उसमें तो किसी लॉ सेक्रेटरी की राय नहीं थी, उसमें किसी फाइनेंस सेक्रेटरी की राय नहीं थी, प्रपोजल में। अध्यक्ष महोदय, कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमैंट के पास भेजने का कुछ प्रोविजन नहीं है कि सेन्ट्रल गवर्नमैंट के फलां डिपार्टमेंट से परमिशन ले लीजिए। फलां फिल्मजी ग्राउण्ड पर जैसे 'आई एम नॉट श्योर दिस इज अ गुड आइडिया।' ट्रैफिक बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा इस तरह के फिल्मजी ग्राउण्ड पे कोई वो नहीं है। ऐडवाइजरी कमिटी बनाने के लिए कि भई, 'ऐडवाइजरी कमिटी हैज नॉट बीन ऐप्रूब्ड बाई अस।' ये भी फिल्मजी था। तो इस तरह के मामले में एलजी साहब एक पॉकेट वीटो ले के चल रहे हैं। इस पॉकेट वीटो की वजह से दिल्ली का बहुत नुकसान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के समक्ष इस एलजी इंस्टिट्यूशन की पूरी कार्यवाही को अभी तक के अनुभव को मैंने रखा है। इस रिपोर्ट का सार ये ही है कि डिले डिले और बॉटलनेक क्रिएट करते हुए चले जाइए। एलजी भी टैक्स पेयर के पैसे से काम करते हैं। एलजी ऑफिस भी जनता के पैसे से काम करता है, उसकी एकाउंटेबिल्टी भी होनी बहुत जरूर है। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

... (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों ने वेल में आकर एलजी के इस्तीफे की माँग की।)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठें, माननीय सदस्य।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अभी तो अल्पकालिक चर्चाएं बाकी हैं; श्री संजीव झा की, अमानतुल्लाह खान की।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य जरा ध्यान देंगे। मैं सदन की कार्यवाही कल 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जा रही है। ये आउटकम रिपोर्ट एलजी जो दिया गया है, इस पर कल चर्चा होगी। हाँ, कल चर्चा होगी इस पर।

(सदन की कार्यवाही 5 अप्रैल, 2018 अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

... समाप्त ...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।